लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 9, गुरुवार, 31 जुलाई, 1969/9 श्रावण, 1891 (शक)
No. 9, Thursday, July 31, 1969/Sravana 9, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
241. निजी तथा सरकारी उद्योगों में लाभ तथा हानि में मजदूरों का हिस्सा	Participation of Workers in Profit and Loss in Private and Public Industries		1—5
242. पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report by the Wage Board for Port and Dock Workers	..	5—6
243. उड़ीसा तट पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह की स्थापना	Establishment of a Fishing Harbour on Orissa Coast	..	6—8
245. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	..	8—12
246. छोटे किसानों को ऋण	Loan to Small Farmers	..	12—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
244. खान पान प्रोद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्था, नई दिल्ली	Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, New Delhi	..	16
247. डाय अमोनियम फास्फेट का आयात	Import of Dia Ammonium Phosphate	..	16—17
248. राजस्थान में सूखे से मृत्यु	Deaths due to drought in Rajasthan	..	17
249. समाचार पत्रों का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय	International Exchange of Newspapers	..	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
250. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध की सप्लाई में सुधार	Improvement in Supply Position of Milk by Delhi Milk Scheme ..	18—19
251. खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains ..	19
252. पटसन उद्योग के श्रमिकों की मांगें	Demands of Jute Industry Workers ..	19—20
253. दिल्ली में एक अन्य डेरी की स्थापना	Setting up of another Dairy in Delhi	20
254. श्रम प्रधान परियोजनाएं	Labour Intensive Project	20—21
255. खेती वाली भूमि	Land under Cultivation	21—22
256. खाद्य क्षेत्रों का समाप्त किया जाना	Abolition of Food Zones ..	22
257. विकास अभिकरणों की स्थापना	Setting up of Development Agencies	22—23
258. कलकत्ता और राजकोट के लिए अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर	High Power Transmitters for Calcutta and Rajkot	23
259. दिल्ली में भवन बनाने वाले श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Building Workers in Delhi ..	24
260. ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Tractors	24—25
261. मोटे अनाज के संकर बीजों की कमी	Shortage of Hybrid Seeds of Millets ..	26
262. भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वसूली	Procurement by FCI in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ..	26
263. आकाशवाणी का 30 अप्रैल, 1969 का समाचार बुलेटिन	Air News Bulletin of 30th April, 1969 ..	27
264. अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains ..	27—28
265. नियोजक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध	Employer-Employee Relations ..	28
266. प्रेस परिषद् सम्बन्धी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Report of the Advisory Committee on Press Council	29

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
267. चीनी मिलों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर गन्ने को न खरीदना	Non-purchase of Sugarcane by Sugar Mills at Fixed Price ..	29
268. काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का पंजीकरण	Registration of S. C. and S.T. Persons with Employment Exchanges ..	30
269. पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्नों के आयात पर भाड़े की राशि	Freight charges for import of Foodgrains under PL 480 ..	30—31
270. डाक तार विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारी संघों में बाहर के व्यक्ति	Outsiders in P and T Ministerial Staff Unions	31—32
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1585. दूरदर्शन केन्द्र के एक चलचित्र निर्माता द्वारा चलचित्र का निर्देशन	Film Directed by a Producer of T.V. Centre	32
1586. बिहार में ग्राम पंचायतों के चुनाव	Elections to Gram Panchayats in Bihar ..	33
1587. बिहार में खण्ड विकास कार्यालयों के लिये भवनों का निर्माण	Construction of Buildings for Block Headquarters in Bihar	33
1588. कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of the Coal Wage Board Award ..	34
1589. डाक व तार विभाग की सम्पत्ति की चोरी	Theft of P & T Department property ..	34—35
1590. भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता कार्यालय से धन का गायब हो जाना	Money missing from Calcutta Office F.C.I. ..	35—36
1591. भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की सप्लाई	Supply of Maize by FCI ..	36
1592. चीनी की उत्पादन लागत तथा उसे निर्यात करने सम्बन्धी नीति	Production cost of sugar and policy regarding its Export ..	36—38

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1593.	मध्य प्रदेश को ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to Madhya Pradesh ..	38—39
1594.	भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय	FCI Offices ..	39—40
1595.	रेडियो लाइसेंस	Radio Licences	40
1596.	भूमि सुधार में प्रगति	Progress in Land Reforms	40
1597.	आकाशवाणी में नैमित्तिक कलाकार	Casual AIR Artistes	40—41
1598.	दिल्ली में शुद्ध दूध की मांग	Demand of whole Milk in Delhi	41—42
1599.	निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण सहकारी विपणन समिति	Rural Cooperative Marketing Society in Nicobar Island ..	42
1600.	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के मकानों के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में भूमि की खरीद	Purchase of Land in Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for Residential Buildings of P and T	43
1601.	देश में नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों की आवश्यकता	Requirement of Tubewells and pumping sets in the country ..	43
1602.	केरल में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देना	Promotion of fishing industry in Kerala ..	44
1603.	जादुगुडा यूरेनियम की खानों और कारखानों के श्रमिकों की बैठक	Meeting of Jaduguda Uranium Mines and Factory Workers ..	44—45
1604.	कृषि उत्पादन पर कीड़ों का प्रभाव	Effect of Pests and Insects on Agricultural Production ..	45
1605.	कृषि उपज (श्रेणीकरण और बिक्रीकरण) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत कदाचार के मामले	Malpractices under Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 ..	45—46
1606.	रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों द्वारा भारतीय समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापन	Advertisement given by USSR and other Communist Countries to Indian Newspapers ..	46
1607.	श्रम संहिता	Labour Code ..	46—47

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1608. समाचार-पत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota for Papers	47
1609. दण्डकारण्य परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement of Displaced persons in Dandakaranya Project ..	47—48
1610. राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल का उर्वरक उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of the Study Group of National Labour Commission on Fertilizer Industry	48
1611. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेती	Agriculture in Drought Affected Areas	48—49
1612. दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Telephones in Delhi	49
1613. नीलोखेड़ी में ट्रैक्टर बनाने का संयंत्र	Tractor Assembly Plant at Nilokheri	49—50
1614. चण्डीगढ़ में पंचायतों का पुनर्गठन	Reorganisation of Panchayats in Chandigarh	50
1615. चम्बल घाटी, मध्य प्रदेश में खेती	Cultivation in Chambal Ghati, Madhya Pradesh	51
1616. अंगूर की खेती	Grape Cultivation	52
1617. काजू की खेती	Cultivation of Cashewnuts ..	52
1618. सोयाबीन की खेती	Cultivation of Soyabeans ..	52—53
1619. पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	53
1620. राजस्थान में सूखे के कारण पशुओं की हानि	Loss of Cattle in Rajasthan due to Drought	54
1621. गायों तथा बैलों की नस्ल में सुधार	Improvement in the Breed of Cows and Oxen	54—55
1622. भारत और विदेशों में प्रति एकड़ उपज	Yield per acre in India and Foreign Countries	56
1623. राष्ट्रीय एकता पर गीत	Songs on National Integration	56
1624. दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे केबल संयोजक	Cable Jointers Working in Delhi Telephone District	56—57
1625. गुजरात को चीनी का नियतन	Allotment of Sugar to Gujarat	57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1626.	पत्रकारों का जोखिम बीमा	Risk Insurance for Journalists ..	57—58
1627.	टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Arrears of Telephone Revenue ..	58
1628.	रुई के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Cotton ..	58—59
1629.	काश्मीर में तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees in Kashmir ..	59
1630.	राजस्थान के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटर	Powerful Transmitter for Rajasthan ..	59—60
1631.	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले अंग्रेजी के पाठ	English Lessons from AIR Delhi ..	60
1633.	उत्तम बीज तथा खाद से भूमि की खेती	Land Cultivated with better Seeds and Manure ..	60
1634.	जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में नलकूपों का लगाया जाना	Sinking of Tube-wells in Meerut District (U. P.) ..	61
1635.	वन्य पशुओं का परीक्षण	Preservation of Wild Life ..	61
1636.	तामिलनाडु में गेहूं का उत्पादन	Production of Wheat in Tamil Nadu ..	62
1637.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का मदुरै में लागू होना	Extension of ESIC to Madurai ..	62
1638.	राष्ट्रीय श्रम आयोग सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन	Reports of Study Groups of National Labour Commission	63
1639.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	63—64
1640.	मछली तथा मछली से बनाये गये पदार्थों के व्यापार में लगा धन	Investment in the Trade of Fish and Fishery Products	64—65
1641.	कमी वाले राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन	Allotment of Foodgrains to Deficit States ..	65
1642.	राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains in States ..	65
1643.	शिमला के लिये नया ट्रांसमिटर	New Transmitter for Simla ..	66
1644.	हिमाचल प्रदेश में नये रेडियो स्टेशन	New Radio Stations in Himachal Pradesh ..	66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1645. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अच्छी किस्म के बीजों के लिये अनुसंधान कार्य	Research Work done by National Seeds Corporation for Improved Seeds ..	66—67
1646. कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती का विकास	Development of the East Pakistan displaced persons' colony near Kalkaji New Delhi ..	67—68
1647. नई दिल्ली में डाक व तार विभाग के क्वार्टरों में सफाई की स्थिति	Sanitary Conditions of P and T Quarters in New Delhi ..	68—69
1648. कपास की खेती के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य	Research Work in Cotton Cultivation	69—70
1649. कपास की उपज में वृद्धि	Improvement in Yield of Cotton ..	70
1650. आन्ध्र प्रदेश में धान की वसूली पर बाढ़ों का प्रभाव	Effect of Floods on Procurement of Paddy in Andhra Pradesh ..	71
1651. पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योग में मजूरी दर में संशोधन	Revision of wages in West Bengal Engineering Industry ..	71
1652. पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा आकाशवाणी का उपयोग	Use of AIR by West Bengal and other State Governments ..	72
1653. समाचार-पत्रों के लिये पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारित करना	Price page schedule for Newspapers ..	72—73
1654. विदेशी जासूसी फिल्मों पर प्रतिबन्ध	Ban on Foreign Detective Films	73
1655. एशियाई क्षेत्रीय टेलीफोन सेवा का आरम्भ किया जाना	Introduction of Asian Regional Telephone Service ..	73—74
1656. चीनी का उत्पादन और वितरण	Sugar Production and its distribution	74—75
1657. उर्वरकों की भाड़ा लागत	Freight Costs of Fertilizers	75
1658. चीनी के मूल्य	Sugar Prices	76
1659. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के गोदाम	Central Government Godowns in M. P. ..	76—77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1660. लघु सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to M.P. for the Minor Irrigation	77—78
1661. मध्य प्रदेश के जंगलों में शेरों की संख्या में कमी	Decrease in number of Lions in M.P.	78
1662. मध्य प्रदेश में कृषि फार्म	Agricultural Farm in Madhya Pradesh	78
1663. मध्य प्रदेश में नये डाकघर खोलना	Opening of New Post Offices in M.P. ..	79
1664. क्षेत्रीय डाक तार तथा टेलीफोन सलाहकार समितियों में मनोनीत संसद् सदस्यों को सुविधायें	Facilities to M.Ps. serving on Regional P and T and Telephone Advisory Committees	79—80
1665. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, पटना में छंटनी	Retrenchment in Central Potato Research Institute, Patna ..	80
1666. शिकायतों को निबटाने के लिये डाक निरीक्षक के और पदों का बनाया जाना	Creation of additional posts of Postal Inspectors to deal with complaints	81
1667. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनः बसाना	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	81—82
1668. नेफा में सेब के पेड़ लगाना	Cultivation of Apples in NEFA	82—83
1669. लघु सिंचाई योजनाओं का उपयोग	Utilisation of Minor Irrigation Schemes ..	83—84
1670. नर भेड़ों तथा मादा भेड़ों का आयात	Imports of Ewes and Sheep	84—85
1671. गौ रक्षा समिति का कार्य	Working of Cow Protection Committee ..	85
1672. चीनी उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड	Second Wage Board for Sugar Industry	86
1673. कृषि स्नातकों के लिये नौकरियां	Jobs for Agricultural Graduates ..	86—87
1674. ग्राम सेवकों की पदोन्नति	Promotion of Gram Sevaks ..	87
1675. सोयाबीन के तेल का आयात	Import of Soyabean Oil ..	87
1676. उर्वरकों की खपत और उपलब्धता	Availability and Consumption of Fertilizers ..	88

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1677. खेतिहर मजदूरों को ऋण सुविधा	Credit Facility to Agricultural Labour	..	88—90
1678. सामुदायिक विकास कार्यालय के बारे में सलाहकार परिषद्	Consultative Council on Community Development Department	..	90—91
1679. आकाशवाणी से सिंधी कार्यक्रम	Sindhi Programmes from AIR	..	91
1680. अभ्रक खानों में सुरक्षा नियमों को लागू करना	Implementation of Safety Rules in Mica Mines	..	91—92
1681. रोजगार के अवसरों में वृद्धि	Growth in Employment Opportunities		92—93
1682. केरल को चावल का आवंटन	Allotment of Rice to Kerala		93
1683. छोटे किसानों के लाभ के लिये आंकड़े	Data to benefit the small Farmers	..	94
1684. बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन केन्द्र	International Telephone Exchange at Bombay	..	95—96
1685. मॉडर्न बेकरीज, दिल्ली	Modern Bakeries, Delhi	..	96
1686. राजस्थान में कृषि विकास योजना	Scheme for Agricultural Development in Rajasthan	..	96—97
1687. संयुक्त कृषि सहकारी समितियां	Joint Farming Co-operatives	..	97
1688. चीनी उत्पादन	Sugar Production	..	97
1689. राज्यों को रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई में कमी	Shortfall in Supply of chemical fertilizers to States	..	98
1690. भुवनेश्वर में उपभोक्ता सहकारी स्टोर	Consumer co-operative stores in Bhubaneshwar	..	98
1691. चूहों का विनाश	Destruction of Rats	..	99
1692. आम की खेती पर अनुसंधान	Research on Mango farming	..	99—100
1693. भूटान तथा भारत के बीच तार संचार सम्पर्क	Establishment of Telegraphic communications between Bhutan and India	..	100
1694. ग्रामीण व्यक्तियों को सस्ते मूल्यों पर नलकूप	Supply of Tube wells to rural people on cheap prices	..	100—101
1695. पश्चिम बंगाल में घेराव	Gheraos in West Bengal	..	101

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1696.	पश्चिम जर्मनी की सहायता से बम्बई में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना	Erection of a T. V. station for Bombay with the help of West Germany ..	101—102
1697.	विदेशी सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजनाएं	Foreign Aided Agricultural Development Projects ..	102
1698.	कृषि परियोजनायें	Agricultural Project ..	102—103
1699.	उत्तम आलू की खेती के लिए पोलैण्ड का प्रस्ताव	Polish offer for better potato cultivation ..	103
1700.	भूतपूर्व शासकों के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि	Unused land in possession of Ex-rulers ..	103—104
1701.	एक राज्य फार्म निगम की स्थापना	Establishment of a State farms corporation	104
1702.	सेवा में पुनः कार्यभार ग्रहण करने से रोके गये हड़ताली कर्मचारी	Striking employees debarred from Joining service ..	104—105
1703.	जलियांवाला बाग उत्सव पर संगीत तथा नाटक डिवीजन पर व्यय	Expenditure on Jalianwala Bagh Festival by Songs ..	105—106
1704.	आकाशवाणी दिल्ली से हिन्दी प्रसारणों के स्तर में गिरावट	Fall in the standard of Hindi broadcasts from AIR Delhi ..	107
1705.	उड़ीसा के लेखकों और साहित्यकारों पर स्मृति डाक टिकट	Commemorative stamp on Best writers and literater of Orissa	107
1706.	बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन लगवाने के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Pending Applications for Telephone in Bikaner Division ..	107—108
1707.	राजस्थान में चारे की खेती	Fodder cultivation in Rajasthan	108
1708.	बम्बई में अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री	Sale of inland letters in Bombay	108
1709.	गोदामों और ढुलाई में नष्ट होने वाला अनाज	Loss of Foodgrains in Transit and in godowns ..	109—110
1710.	साप्ताहिक पत्रिकाओं का आकार	Size of weeklies	110
1711.	प्रोड्यूसरों/सहायक प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण	Transfer of Asstt. producers/producers	111

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1712. आकाशवाणी में उद्घोषकों (अनाउन्सरों) की नियुक्ति	Appointment of announcers in AIR	111
1713. आकाशवाणी दिल्ली के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes, All India Radio, Delhi ..	111—112
1714. उर्वरक खरीदने के लिये राज्य सरकारों को ऋण	Loans to State Governments for purchase of Fertilizers ..	112—113
1716. भारत द्वारा अनाज का निर्यात	Export of foodgrains by India ..	113
1717. उत्तर प्रदेश में अनाज और व्यापारी फसलों का उत्पादन	Production of foodgrains and Commercial Crops in U. P. ..	113—114
1718. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर	Post offices in Rural and Urban Areas of U. P. ..	114
1719. अधिक अन्य उपजाओ योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grants to U. P. under Grow More Food Scheme ..	115
1720. टेल्को में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी तथा स्वेच्छा से पदनिवृत्त करना	Retrenchment and voluntary retirement of temporary workers in TELCO ..	116
1721. टिन प्लेट कारखाना जोधपुर तथा उसके कर्मचारी संघ के साथ कारखाना चलाने के लिये समझौता	Agreement between Tin Plate Factory, Jamshedpur and its working Union for running the factory ..	116
1722. भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses to staff of Food Corporation of India ..	117
1723. बाल चलचित्र समिति में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	Assistant public Relations Officer in Children's Film Society ..	117—118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केरल, राजस्थान, बिहार तथा अन्य राज्यों में बाढ़	Floods in Kerala, Rajasthan, Bihar and other States ..	118—123
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	..118, 120—121
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	..118—120, 121
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	123—125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	.. 125
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha	.. 125
(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill	.. 125
(2) केन्द्रीय रक्षित पुलिस दल (संशोधन) विधेयक	Central Reserve Police Force (Amendment) Bill	.. 125
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक के बारे में याचिका	Petition re. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	.. 125
दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा बारी-बारी से निरन्तर अनशन करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Relay fast in Delhi by Primary School Teachers	.. 126—129
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	.. 126—128
नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matter Under Rule 377	.. 129—131
राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के कार्यकारी पद से त्याग पत्र	Resignation by the Vice-President acting as President	.. 129
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 129—130
श्री एम० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	.. 130—131
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	.. 131—150
खण्ड 4,5,10 तथा 11	Clauses 4, 5, 10 and 11	.. 132—150
दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Deteriorating Law and Order Situation in Delhi	.. 150—160
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 150—151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 151—152
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	.. 152—153
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	.. 153
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	.. 153—154
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 154—155
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	.. 156
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	.. 156—157
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	.. 157
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 157
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 158—160

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 31 जुलाई, 1969/9 श्रावण, 1891 (शक)
Thursday, July 31, 1969/Sravana 9, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Participation of Workers in Profit and Loss in Private and Public Industries

+

*241. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as workers are not directly connected with the profit or loss in industries, they are not interested in the progress or decline of industries and are interested only in raising slogans for lesser work and more wages and bonus;

(b) whether Government would consider participation by the workers in profit and loss of public and private industries ;

(c) if so, the nature of the participation ; and

(d) if the reply to part (b) be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) and (c). This is already provided for in a significant measure, in the bonus scheme incorporated in the Payment of Bonus Act, 1965. A scheme for voluntary Joint Management Councils in large industrial establishments has also been in operation since 1958.

(d) Does not arise.

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon. Minister has stated that this has been already provided for in the bonus scheme incorporated in the payment of Bonus Act, 1965. But the same has been challenged in the Supreme Court now. This is undoubtedly a fact that industrialists do not want to pay more wages to the workers whereas workers clamour for more wages and bonus, with the result that lock-outs and strikes frequently take place and industrial unrest prevails and production suffers heavily. Capital alone cannot yield any results unless it is supplemented by labour and enterprise. But in the existing system, capital and capitalists are considered to be the main factors in the matter of production which is basically a wrong conception. May I know whether Government accepts this principle that capital enterprise and labour are essential and equally important factors of production and in order to, ease industrial unrest and tension, it is necessary to treat them as such and provide for labours participation in the profit and loss of the industry so that workers could work earnestly and have a sense of belonging ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I entirely agree with what the Hon. Member has stated. It is also true that at various places, capital and capitalist are considered to be the main factors of production and labour is neglected. That is the reason why we have brought certain legislations from time to time. At the same time the bare fact that the wages and other facilities of a worker depended on the stability, progress and prosperity of the industry where he is working could also not be ignored. It is also true that the Act has been challenged and we will do whatever improvement is possible there. Joint Management Councils have been constituted in some industrial establishments where workers have been given participation in the management, welfare and vocational training. I may further add that Government is in agreement with the principle of labour participation in management and at present the principle is being implemented in 88 public and private sector units.

Shri Om Prakash Tyagi : At present we have two sectors viz. public sector and the private sector. The Government have nationalised banks and taken over their capital and assets. May I know whether Government will consider the feasibility of creating a third sector consisting of intellectuals, labour and Government-owned capital where the factors of production have a direct participation in the profit and loss and thus leaving no room for any strikes, lockouts and industrial unrest ?

Shri Bhagwat Jha Azad: The supplementary is not relevant as the main question relates to the setting up of new industries. I have already stated that the Government was in agreement with the principle of labour participation in management and at present Joint Management Councils are functioning in 34 public sector undertakings and 54 private sector industries.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, he is evading.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दे दिया है। यदि मैं अन्य सदस्यों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दूं, तो उसका कोई अन्त नहीं होगा। उन्होंने प्रश्न पूछा है और मैं देख रहा हूं कि उत्तर ठीक तथा सन्तोषजनक है या नहीं।

Shri Narayan Swarup Sharma : May I know whether, with a view to ease industrial tension and help the workers understand how the profits and losses occur in the industries, Government accept this proposition that a certain percentage of new shares issued by the industries, at least, in the public Sector should, first, be offered to the workers working in that industry irrespective of the fact that the workers want to purchase them or not. A provision should also be made that the workers should be given a certain percentage of shares in the private sector.

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a very good suggestion for action and I welcome it.

Shri Ram Swarup Vidyarthi: May I know whether Government would initiate any steps to enable the labour to participate in the industries and if not, whether they have made any efforts to infuse 'a sense of belonging' into the workers either in public sector undertakings or private sector industries and if so, with what results ?

Secondly, the Government have nationalised banks. I want to know whether they would manage to give a definite representation to the representatives of the workers in the Board of Directors and if not, the reasons therefor ?

Shri Bhagwat Jha Azad: The Government have accepted the principle that so long as workers do not have a sense of belonging they cannot work earnestly. Some establishments in the country are against such councils although the Indian Labour Conference had approved their formation. The Joint Management Councils are now working on a voluntary basis. The Government have not yet decided to give any legislative form to this principle.

The answer to the second question is that workers' participation in the management has been experimented upon.

So far as the third part of the question is concerned, the matter is being considered at initial stage. However, the Hon. Member may be requested to approach the Finance Ministry for further clarifications as the matter is the concern of that Ministry.

Shri Ram Swarup Vidyarthi: Sir, I have put a specific question and it has not been answered.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अन्तिम प्रश्न को छोड़ कर बाकी सभी प्रश्नों का जवाब विशिष्ट रूप से दे दिया है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi: I had asked a specific question whether representatives of the workers would be given representation in the Board of Directors after the nationalisation of Banks ?

Shri Bhagwat Jha Azad: The Government have decided that workers' representatives should be given maximum possible representation in these councils following the good results achieved by the experiment.

Nationalisation of banks have been effected recently and it is at initial stage. What would be decided in the matter was the concern of the Finance Ministry who may be approached for a definite reply.

श्री रा० बरुआ : मंत्री जी के उत्तर से लगता है कि इस सिद्धान्त का (प्रबन्ध में श्रमिकों का हाथ) प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास के लिये अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । युगोस्लाविया में इस सिद्धान्त की क्रियान्विति से उत्पादन के हेतु तथा नियोजक कर्मचारी सम्बन्धों के मामले में शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा हुआ है । क्या प्रबन्ध में श्रमिकों की भागिता के सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है ? दूसरी बात यह है कि क्या इसका सरकारी क्षेत्र में एक निश्चित प्रयोजन, उद्देश्य तथा निदेश से प्रयोग किया जायेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने अपने अनुभव तथा अन्य देशों के अनुभव के आधार पर यह महसूस किया है कि प्रबन्ध में श्रमिकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्बन्ध अथवा भागिता से बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं । इससे एक दूसरे को समझने में

मदद मिलती है, पारस्परिक विश्वास पैदा होता है तथा सम्बन्ध सुधरते हैं जिससे उत्पादन हमेशा बढ़ता है । यह सच है कि देश में ऐसे संस्थान हैं जहां ये परिषदें नहीं बनने दी गई हैं, यद्यपि भारतीय श्रम सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया है, तथापि इसे सरकारी क्षेत्र में अब तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है । सरकार इस बात से सहमत है कि कम से कम सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्धक बोर्ड में भागिता दी जानी चाहिए । सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, there is a group of workers in the industries which believes in sabotage and damage to the industrial property. The other group such as INTUC functions under the tutelage of Government as also works in the interests of employers denying justice to the workers. Industrialists give huge amounts to the party in power in the shape of donations and contributions which deprives the workers of their legitimate dues. May I know what steps are being taken by the Government to infuse a sense of national feeling and integrity into the workers ? Secondly, capital and labour should be treated on equal footing because these are equally important factors of production. But it is a matter of regret that a worker does not get anything at the time of his retirement even after putting in twenty years of hard labour in an industry whereas the employer makes huge profits and sets up another ten factories during the same period. I want to know whether any steps are being taken or proposed to be taken to provide financial assistance in the form of retirement benefits to a worker at the time of his retirement.

Shri Bhagwat Jha Azad : I agree that labour is as important and essential a factor as capital and capitalists are in the sphere of production. The charge that INTUC functions under the tutelage of Government and industrialists give huge amounts to the party in power is not correct.

So far as the tendency of sabotage among the workers is concerned, we condemn it. This is not the responsibility of the Government alone to infuse a sense of belonging, national feeling and integrity into the workers, but also of various parties to which these unions are affiliate dto share this responsibility. We constituted a National Integration Committee in which representation has been given to AITUC, H.M.S., INTUC as also to the representatives of employees and employers. We appealed to them to condemn such tendencies.

Shri K. N. Tewary : The Hon. Minister has stated that 34 and 54 Joint Management Councils are functioning in the public and private sectors respectively. I want to know whether there is any such council in the Durgapur Steel Plant and if so, what are the reasons responsible for the strike going on there for such a pretty long time as a result of which a loss of about Rs. 97 crores has been reported there.

Shri Bhagwat Jha Azad : There is no Joint Management Council in Durgapur, and the House is aware of the factors responsible for the present state of affairs. In this connection several statements have also been made in this House on previous occasions. We want this matter should end now, and Central Government are taking necessary steps in this regard.

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether Government have any scheme to put to experiment that mill owners should be given a minimum interest on their capital they have invested in the mills and dislodged from the management of these units and the responsibility for their smooth running, entrusted to the workers and Joint Management Councils constituted for the purpose giving representation to the workers therein with a provision for linking their wages directly with the profits and losses the mills incurred ?

Shri Bhagwat Jha Azad : We have not yet reached that stage. At present these Joint Management Councils are functioning on a voluntary basis. But I agree that Government have accepted the principle of labour's participation in the management and it is being expermented upon.

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

+

*242. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ई० के० नायनार :
श्री उमानाथ :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री सूरजभान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री क० लकप्पा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस बोर्ड को पेचीदा मामलों को निपटाना पड़ता है । यह बताया गया है कि अधिकांश कर्मचारियों के मजूरी-विन्यास के बारे में निर्णय लिये जा चुके हैं, लेकिन थोड़े से वर्गों के बारे में निर्णय लेना अभी बाकी है । बोर्ड अपने कार्य को पूर्ण करने के लिये जल्दी-जल्दी बैठकें बुला रहा है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : This Wage Board was set up in 1964. This Board has not submitted its report even after passing of such time. I want to know the number of times the Port and Dock workers resorted to strike during this period.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that this Board was set-up in November, 1964 and we expected that it would submit its report soon but it has not done so. The Board has recommended interim relief twice during this period and it has been given to the workers. I am not in a position to tell the number of times the workers have resorted to strike during this period.

Shri Ram Gopal Shalwale : Secondly, I want to know whether the expected report will have solution for the demands of the workers of all the Portland docks ? I also want to know whether the workers of the Goa port will also be entitled for the concessions and facilities which will be recommended by this Board as the workers of the Goa port had also resorted to strike ?

Shri Bhagwat Jha Azad: The Board will give its recommendations about all those matters which have been referred to it. The workers of the Goa port had resorted to strike for some different matter and it has no concern with the Board.

Shri Brij Bhushan Lal: The Government had set up a National Labour Commission in December, 1966. A Study Group for the ports and docks was set up in August, 1967. It has given an important recommendation in January, 1968 which is as follows:

"The gains of productivity, if any, shall be shared on 50:50 basis, the details to be worked out by employers and employees through collective bargaining."

I want to know the difficulties in accepting and implementing this principle quickly as the Hon. Minister has admitted in the answer to an earlier question that Government is prepared to do that?

Shri Bhagwat Jha Azad: It has no connection with the original question. It is a recommendation of the Sub-committee of the National Labour Commission. Commission's report is awaited and we will consider when it is received.

Shri Deven Sen: There have been three awards one each from the Labourers, Employers and Board. I want to know which is being considered by the Government.

Shri Bhagwat Jha Azad: We have yet to receive the report.

उड़ीसा तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाह की स्थापना

+

*243. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० रानेन सेन :
श्री अदिचन :
श्री कं० हाल्दर :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्था द्वारा उड़ीसा भेजे गये विशेषज्ञ दल ने समुद्र से मिलने वाले उत्पादों और मछली पालन का राज्य में विकास करने और इनका निर्यात बढ़ाने के लिये उड़ीसा तट पर मछली पकड़ने का एक बन्दरगाह बनाने के लिये सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) उनके वित्तीय पहलू क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Manibhai J. Patel: Will the Hon. Minister state the time this institute will take in submitting its report? This institution has not been able to submit its report to the Government.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह काम इस संस्था को अप्रैल 1969 में सौंपा गया था अर्थात् लगभग $2\frac{1}{2}$ मास पूर्व उन्होंने विभिन्न राज्यों की यात्रा की है। निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये इसको अभी कुछ समय लगेगा।

Shri Manibhai J. Patel: The Hon. Minister has just now stated that this work was entrusted to the Institute only $2\frac{1}{2}$ months earller and that they have gone to various states for survey purposes. I want to know about the situation prevailing in various states and potentialities of various things which have been surveyed?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किये गये हैं। विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादों तथा मत्स्य क्षमताओं के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन हमारे पास उपलब्ध हैं। परन्तु जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है इसको विशेष समस्याओं का अध्ययन करना है और समुद्र से मिलने वाले उत्पादों तथा निर्यात क्षमता आदि के बारे में सर्वेक्षण करना है। यह निर्यात संवर्धन के संदर्भ में भी है।

Shri Rabi Ray: I would like to know whether Government will fix some time-limit for presenting the report keeping in view the potentialities of the Chilka lake and the sea in Orissa and when this report will be presented in the House.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक विकास सम्बन्धी गतिविधियों का सम्बन्ध है, ये प्रतिवेदन की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती हैं। वास्तव में उड़ीसा सहित समूचे देश की छोटे तथा बड़े पत्तनों का विकास कार्य चल रहा है। अतः यह प्रतिवेदन पर निर्भर नहीं है, इस प्रतिवेदन से विकास के लिये कुछ क्षेत्रों को चुनने में सहायता मिलेगी और जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा सरकार इसकी जांच करेगी और यदि कुछ सिफारिशों को लाभदायक समझा गया तो हम उनको स्वीकार करेंगे और उस आधार पर विकास कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : खाद्य और कृषि मंत्रालय के वैदेशिक व्यापार की भारतीय संस्था द्वारा उड़ीसा में तटवर्ती क्षेत्रों के सर्वेक्षण में रुचि लिये जाने से पूर्व ही मत्स्य विकास के चिल्का झील पर अनेक वर्षों से काम कर रही केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्था ने इस समस्या का अध्ययन किया था। जहां तक चिल्का झील में मत्स्य अनुसंधान योजनाओं का सम्बन्ध है वह प्रतिवेदन सरकार के पास है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्था की सिफारिशों, जोकि सरकार के पास हैं, कोई निर्णय किया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक बिल्कुल पृथक प्रश्न है। यह उचित नोटिस दिया जाये तो मैं माननीय सदस्य को सूचना दे सकूंगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि मेरा प्रश्न उसी क्षेत्र के बारे में है जिसका वैदेशिक व्यापार की संस्था के दल ने दौरा किया है।

श्री रा० की० अमीन : यह सर्वविदित तथ्य है कि हमने देश में समुद्र से मिलने वाली उत्पादों विशेषकर मछलियों के विकास के बारे में पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये हैं। माननीय मंत्री

यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात राज्य में 1000 मील लम्बे समुद्र तट हैं और इस ओर अपर्याप्त प्रयत्न ही किये गये हैं । समुद्र से मिलने वाली उत्पादों तथा मत्स्य विकास की शीघ्रता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री गुजरात में मत्स्य पत्तन बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में मत्स्य विकास की पर्याप्त क्षमता है । माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि विकास कार्य पहले ही बहुत अच्छी तरह से चल रहा है । पिछले वर्ष मछलियों के निर्यात में 24 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । जहां तक गुजरात तट पर पत्तन विकास का सम्बन्ध है सरकार ने इस बारे में पहले ही कुछ कार्यवाही की है ।

फसल बीमा योजना

+

*245. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फसल बीमा योजना आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस योजना को लागू कर दिया है ; और

(ग) यह योजना पूर्ण रूप से कब तक लागू कर दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते ।

Shri Yashpal Singh : This matter of crop insurance was raised before man's victory over moon. Victory over moon has already been achieved but crop insurance has not yet started. I want to know when the scheme of crop insurance will be implemented and the step Government intend to take in this connection ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता की सराहना करता हूं । यह मामला सभा में अनेक बार उठाया गया है । हमने यह योजना राज्य सरकारों को उनके टिप्पणों हेतु भेजी थी । स्वाभाविक है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है, कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार इसके लिये वित्त दे तो वे इस योजना को क्रियान्वित करने को तैयार हैं । आरम्भ में पंजाब सरकार इसको लागू करने के लिये बहुत उत्सुक थी और हमने सोचा कि पंजाब सरकार का सहयोग लेना अच्छी बात होगी । परन्तु पंजाब सरकार ने अपने पहले विचारों को बदल दिया है और पंजाब सरकार ने अब कहा है कि उनके राज्य में बहुत कम असुरक्षित क्षेत्र हैं और वह इस योजना को शुरू करने में रुचिकर नहीं हैं । वित्तीय जटिलताओं तथा राज्य सरकारों के रवैये की जांच की जा रही है । जब हमने

योजना को राज्य सरकारों के टिप्पणों के लिये भेजा था तो उस समय पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में कोई जनता की सरकार नहीं थी । भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि उन जनता की सरकारों के टिप्पण प्राप्त करना अच्छा होगा और हमने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अब यह योजना भेज दी है ।

Shri Yashpal Singh : How the farmer will be able to meet his requirements unless it is done ? You have connected the farmers with the banks and the banks do not give them money even after the lapse of one year. The State Bank of India sanctioned three thousand rupees for me. They charged Rs. 750/- from me for registration and mortgaged property worth 50,000 rupees but they did not give me the money for about eight months. I want to know the time by which the scheme will be implemented and when the farmer will get the relief ? Shri Bibhuti Mishra is not present here, he knows the difficulties of the farmers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की शिकायत वास्तविक हो सकती है परन्तु इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय तथा कुछ राज्य सरकारें इस मामले पर ध्यान दे रही हैं और कुछ राज्य सरकारें आरम्भ में इस योजना के प्रति बहुत उत्सुक थीं परन्तु अब वे आगे नहीं आ रही हैं और वे चाहती हैं कि केन्द्रीय सरकार सारा व्यय वहन करे । किसानों के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विशेषकर उस क्षेत्र के लिये जहां पर अकाल तथा सूखा प्रायः पड़ता रहता है और जो क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हैं । क्या इस योजना को केन्द्रीय वित्त से क्षेत्र विशेष में पायलट आधार पर चलाया जायेगा ताकि यदि यह उस क्षेत्र में सफल रहती है तो वह राज्य सरकार को इसको सिफारिश कर सकते हैं, बजाये इसके कि किसानों की आकांक्षाओं को उभारा जाय और बाद में योजना को लागू न करके सरकार के प्रति प्रतिकूल राय उत्पन्न की जाय ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार द्वारा योजना का अन्तिमरूप से अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Ram Charan : Will the Hon. Minister be pleased to state the reasons why the buffalo, cow and fields of the farmers, are not insured as is done in the case of Government employees, businessmen and many others ? You are nationalizing every thing. Life Insurance was nationalized to give benefit to the farmers and after that banks have been nationalized. Whenever the question is asked to the Minister he says the information has not been received from such and such State. I want to know when the Government will enforce the scheme of compulsory insurance of the property, buffalo, cow of the farmers so that the farmers may feel the effects of the nationalization otherwise this nationalization is a farce and a political stunt.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई राज्य सरकार ढोर बीमा लागू करना चाहे तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है । वर्तमान कानून के अन्तर्गत ढोर बीमा लागू किया जा सकता है । बीमा का काम करने वाला कोई भी ऐसा कर सकता है और कानून में इस बारे में कोई मनाही नहीं है ।

भारत सरकार के समक्ष जो योजना है उस बारे में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अनिवार्यता का तत्व लागू किया जाये। विधि मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि यदि अनिवार्यता के तत्व को लागू किया जाता है तो इस बारे में केन्द्रीय कानून होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर इस योजना पर विचार किया जा रहा है। यदि स्वेच्छा से कोई इस योजना को लागू करना चाहे तो उसपर कोई रोक नहीं है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सामान्यतः मोटरों और स्कूटरों आदि का बीमा होता है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि देश में खेतिहरों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी स्थिति का पूरी तरह ध्यान नहीं रखा जाता है क्या सरकार वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के खेतिहरों के भाग्य पर विचार करेगी और फसल बीमा को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजना को आवश्यक कानून के बनाये जाने के पश्चात ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

श्री रंगा : सरकार द्वारा एक अथवा दो संघ राज्य क्षेत्रों में इसका तर्जुबा न किये जाने के क्या कारण हैं ? पहले सरकार ने यह कहा था कि उन्होंने दैवी प्रकोपों के लिये बीमे की एक योजना तैयार की है और उन्होंने राज्य सरकारों को इसमें भागीदार बनने के लिये आमंत्रित भी किया था ताकि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इसमें अंश रख सकें, सरकार द्वारा अनिवार्य फसल बीमा योजना को लिये जाने से पूर्व इस योजना पर विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ? उस विधेयक को कब तक लाया जायेगा जिसका माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस योजना पर बीमा विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया था और योजना के तैयार किये जाने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव को भी ध्यान में रखा गया था। विशेषज्ञों का मत है कि भारतीय परिस्थितियों में अनिवार्यता का तत्व लाना आवश्यक है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कानून बनाये जाने से पूर्व इसको संघ राज्य क्षेत्रों में भी पायलट आधार पर लागू करना सम्भव नहीं है। अतः जब तक योजना का अनुमोदन नहीं हो जाता और कानून नहीं बन जाता योजना को आरम्भ करना सम्भव नहीं है।

श्री रंगा : विधेयक को कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह भी विचाराधीन है। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। राज्य सरकारों के टिप्पणों को अभी प्राप्त करना है। वित्तीय जटिलताओं की जांच की जानी है। उसके बाद ही सरकार के लिये कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या यह सच है कि कुछ सामान्य बीमा समवायों ने फसल बीमा आरम्भ कर दिया है ? महाराष्ट्र में ब्रिटिश इण्डिया जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी ने गन्ने तथा अंगूर का बीमा करना आरम्भ कर दिया है। स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बाद भी यह कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी के रूप में काम कर रही है और फसल बीमा के क्षेत्र में सबसे आगे है। इस तथ्य को देखते हुए क्या कृषि मंत्रालय वित्त मंत्रालय को फसल बीमा करने वाली कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश करेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : किसी भी राज्य में कोई संगठन, चाहे वह सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी हो, किसी भी फसल, व्यापारिक फसल अथवा बागवानी की फसल का बीमा कर सकता है और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई भी इस काम को शुरू करने के लिये स्वतन्त्र है तथा हम ऐसे काम को प्रोत्साहन देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Minister will admit that the country has to suffer a loss of crores of Rupees because of drought and floods every year and the farmers in villages have to undergo heavy loss. In view of that will the Hon. Minister and the Central Government kindly recommend to the Life Insurance Corporation to start a scheme of voluntary crop insurance and if not, the reasons therefor? May I also know whether any alternative scheme has been suggested by any State Government, the details thereof?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि सरकार को यह काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये तथा यह काम किसी स्वायत्तशासी अथवा स्वतन्त्र निकाय को सौंपा जा सकता है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारें चाहती हैं कि योजना आरम्भ करने से पहले अन्य राज्यों में इस योजना से प्राप्त अनुभवों की प्रतीक्षा की जाये।

राज्य सरकारों ने बहुत पहले यह विचार व्यक्त किये थे परन्तु वहां नई सरकारें बनने के बाद हमने यह मामला पुनः उनके पास भेजा है।

मैं नहीं समझता कि जीवन बीमा निगम यह कार्य अपने हाथ में ले सकता है परन्तु अन्य बीमा समवाय यह कार्य शुरू कर सकते हैं और इस सुझाव की जांच की जा सकती है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप उन्हें ऐसा करने की सिफारिश क्यों नहीं करते।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम इसकी सम्भावना की जांच कर सकते हैं।

Shri Randhir Singh : All steps have been taken to suppress the farmers. Ceilings have been imposed on them, prices have been fixed, zones have been constituted and taxes have been increased. I would like to know whether anything has been done during last twenty years for the benefit of agriculturists? Will the Hon. Minister introduce any scheme for the benefit of 40 crore farmers on an emergency level as was done in the case of nationalisation of banks? If the Chief Ministers do not agree to it, it should be done through an ordinance. A crop insurance scheme should be introduced by creating a rural development fund in L. I. C. If not, the reasons therefor may be explained.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में यह मामला उठाऊंगा। यदि यह मामला किसी बीमा समवाय को स्वेच्छा के आधार पर सौंपा जाये तो सन्देह है कि यह योजना सफल नहीं होगी। अतः प्रश्न यह है कि किसी भी क्षेत्र में सभी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा कराना अनिवार्य होना चाहिये। इससे कठिनाइयां पैदा होती हैं, जब तक राज्य सरकारें सहमत न हों, केन्द्रीय सरकार के लिए यह जिम्मेवारी लेना संभव नहीं है। कृषि पूर्णतया राज्यों का विषय है। अतः किसी राज्य में फसल के बीमे की कोई योजना क्रियान्वित करना, अपने ऊपर लेना केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। मैं यह मामला मुख्य मंत्रियों के साथ पुनः उठाऊंगा और हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

श्री रंगा : प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बीमे की एक योजना भी थी ।

श्री जगजीवन राम : यह केवल धन लगाने का प्रश्न है । कुछ धन केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है और कुछ राज्यों द्वारा, दोनों में अन्तर है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या कोई अग्रिम योजना लागू की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : उसके लिए धन कहां से आयेगा ? राष्ट्रीय विकास निगम ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय फालतू राशि के आवंटन के ढांचे के बारे में निर्णय किया है ।

श्री मंगलाथुमाडोम : क्या इस बारे में राज्य सहकारी बैंकों तथा कृषि संस्थाओं से परामर्श किया गया है और क्या प्रस्तावित कृषि आयोग को भी फसलों के बीमे सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करने के लिए कहा गया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारें इस मामले से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं और जिससे चाहें परामर्श कर सकती हैं ।

छोटे किसानों को ऋण

+

*246. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

डा० सुशीला नैयर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋणदाताओं, व्यापारियों तथा अमीर किसानों ने सहकारी ऋण समितियों पर नियंत्रण कर लिया है और इस प्रकार वे अनुचित लाभ उठा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई योजना अथवा कानून बनाने का है जिससे छोटे किसानों को ऋण मंजूर किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कुछेक ऋण सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों का उद्‌भव, जिससे थोड़े से प्रभावशाली व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिलता है, एक ऐसी क्रिया है जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किये हुए है ।

फसल ऋण प्रणाली सभी वर्गों के काश्तकारों को विभिन्न फसलों को उगाने सम्बन्धी उनकी आवश्यकताओं और उनकी वापसी अदायगी की क्षमता के आधार पर अल्पकालीन ऋण देने के लिए लागू की गई है । सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन ऋणों के बारे में ऋणदायी नीतियों तथा प्रक्रियाओं को उदार बनाने और फसल ऋण प्रणाली को

कारगर रूप में लागू करने के लिए कहा जाता रहता है। सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और कमजोर वर्गों को ऋण देने में सन्निहित जोखिमों की पूर्ति करने की दृष्टि से सरकारी उपदान से विशेष अशोध्य ऋण संचितियों का निर्माण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। जून, 1968 में मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने निहित स्वार्थों के उद्भव को रोकने के लिए कुछेक विशिष्ट सुझाव दिये थे। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए अपने सहकारी कानूनों में कानूनी उपबन्ध, जहां ऐसे उपबन्धों की आवश्यकता हो, शामिल करें। ऐसा कुछ राज्यों में कर दिया गया है और अन्यों में इस पर सक्रियरूप से विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार ने छोटे किसानों को सहायता देने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है, जो चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जानी है। इस योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Hon. Minister be pleased to state whether any legislation is proposed to be enacted or has been enacted to give loans to small farmers? So far only big farmers and traders have been given loans. I would like to know the time by which provision for such loans will be made.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह ठीक है कि छोटे कृषकों की संख्या अधिक है। मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि छोटे कृषकों के इस वर्ग के लिए कुछ अधिक किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तथा बाद में सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ कार्यवाहियों के बारे में निर्णय किया गया था। राज्य सरकारों को इन सिफारिशों के बारे में बताया गया था और विभिन्न राज्य सरकारें छोटे कृषकों को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देने तथा अन्य सेवाएं तथा कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रही हैं। केरल तथा महाराष्ट्र सरकारों ने विधियों में संशोधन कर दिया है और इस बारे में कुछ अन्य सरकारें कार्य कर रही हैं। सम्भव है कि वे भी विधियों में संशोधन करें ताकि छोटे कृषकों से भविष्य में अधिक लाभ मिले।

Shri Chandra Shekhar Singh : The Minister has not told the time by which the law will be be amended and when it will be enforced.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने सम्मेलन की सिफारिशें पहले ही परिचालित कर दी हैं और राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। सभी इस बात से सहमत हो गये हैं कि छोटे कृषकों को भविष्य में अधिक लाभ मिलने चाहिये। कृषि मंत्रालय छोटे कृषकों को सुविधायें देने के लिए समूचे भारत में अग्रिम आधार पर एक अभिकरण स्थापित करने का विचार कर रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए यथासमय सहकारी समितियों को प्रयोग में लाया जायेगा।

श्री योगेन्द्र शर्मा : विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कब तक आवश्यक परिवर्तन किये जाने की आशा है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम यथासम्भव शीघ्र यह मामला लेने के लिए उत्सुक हैं।

श्री क० नारायण राव : मेरा अनुभव यह है कि ग्रामों में छोटे कृषकों को सहकारी संस्थाओं से लाभ नहीं मिलता तथा वे वार्षिक फसल पर वापिसी के आधार पर छोटे ऋण-दाताओं से ऋण लेते हैं। छोटे कृषकों के नाम पर जाली हस्ताक्षर करके सहकारी संघ चलाने वाले सेन्ट्रल बैंक से ऋण ले लेते हैं और उसका भुगतान नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप ऋण नहीं मिलते। क्या सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में सोच रही है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम निहित स्वार्थों की समस्याओं को मानते हैं। इस कारण राज्य सरकारों को विभिन्न पग सुझाये गये हैं। इस बारे में सहकारी संस्थाओं को कुछ पहल करने के लिये कहा गया है। उदाहरण के लिये हमने उन्हें कहा है कि उगाई गई फसलों तथा पुनः भुगतान की क्षमता के आधार पर भविष्य में ऋण दें। हम जोखम उठाने के लिये भी कुछ विशेष राशि पृथक रख रहे हैं। सहकारी समितियों की सदस्यता के बारे में भी अन्य कार्यवाहियां किये जाने का विचार है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वास्तविकता को स्वीकार कर लिया गया है और विद्यमान प्रणाली में त्रुटियां दूर करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ऋण संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : ढांचे में परिवर्तत के सवाल पर विचार किया जा रहा है परन्तु सहकारी समितियों के ढांचे में आमूल परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। हमने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि सहकारी समितियों में से ऋणदाता तथा सभी प्रकार के बिचौलिये निकाल किये जाने चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether Government have ascertained through their own sources or with the help of State Government regarding the indebtedness of small farmers to private moneylenders to such an extent that it has become difficult for them to be freed from payment of compound interest in their life time? Have you made any survey in order to ascertain the number of such farmers and the means by which they can overcome such a situation?

श्री जगजीवन राम : छोटे कृषकों के बारे में पृथक सर्वेक्षण तो नहीं परन्तु समूची ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता के बारे में सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें संदेह नहीं कि बहुत बार सहकारी समितियों अथवा अन्य ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से ऋण की सुविधायें छोटे कृषकों को न मिलकर बड़े कृषिकों को मिलती रही हैं।

हमारी दो या तीन योजनाएं हैं। योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए एक योजना पर विचार कर रहा है। उसके अनुसार हम प्रत्येक राज्य में कुछ जिलों में छोटे किसानों के लिये ऋण और कृषि के लिये अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में ध्यान कर सकेंगे। सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि पहले सहकारी समितियों से निहित स्वार्थों को हटाया जाये और सहकारी अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि कुछ एक व्यक्तियों का लम्बे समय तक

सहकारी समितियों पर एकाधिकार न बना रहे। इस बारे में राजनैतिक दबाव भी पड़ रहा है परन्तु कुछ राज्य सरकारें इस कार्य को कर रही हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कृषि के क्षेत्र में आ जाने से वे बड़े किसानों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और छोटे किसानों को सहकारी समितियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराना होगा।

सभा यह जानती है कि केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्यों को सुझाव देना है। मुख्य जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की ही है। देहातों में ऐसा होने पर मुझे बहुत चिन्ता है। यदि कृषि विकास में यह प्रवृति चलती रही तो असन्तुलन उत्पन्न हो जायेगा और बड़े और छोटे किसानों में मनमुटाव की भावना फैलेगी।

Shri Bibhuti Mishra : He has drawn a true picture of the situation. I want to explain about the position of Bihar. There are certain members of a Cooperative Society and they do not allow others to be enrolled members. Efforts were made to check this by legislation, but no law could be enacted on all India basis.

About 70 per cent of our population is that of farmers, who live in rural areas. Most of them have very small holdings. They want to be members of cooperatives, but they are not made the members. I myself have a bitter experience in this regard.

I want to know from the Hon. Minister whether Government is contemplating to amend the Constitution and make a law on an all India basis, so that poor farmers may get loan and improve their agriculture ?

श्री जगजीवन राम : हम सहकारी आन्दोलन के मार्ग की रुकावटों और उससे होने वाले फायदों को जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जाता, तो वह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मिल सकता है और वह इसका आदेश देंगे। यदि रजिस्ट्रार के आदेश से कोई व्यक्ति सदस्य बनाया जाता है और अन्य सदस्य उससे शत्रुता का रवैया अपनाते हैं, तो ऐसी स्थिति का कानून द्वारा हल नहीं निकाला जा सकता।

जहां तक संविधान में संशोधन करने का सम्बन्ध है, मैं यह ठीक नहीं समझता कि सहकारी समितियों को केन्द्रीय विषय बनाया जाये। अतः संविधान के संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है। हमें गैर-सरकारी स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। ताकि सहकारी आन्दोलन में सुधार किया जाये और कोई विधान आवश्यक होगा ताकि निहित स्वार्थों को निकाला जा सके। वाणिज्यिक बैंकों ने छोटे किसानों को ऋण देना आरंभ कर दिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : Have they ascertained about the places in the country, where there is no arrangement of Cooperative Banks. In Chhotanagpur area of Bihar, individual moneylenders lend money to farmers and on a high rate of interest and harass them. I want to know whether Government has suggested to the State Governments that they should pass legislation making it obligatory to enroll the small farmers as members of the cooperatives and fixed amount of money should be earmarked for them ; if not, whether it is proposed to do so ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने 'फसल ऋण प्रणाली' आरंभ की है जिसके अन्तर्गत कोई भी किसान, जोतदार, आदि सहकारी समिति से ऋण ले सकते हैं।

Shri Meetha Lal Meena : The farmers cannot take benefit from cooperatives, because they suffer from many defects. Farmers can take loan from land mortgage banks, but it involves a lot of inconvenience, because they have to go through a cumbersome procedure for this. For this they have to pay bribe. May I know whether the procedure would be simplified and whether more branches would be opened ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने राज्यों से प्रक्रिया सरल करने को कहा है । यह ठीक है कुछ खराब प्रवृतियां हमारे ध्यान में लायी गई हैं । हमने कहा हैं कि किसानों को बिना किसी कठिनाई के ऋण दिया जाये । राज्य सरकारें पहले ही इसको कार्यान्वित करने जा रही हैं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खान-पान प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्था, नई दिल्ली

*244. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खान-पान प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्था, नई दिल्ली के प्रशासन के विरुद्ध विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्था के मामलों की जांच करने के लिये भारत सरकार के खान-पान सलाहकार को भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके जांच निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार होटल मैनेजमेंट, केटरिंग तथा पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली के प्रशासन के विरुद्ध किसी विशिष्ट शिकायत से अवगत नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Import of Dia-Ammonium Phosphate

*247. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the name of the fertilizer which is as good and as cheap as dia-ammonium phosphate and which has been made available to farmers after stopping the import of dia-ammonium phosphate ; and

(b) whether Government are aware that farmers prefer to use phosphorous alongwith nitrogenous fertilizer and if so, the name of the nitrogenous fertiliser containing phosphorous which is being made available to farmers by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). It is, no doubt, true that Di-Ammonium Phosphate is one of the cheapest sources of phosphatic fertilisers and gives very good results. Its imports were, however, temporarily stopped because there were large quantities of imported Di-ammonium phosphate in stock within the country and because some of the indigenous factories, manufacturing phosphatic fertilisers had also accumulated stocks of fertilisers which required to be cleared. The farmers did not have difficulty in obtaining their requirements of Di-Ammonium phosphate because adequate stocks of this fertiliser were held by the State Governments and also indigenously produced Di-ammonium phosphate and ammonium phosphate of various grades which combine both nitrogen and phosphorous were also available for sale in the country.

Deaths Due to Drought in Rajasthan

*248. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Meetha Lal Meena :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a memorandum submitted to the Prime Minister during the last month, it has been demanded that the incidents of deaths due to famine in Rajasthan and the corruption rampant in relief works may be inquired into by the Centre and that Rajasthan Canal should be included in national works ; and

(b) if so, the action taken in that regard so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the memorandum was forwarded to the Chief Minister of Rajasthan for necessary action. The State Government were particularly asked to ensure that everything possible was done to prevent deaths in scarcity affected areas and to look into complaints regarding corruption in relief works with a view to its eradication. The demand regarding the Rajasthan Canal Project was forwarded to the Ministry of Irrigation and Power for consideration.

समाचार-पत्रों का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय

*249. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाचार पत्रों का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय करने के लिए एक योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Improvement in Supply Position of Milk by Delhi Milk Scheme

*250. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Supply Scheme is unable to meet the requirement of milk of Delhi ;

(b) if so, the measures proposed to be taken to improve the position ; and

(c) the date by which it would be possible to meet the entire requirement of milk of Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. Delhi Milk Scheme is issuing 2,67,000 litres of milk per day against the total requirements of milk estimated at about 5 lakh litres per day by the Expert Team in the year 1964. City's requirement of milk is likely to have increased since then and is broadly estimated at about 6 lakh litres. D. M. S. at present is thus supplying about 45% of the total requirements of the city.

(b) The following measures have been taken by Delhi Milk Scheme to improve the position :

(i) Firm agreements have been entered into with the contractors who supply milk to D.M.S. They are now subject to a penalty of Rs. 5/- per quintal in case of failure to supply the agreed quantity of milk during the year.

(ii) In order to provide an incentive to the contractors, the rate of commission payable to them has been increased.

(iii) Procurement area of the D.M.S. has been extended. A new procurement area in the Haryana State about 20 miles away from Karnal has been taken up. Milk Collection has also been started from areas in district Muzaffarnagar in U. P. and districts Alwar and Bharatpur in Rajasthan.

(iv) Four intensive Cattle Development Programmes have been sanctioned for the milk shed of D.M.S. in districts Meerut (U. P.), Gurgaon and Karnal (Haryana), and Bikaner (Rajasthan).

(v) The work of organisation of Co-operative Societies in Karnal I.C.D.P. area has been taken up on an intensive basis. Loans for the purchase of milch animals are being provided to the producer members of these Societies.

(vi) A scheme for cattle development in Rohtak district of Haryana has been prepared for being financed from the World Food Programme funds available with the Delhi Milk Scheme.

(vii) Arrangements have been made for purchase of up to 1,00,000 litres of milk per day from Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union, Mehsana (Gujarat) in due course. Supplies from the Mehsana Union have been started from December last and at present daily average of about 15,000 litres of milk is being received from them.

(viii) Action is in hand for expansion of Central Dairy of the Scheme to its optimum handling capacity. The Central Dairy is being expanded from its original capacity of 2,55,000 litres per day to 3,00,000 litres in the first stage, and to 4,35,000 litres per day in the 2nd stage.

(ix) A Balancing Station with a capacity of 50,000 litres per day in the first stage is being set up at Bikaner in Rajasthan.

(x) Management Committee and Governing Body of the Delhi Milk Scheme have approved in principle the proposal for setting up of a 2nd Dairy for the Delhi Milk Scheme.

(c) Every effort is being made to increase procurement and handling capacity of the Scheme to ensure availability of D.M.S. service to as large a section of Delhi population as possible. It is difficut, however, to state precisely how soon this may be possible.

खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार

*251. **श्री दे० अमात :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री जे० के० चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के राज्यकीय व्यापार में हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में कितनी हानि हुई है ;

(ग) हानि के क्या कारण है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 93.69 करोड़ रुपये ।

(ग) खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में हानि केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों के लागत मूल्यों से अपेक्षाकृत कम निर्गम मूल्यों पर वितरण करने के कारण हुई है । इस प्रकार यह हानि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के वितरण में दी गई राज-सहायता को प्रकट करती है ।

(घ) राज-सहायता की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से सरकार खाद्यान्नों के लागत मूल्यों के स्तर तक लाने के लिये खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों को धीरे धीरे बढ़ाती रही है । फिलहाल केवल आयातित चावल व आयातित माइलों के वितरण पर ही राजसहायता दी जा रही । खाद्य स्थिति में सुधार होने और भविष्य में विदेशों से कम आयात करने से राज-सहायता की मात्रा में और भी कमी होने और अंततः पूर्णरुपेण समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

पटसन उद्योग के श्रमिकों की मांगें

*252. **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की पिछली बैठक में उन्होंने प्रति श्रमिक 24 रुपये की तदर्थ वृद्धि की जो सिफारिश की थी, उसको इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटसन उद्योग के श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिये त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस त्रिपक्षीय सम्मेलन का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). श्रमिकों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिये राज्य स्तर पर जो त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई हैं वे अभी तक सफल नहीं रही है ।

Setting up of another Dairy in Delhi

*253. **Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been formulated to set up another Government Dairy in Delhi and whether a site for it has been selected ;

(b) if so, the details of the scheme and the site selected for the dairy ; and

(c) the estimated gain to be achieved as a result of the implementation of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Management Committee and the Governing Body of Delhi Milk Scheme have approved a proposal for the setting up of a second dairy at Delhi. The proposal is yet to be considered by the Government. The site has not yet been selected.

(b) Details of the proposal have not so far been worked out by the Delhi Milk Scheme. Meanwhile, the offer of the Delhi Development Authority of a site measuring 60 acres in Patparganj Industrial Area across the Jamuna River is under consideration of the Delhi Milk Scheme.

(c) After the second dairy is established, the Delhi Milk Scheme will be able to serve larger sections of Delhi's population, than at present.

श्रम प्रधान परियोजनाएं

*254. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के अन्त तक रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में वृद्धि और रोजगार के आंकड़े 3.25 लाख से कम होकर 3.19 लाख हो जाने के कारण उनका विचार योजना आयोग को अधिक श्रम प्रधान परियोजनाएं बनाने के लिये परामर्श देने का है ;

(ख) उसी अवधि में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 10.87 लाख से 13.00 लाख तक बढ़ जाने के कारण क्या उनके मंत्रालय ने अन्य देशों में रोजगार के अवसर तलाश करने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय की सहायता मांगी है ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में गत वर्ष की 1.9 प्रतिशत की कमी की तुलना में 2.4 प्रतिशत

की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार करों में रियायत करके कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पहिले से ही श्रम केन्द्रित परियोजनाओं पर बल दिया है । इनमें सड़क, छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सहकारिता, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, आवास एवं नगर विकास की परियोजनाएं सम्मिलित हैं । 1966-69 की एक वर्षीय तीन योजनाओं और 1961-66 की तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं पर लगायी गई औसत वार्षिक राशि की तुलना में चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रम केन्द्रित परियोजनाओं पर परिव्यय की राशि अधिक बढ़ाई जायेगी ।

(ख) विदेशों में अपने दूतावासों द्वारा विदेश मंत्रालय, विकासशील मित्र देशों में उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों को भेजने का प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के औद्योगिक कार्यक्रम और नीतियां इस बात को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं कि औद्योगिक ढांचे में संतुलन लाने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है जिसमें अभी तक निर्मित क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके ।

खेती वाली भूमि

*255. **श्री प० मु० सईद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने एकड़ भूमि पर अनाज पैदा करने के लिये कृषि की जाती है ;

(ख) उसमें से कितने एकड़ भूमि पर अधिक उपज वाली किस्मों के अनाज के बीज बोये गये और कितनी भूमि पर कई फसल उगाई गयीं ; और

(ग) क्या 1969-70 में और अधिक भूमि पर अधिक उपज वाली फसलें बोने के लिये कुछ विशेष प्रयत्न किए गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1967-68 के लिये भूमि उपयोग के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं । उस वर्ष की अवधि में देश में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत आया कुल क्षेत्र लगभग 3000 लाख एकड़ था ।

(ख) 1967-68 में उपरोक्त क्षेत्रफल में से 149.2 लाख एकड़ क्षेत्रफल अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 92.5 लाख एकड़ क्षेत्र बहुगुणी फसलों के कार्यक्रम के अन्तर्गत था ।

(ग) जी हां। 1969-70 के दौरान 270 लाख एकड़ भूमि को अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की योजना है। राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय दल ब्योरे को अन्तिम रूप दे रहा है।

Abolition of Food Zones

*256. **Shri Valmiki Choudhary :** **Shri R. K. Amin :**
Shri S. P. Ramamoorthy : **Shri Balraj Madhok :**
Shri P. N. Solanki : **Shri N. K. Somani :**
Shri S. Xavier : **Shri S. B. Patil :**
Shri Gadilingana Gowd : **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to abolish the food zones ;

(b) if so, the decision taken in this regard ; and

(c) the circumstances in which the food zones will be abolished and the time by which it would be possible to do so ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government's approach to food zones has always been pragmatic. The food zones are kept under constant review, and such relaxations as are warranted by the food situation are made, from time to time.

Setting up of Development Agencies

*257. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1573 on the 8th May, 1969 and state :

(a) whether the pilot scheme to set up Developmental Agencies of small farmers in some selected districts has since been considered finally ;

(b) if so, the names of the districts in which that scheme would be implemented and the criteria for selecting districts for the purpose ; and

(c) if the scheme has not been considered finally, the reasons for delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The scheme has been formulated but is yet to be finalised.

(b) The scheme is to be put into operation in certain selected (20/21) districts in different parts of the country. The criteria for selection would be (1) availability of significant number of small farmers who are at present not credit-worthy but are potentially viable and can become credit-worthy with some investment, intensive cultivation and help with services and inputs (2) existence of surface water irrigation or groundwater potential, which can be

exploited. (3) presence of infra-structure for disbursing credit in the area such as *LDBS/ *CCBS. Selection of the districts would be made in consultation with the State Governments concerned.

(c) Scheme is pending for consideration of Expenditure Finance Committee.

कलकत्ता और राजकोट के लिये अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर

*258. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री म० ला० सोंधी :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और राजकोट में 1000 किलोवाट के दो 'सुपर पावर' मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को स्थापित किये जाने का कार्य निर्धारित समय से एक वर्ष पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर को स्थापित करने के कार्य को समय पर पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस विलम्ब के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) देरी के कारण हैं :

कलकत्ता के ट्रांसमीटर के बारे में :

(1) माल भेजने वालों से सामान तथा ट्रांसमीटर खड़ा करने वाले औजारों की देर से प्राप्ति ।

(2) सिविल कार्य के निर्माण में धीमी प्रगति ।

(3) ट्रांसमीटर की जांच करने के समय बड़ी मात्रा में बिजली का उपलब्ध न होना ।

राजकोट के ट्रांसमीटर के बारे में :

(1) माल भेजने वालों द्वारा ट्रांसमीटर के मुख्य उपकरण को भेजने में देरी ।

(2) भारतीय रुपये तथा ब्रिटेन के पौंड के अवमूल्यन के कारण कन्ट्रेक्ट के अनुसार भुगतान में देरी ।

(ग) कलकत्ता के ट्रांसमीटर के अगस्त, 1969 के चालू होने की सम्भावना है । राजकोट के ट्रांसमीटर के बारे में ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उपकरण जल्दी से प्राप्त हो जाएं ताकि इसको 1970 के दौरान पूरा किया जा सके ।

(घ) इस देरी के कारण कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है ।

*LDBS=Land Development Banks.

*CCBS=Central Co-operative Banks.

दिल्ली में भवन बनाने वाले श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन

*259. **श्री बेधर बेहेरा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री स० कुण्डू :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1969 को दिल्ली में भवन बनाने वाले श्रमिकों ने उनके निवास स्थान पर प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की थी कि भवन बनाने वाले श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजूरी समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). भवन बनाने वाले श्रमिकों ने 26 मई, को श्रम मंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन अवश्य किया, परन्तु उस समय वे कलकत्ता में थे और श्रमिक उनसे भेंट न कर सके ।

(ग) समिति द्वारा सिफारिश की गई मजूरी-दरें अधिसूचित कर दी गई हैं । निरीक्षण कर्मचारियों को निरीक्षण करने और अधिसूचित मजदूरी-दरों की गैर-अदायगी के मामले निपटाने के लिये अनुदेश दे दिये गये हैं ।

ट्रैक्टरों का वितरण

*260. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में राज्यवार कितने ट्रैक्टर दिये गये या नियत किये गये;

(ख) उक्त वर्ष में ट्रैक्टरों की राज्यवार मांग क्या थी; और

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब को उतने ट्रैक्टर नहीं दिये गये जितने उसने मांगे थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1968-69 में विभिन्न राज्यों को नियत किये गये ट्रैक्टरों का ब्योरा देने वाला एक* विवरण संलग्न है ।

(ख) यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1968-69 के अन्त तक देश में 60,000 ट्रैक्टरों की मांग होगी । इन आंकड़ों में वे क्रयादेश भी शामिल हैं, जो देशी निर्माताओं, रूसी ट्रैक्टरों के एजेन्टों, राज्य कृषि-औद्योगिक निगमों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय इत्यादि के पास बकाया पड़े थे । चूंकि देशी निर्माताओं, रूसी ट्रैक्टरों के एजेन्टों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय को विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों से क्रयादेश दिये गये हैं, यह जानकारी उपलब्ध नहीं हैं कि प्रत्येक राज्य की ट्रैक्टरों की कुल मांग कितनी है ।

(ग) वर्ष 1968-69 में 15,000 ट्रैक्टरों का आयात किया गया था, जिनमें से 1,600 ट्रैक्टर पंजाब राज्य को दिये गये थे। इससे यह पता चलता है कि इस राज्य को दिये गये ट्रैक्टरों की संख्या अपेक्षाकृत उससे अधिक जितनों के लिये वह अनुपात अथवा क्षेत्र के आधार पर हकदार था। फिर कृषि के क्षेत्र में राज्य द्वारा की गई प्रगति तथा इस बात को देखते हुए कि उस राज्य में अधिक क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली फसलें बोई गई हैं, उसे अधिक ट्रैक्टरों का नियतन किया गया था। ट्रैक्टरों का आयात करने के अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से उपहार के रूप में ट्रैक्टर प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई थी। पंजाब के किसान इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। पंजाब से बड़ी संख्या में उपहार प्राप्त करने वालों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 498 मामलों में पहले ही सीमा शुल्क अनुमति पत्र दिये जा चुके हैं तथा बाकी शीघ्र ही दिये जाने वाले हैं।

***विवरण**

क्रमांक	राज्य का नाम	वर्ष 1968-69 में नियत किये गये ट्रैक्टरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1230
2.	आसाम	135
3.	बिहार	1365
4.	गुजरात	850
5.	हरियाणा	945
6.	जम्मू तथा काश्मीर	165
7.	केरल	400
8.	मध्य प्रदेश	775
9.	मद्रास	900
10.	महाराष्ट्र	1450
11.	मैसूर	1050
12.	उड़ीसा	400
13.	पंजाब	1600
14.	राजस्थान	900
15.	उत्तर प्रदेश	1955
16.	पश्चिम बंगाल	300
17.	नागालैंड	12
18.	संघ राज्य क्षेत्र/आरक्षित	568
	कुल	15,000

मोटे अनाज के संकर बीजों की कमी

*261. **श्री रा० वें० नायक :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटे अनाज के संकर बीजों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकता अनुमानतः कितनी है;

(ख) जिन किसानों ने, संकर बीजों का प्रयोग किया है उनमें अनिश्चितता की बढ़ती हुई भावना के परिणामस्वरूप संकर बोजों की दीर्घकालिक कमी के बारे में क्या कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस कथित कमी को दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). देश में 1969-70 के चालू वर्ष के दौरान मोटे अनाज के संकर बीजों की अनुमानित मांग निम्न प्रकार है :

बाजरा 50,805 क्विंटल, ज्वार 1,08,412 क्विंटल तथा मक्का 88,985 क्विंटल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में बाजरे, ज्वार तथा मक्का की अनुमानित मांग क्रमशः 2,45,000 क्विन्टल, 9,10,000 क्विन्टल तथा 13,97,500 क्विन्टल है। चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मोटे अनाज के संकर बीजों की कमी की कोई संभावना नहीं है। मोटे अनाजों के संकर बोजों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करने में होने वाली कमी के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वसूली

*262. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों का पता है कि भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जिलों में वसूली के समय किसानों पर निश्चित मात्रा से अधिक गेहूं देने के लिए दबाव डाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आकाशवाणी का 30 अप्रैल, 1969 का समाचार बुलेटिन

*263. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने 30 अप्रैल, 1969 को 9 म० प० के अपने अंग्रेजी बुलेटिन में एक सदस्य द्वारा की गई आलोचना के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के उत्तर पर कई मिनट खर्च किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी समाचार बुलेटिन में सदस्य द्वारा की गई आलोचना के बारे में एक मिनट भी खर्च नहीं किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिपक्षी सदस्यों की तुलना में मंत्रियों के पक्ष में अधिक समय देने की आकाशवाणी की सामान्य प्रथा है; और

(घ) यदि नहीं, तो बुलेटिन में सदस्य द्वारा की गई आलोचना का उल्लेख न करके केवल मंत्री के उत्तर का ही उल्लेख करने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) माननीय सदस्य की आलोचना का बुलेटिन में उल्लेख था । माननीय सदस्य के नाम का भी उल्लेख किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

अनाज की वसूली

*264. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने इस मौसम में (राज्यवार) गेहूं तथा चावल की वसूली का अनुमानतः क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या सूखाग्रस्त राज्यों के सम्बन्ध में वसूली का लक्ष्य भिन्न आधार पर निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चालू सीजन में खरीदे जाने वाले गेहूं तथा चावल की मात्रायें बताने वाला एक *विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम की पूर्वानुमानित खरीदारी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बतायी गयी अधिप्राप्ति सम्बन्धी सम्भावनाओं पर आधारित होती है । अधिप्राप्ति सम्बन्धी लक्ष्यों की सिफारिश करते समय आयोग

उत्पादन के अनुमानों, बाजार में आमद तथा मूल्य स्तर सहित विभिन्न तत्वों पर विचार करता है। राज्यों में सूखे की स्थिति को, यदि हो, इन अनुमानों में दिखाया जाता है।

***विवरण**

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	गेहूं (1-4-69 से 31-3-70)	चावल (1-11-68 से 31-10-69)
आन्ध्र प्रदेश	—	550.0
असम	15.0	70.0
बिहार	50.0	75.0
दिल्ली	2.0	—
हरियाणा	200.0	100.0
मद्रास	—	225.0
मध्य प्रदेश	85.0	350.0
मैसूर	1.5	3.5
पंजाब	1650.0	200.0
उड़ीसा	—	300.0
राजस्थान	75.0	—
उत्तर प्रदेश	730.0	10.0
पश्चिमी बंगाल	—	450.0
	2808.5	2333.5

नियोजक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध

*265. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों पर मद्रास में हुई गोष्ठी में औद्योगिक विवादों को समाप्त करने के लिये अनेक सुझाव दिए गए थे;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मालूम हुआ है कि इस प्रकार की विचार-गोष्ठी का आयोजन रोटरी क्लब मद्रास ने किया था। परन्तु सरकार को विचार-विमर्श के सम्बन्ध में आयोजकों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Report of the Advisory Committee on Press Council

*266. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have since received the Report of the Advisory Committee on Press Council ;

(b) if so, the main recommendations thereof ;

(c) the reaction of Newspaper industries in this regard ; and

(d) the decision taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir. A copy of the report was placed on the Table of the House on **10th March, 1969.**

(b) A summary of the conclusions and recommendations of the Advisory Committee is contained in Chapter XII of the report.

(c) The Ministry has recently discussed the recommendations of the report with representatives of newspaper associations and note has been taken of their views on the various recommendations.

(d) Government propose to introduce a Bill in Parliament during the current year to amend the Press Council Act, 1965.

Non-Purchase of Sugarcane by Sugar Mills at Fixed Price

*267. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sugar Mills did not purchase the entire quantity of sugarcane produced this year and wherever they did purchase, they did not pay full price of the sugarcane to the farmers at rates fixed by Government ;

(b) whether it is also a fact that at certain places the farmers had to burn the standing cane crop in order to empty their fields ;

(c) if so, the extent of loss suffered by farmers on this account ; and

(d) whether Government propose to take some special steps to prevent the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The sugar factories do not purchase the entire quantity of sugarcane produced during the year. They purchase the sugarcane available to them for crushing in their factory areas. Reports received from the Governments of the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Kerala, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and the Union Territory of Pondicherry indicate that all cane available to them was purchased by the Sugar Mills and the price paid was or above the statutory minimum price, except that one factory in Andhra Pradesh did not crush sugarcane available with unregistered cane growers, and the factory in Pondicherry accepted unregistered cane at a lower price. Reports from other State Governments have not yet been received.

(b) No such report has been received.

(c) and (d). Do not arise.

काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का पंजीकरण

*268. **श्री राम चरण :** क्या **श्रम तथ पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों (मैट्रिक पास या उससे अधिक योग्यता प्राप्त) ने देश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख).

शैक्षणिक स्तर	निम्नलिखित जातियों के जुलाई-दिसम्बर, 1968 के दौरान दर्ज किये उम्मीदवारों की संख्या		जुलाई-दिसम्बर, 1968 के दौरान निम्नलिखित जातियों के नियुक्त सहायता पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
1. मैट्रिकुलेट	41,367	5,743	3,899	474
2. हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण (इंटर-मीडिएट/अंडर ग्रेजुएट समेत)	14,852	2,731	1,404	235
3. ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएट समेत)	4,849	702	629	61
कुल योग	61,068	7,176	5,932	770

नोट :— 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के पढ़े-लिखे (मैट्रिक और इससे अधिक) नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी वर्ष में दो बार जून और दिसम्बर को इकट्ठी करनी आरम्भ की गई है ।

पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्नों के आयात पर भाड़े की राशि

*269. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 करार के आयात किये जाने वाले अमरीकी अनाज का केवल कुछ ही प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में भेजा जाता है ;

(ख) क्या अमरीका की मांग की है कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में ले जाया जाना चाहिये ;

(ग) क्या अमरीकी जहाज कम्पनियों की भाड़े की दरें अन्य विदेशी कम्पनियों की दरों से बहुत अधिक हैं ; और

(घ) यदि 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में भेजा जाता है तो क्या भारत को भाड़े के खर्च के रूप में अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ेगा ;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी अतिरिक्त धन-राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(च) क्या सरकार ने भाड़े की अमरीकी दरों को घटाकर उचित स्तर पर लाने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । पी० एल० 480 करार के अधीन हमें खरीदे गये खाद्यान्नों के 50 प्रतिशत के लदान की व्यवस्था अमरीकी ध्वज पोतों में करनी होती है ।

(ग) अमरीकी ध्वज पोतों की भाड़ा दरें विदेशी कम्पनियों द्वारा ली जा रही भाड़े की दरों से अपेक्षाकृत अधिक हैं ।

(घ) और (ङ). यदि 50 प्रतिशत खाद्यान्न अमरीकी ध्वज पोतों में लाया जाता है तो उसके लिए भारत सरकार कोई अतिरिक्त धन खर्च नहीं करती है । क्योंकि अमरीकी सरकार अमरीकी और विदेशी ध्वज पोतों की दरों के अन्तर की प्रतिपूर्ति करती है ।

(च) 'यू० एस० मेरीटाइम प्रशासन' अमरीकी ध्वज पोतों के लिए अधिकतम भाड़ा दरें निर्धारित करता है । 'यू० एस० मैरीटाइम प्रशासन' 'यू० एस० कृषि विभाग' जब कभी अधिकतम दरों की समीक्षा करते हैं तो उस संबंध में भारत सप्लाई मिशन उन्हें आवश्यक सूचनाएं सुलभ करता है ।

डाक-तार विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारी संघों में बाहर के व्यक्ति

*270. **श्रीमती सावित्री श्याम**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक-तार विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारी संघों में बाहर के व्यक्तियों को नेतृत्व करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). सितम्बर, 1968 की हड़ताल के तुरन्त बाद अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक-तार

कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और उससे संबंध यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। कर्मचारियों को अपनी शिकायतें सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए और उनके तथा प्रशासन के बीच बातचीत के माध्यम की पुनस्थापना के बतौर कुछ यूनियनों को मान्यता दी गई थी। इनमें से कुछ तो काफी लम्बे अर्से से मान्यता के लिए आन्दोलन कर रही थीं।

नई यूनियनों को मान्यता के लिए वैध नियमों के अभाव में पुरानी 'केन्द्रीय सिविल सेवा, सेवा संघों की मान्यता संबंधी नियमावली' का ही व्यापक रूप से पालन किया गया है। इन नियमों में यह धारा शामिल थी कि 'कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी संघ से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।' यूनियनों को दी गई मान्यता सर्वथा तदर्थ और अस्थायी आधार पर प्रदान की गई थी। इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों/आदेशों या अन्य शर्तों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

दूरदर्शन केन्द्र के एक चल-चित्र निर्माता द्वारा चलचित्र का निर्देशन

1585. **श्री शिव नारायण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक फिल्म-पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दूरदर्शन केन्द्र के एक चल-चित्र निर्माता द्वारा एक चलचित्र का निर्देशन किये जाने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्माता ने उक्त काम करने के लिये तथा उसके लिए पारिश्रमिक लेने के लिए सरकार से अनुमति ली थी और वह कितने समय से अपने काम पर नहीं आ रहा ;

(ग) गत तीन वर्षों में आकाशवाणी के कितने कलाकारों/निर्माताओं को आकाशवाणी से बाहर चलचित्रों में काम करने और वहां से पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी गई ; और

(घ) चलचित्रों में दीर्घावधि के लिये काम करने देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, अनुमति ली गई थी। इस प्रयोजन के लिये उसको 25 मार्च, 1969 से 25 अप्रैल, 1969 तक और 4 जून, 1969 से 2 अगस्त, 1969 तक छुट्टी दे दी गई थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) विभिन्न व्यक्तियों के मामलों पर योग्यता आधार पर विचार किया जाता है और उन्हें इस प्रकार के कामों को लेने की अनुमति तभी दी जाती है जब वे स्टाफ आर्टिस्टों से अपेक्षित सेवाओं में बाधा न डालते हों।

बिहार में ग्राम पंचायतों के चुनाव

1586. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा मुजफ्फरपुर तथा कुछ अन्य जिलों में हजारों ग्राम पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में नामांकन, नामांकन-पत्रों की जांच और प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम वापस लिये जाने आदि सभी प्रारम्भिक कार्य जून, 1969 में पूरे कर लिये गये थे ;

(ख) क्या इन पंचायतों के चुनाव निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही कराने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सूचित किया गया है कि उत्तर बिहार के तिरहुत डिवीजन के चार जिलों, अर्थात् मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण तथा चम्पारन में पंचायतों के चुनाव 7 जुलाई, 1969 को आरम्भ होने थे । तथापि, बिहार में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था कि चूंकि उत्तर बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं, अतः पंचायत चुनावों को 15 अक्तूबर, 1969 तक स्थगित किया जाना चाहिए । इस निर्णय की पुष्टि राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई है ।

बिहार में खण्ड विकास कार्यालयों के लिये भवनों का निर्माण

1587. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले के कितने खंड विकास कार्यालयों के लिये अभी तक भवनों का निर्माण नहीं किया गया है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और उनका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ;

(ग) क्या विस्फी खंड का कार्यालय इस समय मधुबनी खंड विकास में पहिका में है जो विस्फी विकास के खंड से कम से कम 3 मील दूर है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विस्फी के कार्यालय के तत्काल विस्फी ले जाने के आदेश दिये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

1588. **श्री कृ०मा०कौशिक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री बल्लारपुर, शेरटी तथा शुजूश की कोयला खानों द्वारा कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करने के बारे में 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त कोयला खानों ने कोयला उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि ये कोयला खानें उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करेंगी तो क्या उनके द्वारा रेलों को कोयला सप्लाई करने के बारे में किये गये सभी करार रद्द करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित न करने से कोयला खानों के श्रमिकों को हुई हानि को कैसे पूरा करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोयला खानों ने अभी तक कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया है ।

(ख) सम्बन्धित प्रबन्धकों से सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्न जारी है ।

(ग) सरकार ने यह पहले ही निर्णय कर लिया है कि रेलवे और कोयले के अन्य प्रमुख क्रेताओं को उन्हीं कोयला खानों/प्रबंधकों के कोयला सप्लाई करने के टेंडर स्वीकार करने चाहिये जो अपने क्षेत्र के प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने इस मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया है ।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इन सिफारिशों की क्रियान्विति कराने के वास्ते प्रयास जारी है ।

Theft of P. and T. Department Property

1589. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the value of the property of Post and Telegraph Department stolen during the last five years i.e. from 1963 to 1968 ;

(b) whether the number of cases of thefts are on the increase and departmental employees are found guilty for such offences ; and

(c) if so, the measures taken by Government to check them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

(b) It is true that thefts of departmental property are on the increase but departmental employees are found responsible only in a very small proportion of such cases. The bulk of the cases is accounted for by thefts of copper wire from telegraph lines by outsiders.

(c) The existing rules already provide for safeguarding P and T property from thefts by departmental staff and outsiders. In regard to thefts of copper wire by outsiders, the following special remedial measures have been taken by the Department:

(i) The Chief Ministers of States have been addressed to direct the Inspectors General of Police to take steps for minimising copper wire thefts.

(ii) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 has been amended to provide for more serious punishment for the culprits.

(iii) The Department is progressively replacing copper wire by copper-steel wire and aluminium wire.

भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता कार्यालय से धन का गायब हो जाना

1590. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता कार्यालय से 40,00,000 रुपये गायब हो गये थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) जिन व्यक्तियों पर शक था क्या उनसे कुछ रुपये बरामद किये गये ;

(घ) क्या निगम के अन्य कार्यालयों में धन के गबन के अन्य उदाहरण भी हैं और यदि हां, तो कितने तथा प्रत्येक मामले में कितने धन का गबन किया गया है ; और

(ङ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता कार्यालय में लगभग 32.61 लाख रुपये की कम वसूली के मामले का पता लगाया गया है ।

(ख) अब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है । इस मामले की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) अब तक नहीं ।

(घ) निगम की धनराशि के गबन के अन्य तीन मामले हैं । जिसमें 8,943.53, 11,500 और 528.00 रुपये निहित हैं ।

(ङ) निगम द्वारा निर्धारित कार्यविधि में दिये गये खाद्यान्नों की लागत की कम वसूली के कारण होने वाले नुकसानों की रोकथाम के लिए पर्याप्त जांच तथा संतुलन की व्यवस्था है । इस कार्य विधि की समीक्षा की गई है और उसमें कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है । इस निर्धारित

कार्यविधि का विधिवत पालन करने की आवश्यकता पर जोर डालने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं । निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग को सुदृढ़ बनाने के लिये भी पग उठाये गये हैं ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्का की सप्लाई

1591. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस फर्म का नाम क्या है तथा उसका मालिक कौन है जिसे भारतीय खाद्य निगम ने भारी मात्रा में मक्का सप्लाई किया था तथा गत वर्ष यह मक्का कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया था तथा उसका मूल्य कितना था ; और

(ख) उसकी अदायगी कैसे की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) फर्म का नाम .. .. मैसर्स बिहार ट्रेडर्ज, कलकत्ता ।

मालिक का नाम .. .. श्री वी० के० केदिया

मात्रा .. .. 98,812.54 क्विंटल

लागत .. .. 69,16, 877.80 रुपये ।

(ख) पार्टी ने इस राशि का भुगतान बैंक मांग ड्राफ्टों और चैकों द्वारा किया था ।

चीनी की उत्पादन लागत तथा उसे निर्यात करने सम्बन्धी नीति

1592. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी की औसतन प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है तथा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी की औसतन प्रति टन कीमत कितनी है ;

(ख) भारत ने गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किया और उसका प्रति टन मूल्य कितना था तथा चीनी उद्योग को औसतन कितनी हानि हुई ;

(ग) अमरीकी चीनी अधिनियम तथा राष्ट्रमण्डलीय चीनी करार की मुख्य बातें क्या हैं जिनके अन्तर्गत हम चीनी का निर्यात करते हैं ;

(घ) उद्योग को निर्यात में हुई हानि कैसे पूरी कर दी जाती है ;

(ङ) राज्यवार कितने प्रतिशत तथा कितने मूल्य की चीनी निर्यात के लिये अनिवार्य रूप से पृथक रख दी जाती है ; और

(च) वर्तमान चीनी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी जांच आयोग द्वारा 5 क्षेत्रों के लिए अभिस्तावित और चीनी-जांच आयोग की लागत अनुसूचियों की सहायता से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा

(3 सी) के उपबन्धों के अनुसार निकाला गया 1968-69 के लिये आई० एस० एस० ग्रेड डी०-29 की लेवी चीनी का उचित निकासी मूल्य 141.30 रुपये से 175.28 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। जनवरी से जून, 1969 तक के लिये लंदन डेली-प्राइस की औसत (जो कि चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का सूचकांक है) लागत भाड़ा सहित यू० के० 96° आधार पर 35.65 पौंड (641.7 रुपये) प्रति टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गयी चीनी की मात्रा और जहाज तक निष्प्रभार प्राप्ति इस प्रकार है :

वर्ष	निर्यात की गयी मात्रा (लाख मीटरी टन)	जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित प्राप्ति (रु०/मीटरी टन)
1966	4.41	390
1967	2.17	658
1968	0.99	1,011

1966 और 1967 में निर्यात पर हुआ नुकसान भारत सरकार द्वारा पूरा किया गया था और न कि चीनी उद्योग द्वारा पूरा किया गया था। तथापि, 1968 में चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन निर्यात नुकसान उद्योग ने पूरा किया था। उद्योग द्वारा इन निर्यातों पर उठाए गये नुकसान की सूचना भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन द्वारा हिसाब-किताब पूरा कर दिए जाने के बाद ज्ञात होगी।

(ग) यू० एस० चीनी अधिनियम और राष्ट्रमण्डल चीनी करार की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

यू० एस० चीनी अधिनियम

इस अधिनियम के अधीन, संयुक्त राज्य सरकार पंचांग वर्ष में संयुक्त राज्य को निर्यात की जा सकने वाली चीनी तक कोटे विशिष्ट देशों को आवंटित करती है। ये कोटे सम्बन्धित वर्ष में संयुक्त राज्य की खपत आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

राष्ट्रमण्डल चीनी करार

राष्ट्रमण्डल चीनी-करार की पार्टियां यू० के० सरकार और राष्ट्रमण्डल के निर्यातक प्रदेशों के चीनी उद्योग हैं। इस करार के अधीन, निर्यात प्रदेश प्रत्येक वर्ष में विशिष्ट मात्राएं बातचीत द्वारा तय मूल्य पर, जो कि सामान्यत: विश्व मूल्य से अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, बेचने के लिए सहमत होते हैं और यू० के० सरकार खरीदने के लिये सहमत होती है। इसके अलावा, निर्यातक प्रदेश अधिमान्य बाजारों में विश्वमूल्य जमा अधिमान्य मूल्य पर निर्यात कर सकते हैं।

(घ) 1968 में निर्यात और 1969 में अब तक आश्वासित चीनी के निर्यात पर नुकसान को चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन चीनी उद्योग ने पूरा किया है। चीनी कारखानों द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री से इस नुकसान को पूरा करने की आशा थी। यह चीनी उन्हें खुले बाजार में बिक्री के लिये दी जाती है।

(ङ) 1968 और 1969 में निर्यात की मात्रा चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के अधीन चीनी कारखानों के बीच उनके पिछले चीनी मौसम के उत्पादन के अनुपात में बराबर-बराबर बांट दी गयी है। यह बंटवारा राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है और चीनी के मूल्य से भी सम्बन्धित नहीं होता है। ऊपर उल्लिखित अधिनियम के अधीन वर्ष विशेष में निर्यात की मात्रा संगत चीनी मौसम में उत्पादन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) आंशिक विनियन्त्रण की नीति जो कि पिछले मौसम में पहले पहल लागू की गयी थी, चालू मौसम 1968-69 में भी जारी रखी जा रही है। इस नीति के अधीन वर्ष 1968-69 में उत्पादन के 70 प्रतिशत के बराबर मात्रा चीनी कारखानों से निर्धारित लेवी मूल्यों पर नियंत्रित वितरण के लिए अधिप्राप्त की जा रही है। चीनी कारखानों को शेष उत्पादित चीनी भारत में कहीं भी खुले बाजार के भावों पर बेचने की अनुमति दी गयी है लेकिन इस चीनी की निर्मुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। लेवी चीनी का मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित चीनी के न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रख कर चीनी जांच आयोग द्वारा 5 क्षेत्रों के अभिस्तावित अनुसूचियों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश को ट्रैक्टरों की सप्लाई

1593. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में ट्रैक्टरों की संख्या पंजाब में ट्रैक्टरों की संख्या की तुलना में केवल पांचवां भाग ही है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में किसानों को किश्तों पर ट्रैक्टर सप्लाई करके अथवा अधिक भूमि वाले किसानों को अपने ट्रैक्टर खरीदने के लिये धन देकर ट्रैक्टरों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई विशेष उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में ट्रैक्टर सप्लाई करने वाले केन्द्र क्यों स्थापित नहीं करती है तथा छोटे किसानों को प्रति एकड़ किराया लेकर जुलाई के लिये ट्रैक्टर किराये पर नहीं देती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश में पंजाब की तुलना में ट्रैक्टरों की संख्या कम है। उसका कारण यह है कि दोनों राज्यों की परिस्थितियों में फर्क है। इन दो राज्यों में प्रयोग किये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या में भिन्नता के लिये निश्चित सिंचाई की उपलब्धि सिंचाई गत भूमि की प्रतिशतता, जोत की किस्म, समाजार्थिक परिस्थितियां, बहुउद्देशीय फसलें आदि उत्तरदायी हैं।

देश में तैयार हुए ट्रैक्टरों का वितरण उत्पादकों द्वारा नियुक्त व्यापारियों और उपव्यापारियों द्वारा "जो पहले आये पहले ले जाये" के आधार पर किया जाता है। अभी तक आयातित ट्रैक्टरों का वितरण मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विदेशी सम्भरणकर्ताओं के एजेन्टों द्वारा भी "जो पहले आये पहले ले जाये" के आधार पर किया जाता था। मध्य प्रदेश में

किसानों द्वारा ट्रैक्टरों के लिए कराया गया पंजीकरण पंजाब की तुलना में पहले से ही कम रहा है और इसीलिए पंजाब में ट्रैक्टरों की अधिक संख्या में सप्लाई हुई है।

(ख) ट्रैक्टरों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण भी दिये गये हैं। व्यापारिक और भूमि विकास बैंकों द्वारा भी इस प्रकार के ऋण अदा किये जाते हैं। राज्य में हाल ही के कृषि उद्योग निगम की स्थापना होने से मध्य प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टरों की अधिक संख्या क्रय के लिये उपलब्ध करनी सम्भव होगी। इसके अतिरिक्त भाड़ा क्रय आधार पर किसानों को ट्रैक्टर सप्लाई करने की योजना भी निगम के विचार में है।

(ग) राज्य के पास 224 क्रोलर ट्रैक्टरों का बेड़ा है और गत 20 वर्षों से सारे राज्य में 31 एकक कार्य कर रहे हैं। सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा निश्चित भाड़े पर कृषकों के खेतों में काम लिया जाता है। इसमें वुल-डोजिंग, ग्रीष्म खेती, हैरोइंग काउन्ट्रर बडिंग और भूमि को समतल करना भी सम्मिलित है। इस योजना का और अधिक विस्तार करना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

1594. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं, जहां भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय स्थित हैं तथा उनमें नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है तथा उनके पास कितने-कितने गोदाम हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) उन राज्यों ने वर्ष 1968-69 में कितनी मात्रा में अनाज की वसूली की थी ;

(ग) उनके द्वारा वर्ष 1969-70 में कितने अनाज की वसूली किये जाने की आशा है ;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश तथा मैसूर की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में नये कार्यालय खोलने की मांग की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1449/69]**

(ख) रबी विपणन वर्ष 1968-69 के दौरान (अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक) इन राज्यों में 2145 हजार मीटरी टन गेहूं तथा रबी के मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की गयी थी। खरीफ विपणन वर्ष 1968-69 में (नवम्बर, 1968 से अक्तूबर, 1969 तक) अब तक इन राज्यों में 1169 हजार मीटरी टन चावल और खरीफ के मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। शेष सीजन में खरीफ के अनाजों की भावी अधिप्राप्ति के संक्षिप्त अनुमान बताना संभव नहीं है।

(ग) खरीफ विपणन वर्ष 1969-70 (नवम्बर, 1969 से अक्तूबर, 1970) में अधिप्राप्ति के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं । कृषि मूल्य आयोग ने रबी विपणन वर्ष 1969-70 (अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970) में इन राज्यों में अधिप्राप्ति का 3370 हजार मीटरी टन के लक्ष्य का सुझाव दिया था । अब तक इन राज्यों में लगभग 2306.1 हजार मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्ति की गयी है । शेष सोजन में गेहूं की अधिप्राप्ति के संक्षिप्त लक्ष्य बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेडियो लाइसेंस

1595. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 20 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 तथा 30 जून, 1969 की अवधि के बीच कितने रेडियो लाइसेंस दिये गये तथा उनसे कितनी राशि वसूल हुई ; और

(ख) 1 जनवरी, 1969 तथा 30 जून, 1969 की अवधि के बीच कितने लाइसेंसों की अवधि बढ़ाई गई तथा उससे कितनी राशि वसूल हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भूमि सुधार में प्रगति

1596. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री सभा-पटल पर ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न भूमि सुधार कामों में कितनी प्रगति हुई है तथा कितनी कमी रह गई है तथा राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रों का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा भारत सरकार ने भू सुधार उपायों में तेजी लाने तथा उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1450/69] ।

आकाशवाणी में नैमित्तिक कलाकार

1597. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्रों में इस समय कितने नैमित्तिक कलाकार हैं तथा

उनकी नियुक्ति की प्रथम तिथि क्या है ; और

(ख) इन कलाकारों की सेवाएं नैमित्तिक रूप से साप्ताहिक /पाक्षिक आधार पर लगातार लेते रहने के तथा नियमित आधार पर उनका चयन न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें आकाशवाणी, दिल्ली केन्द्र के बारे में सूचना दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1451/69] आकाशवाणी के दिल्ली स्थित अन्य यूनिटों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में शुद्ध दूध की मांग

1598. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले शुद्ध दूध की बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना ने लोगों की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना शुद्ध दूध का संभरण नहीं करती है, बल्कि (i) स्टैण्डर्ड (ii) टोन्ड और (iii) डबल टोन्ड दूध का सम्भरण करती है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को दूध के नए टोकन पिछले जाड़ों में जारी किए जो कि उनकी प्रतीक्षक-सूची में थे। इस पर भी, योजना के पास 70,000 से अधिक अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन हैं। दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध की उपलब्धि को बढ़ाने तथा उसके प्रबन्ध करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए :

(1) जो ठेकेदार दिल्ली दुग्ध योजना को दूध का सम्भरण करते हैं उनके साथ पक्के करार कर दिए गए हैं। वे वर्ष में स्वीकार की हुई दूध की मात्रा के सम्भरण न करने पर 5 रुपए प्रत्येक क्विंटल की दर पर अब दण्ड के भागी होंगे।

(2) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको दी जाने वाली कमीशन की दर बढ़ा दी गई है।

(3) दिल्ली दुग्ध योजना का उपलब्धि क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में करनाल से लगभग 20 मील की दूरी पर एक नया उपलब्धि क्षेत्र शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर और राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों से भी दूध संचयन शुरू किया गया है।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध क्षेत्र के लिए, जिला मेरठ (यू० पी०), गुड़गांव और करनाल (हरियाणा), तथा बीकानेर (राजस्थान) में चार सघन पशु विकास कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं।

(5) करनाल में सघन पशु विकास कार्यक्रम की सहकारी समितियों का संगठन कार्य, सघन आधार पर शुरू कर दिया गया है। इन समितियों के उत्पादक सदस्यों को दुधारू जानवर खरीदने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं।

(6) हरियाणा के रोहतक जिले में एक पशु विकास योजना तैयार की गई जोकि दिल्ली दुग्ध योजना के पास उपलब्ध/विश्व खाद्य कार्यक्रम की निधि से पूरी की जाएगी।

(7) यथा समय मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन, मेहसाना (गुजरात) से प्रतिदिन 1,00,000 लिटर तक दूध खरीदने का प्रबन्ध किया गया है। पिछले दिसम्बर से मेहसाना यूनियन से दूध का सम्भरण शुरू हो गया है और इस समय उनसे लगभग औसतन 15,000 लिटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है।

(8) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय दुग्धशाला का विस्तार इसकी अनुकूलतम प्रबन्ध क्षमता तक किया जा रहा है। पहली अवस्था में केन्द्रीय दुग्धशाला की मूल क्षमता प्रतिदिन 2,55,000 लिटर से 3,00,000 लिटर तक और दूसरी अवस्था में 4,35,000 लिटर तक बढ़ाई जा रही है।

(9) राजस्थान में बीकानेर स्थान पर एक संतुलन स्टेशन बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता प्रथम अवस्था में प्रतिदिन 50,000 लिटर होगी।

(10) योजना की प्रबन्ध समिति तथा शासी निकाय ने दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूसरी दुग्ध शाला खोजने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

Rural Cooperative Marketing Society in Car Nicobar Island

1599. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the present financial position of the Rural Cooperative Marketing Society in the Car Nicobar Island?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : As on 30th June, 1968 there were 14 Rural Cooperative Marketing Societies in Car Nicobar. These societies had a total membership of 393 and a Working Capital of Rs. 13.81 lakhs. They earned a total profit of Rs. 1.82 lakhs as on 30th June, 1968. No financial assistance was given to these societies by the Government. The financial position of these societies is reported to be sound.

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के मकानों के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में भूमि की खरीद

1600. **श्री निहाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के मकानों तथा कार्यालय की इमारतों के लिए भूमि खरीदी गई है तथा यह भूमि कब खरीदी गई है ; और

(ख) खरीदी गई भूमि पर कब तक इमारतें बनाने का काम आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1452/69] खरीदने की तारीख संबंधी सूचना जहां भी उपलब्ध हो सकती है, एकत्रित की जा रही है और इसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) नक्शा तैयार हो जाने, प्राक्कलन आदि की मंजूरी के बाद धनराशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है ।

Requirement of Tube-wells and Pumping Sets in the Country

1601. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of tube-wells/pumping sets required in the country at present ; and

(b) the amount of money needed for installing them and the time by which it would be possible to complete this work ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No estimate has yet been made about the number of tube-wells/pumpsets which may ultimately be required in the country to develop groundwater resources to the maximum. An estimate can be attempted only after a scientific assessment is made of the total groundwater potential of the country. Efforts are being intensified in this direction. The following are the tentative targets of groundwater development scheme for the Fourth Plan :

Name of the Scheme		Target Nos.
(i) State Tube-wells	..	5,000
(ii) Private Tube-wells	..	4,00,000
(iii) Diesel Pumpsets	..	6,00,000
(iv) Electric Pumpsets	..	12,50,000
(v) Dug Wells	..	8,00,000
(vi) Boring of Wells	..	5,00,000
(vii) Deepening of Wells	..	3,00,000

केरल में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देना

1602. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने की कोई योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में व्यय का राज्यवार नियतन नहीं किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी क्षेत्रों में मात्स्यकी के लिए कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपए का व्यय मंजूर किया गया है। लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :

समन्वेषी तथा प्रयोगात्मक आधार पर मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देना, बन्दरगाह संबन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों का विकास करना। जहां तक केरल का प्रश्न है भारत नाव परियोजना तथा कोचीन स्थित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा समन्वेषी सर्वेक्षण पहले ही हो रहा है। समन्वेषी बेड़े की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। भोपाला खाड़ी, बालिया पटनम वैयपुर की मछली पकड़ने की बन्दरगाह शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी। यान्त्रिकृत पोतों के लिए अन्य बन्दरगाहों की खोज की जाएगी। अनुमानतः 173 लाख रुपए की लागत की विझिजोम बन्दरगाह का निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूरा हो जाएगा। कोचीन की मात्स्यकी बन्दरगाहों का निवेश-पूर्व सर्वेक्षण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से पश्चिमी घाट पर साडाइन एवं मेकरेल संसाधनों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्स्यकी के विकास के लिए 1726 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव रखा है। (राज्य द्वारा प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1453/69]** संसाधनों को ध्यान में रखते हुये 1100 लाख रुपए के संशोधित व्यय को अस्थाई रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

Meeting of Jaduguda Uranium Mines and Factory Workers

1603. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jaduguda Labour Union had organised a meeting of

the workers of the local Uranium Mines and Factory on the 24th May, 1969 ;

(b) if so, whether it is also a fact that an M.P. who is a member of the Mines and Minerals Advisory Committee constituted by Government, was to address the said meeting ;

(c) whether it is also a fact that the S.P.O. of Jamshedpur promulgated Section 144 in Jaduguda for 24 hours in order to prevent the M.P. from addressing the said meeting ;

(d) if so, the reasons for preventing an M.P. from addressing a Union, recognised by the Management of mines and the Factory and registered with Government ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Yes.

(c) to (e). These are matters falling in the State sphere.

Effect of Pests and Insects on Agricultural Production

1604. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various types of pests and insects create a great hurdle in boosting our agricultural production;

(b) whether it is also a fact that the experiments conducted by Government to destroy these pests and insects have been inadequate and ineffective ;

(c) whether it is also a fact that there is an acute shortage of sprayers for the pesticides and if these sprayers go out of order, there is no arrangement for repairing them ; and

(d) if so, the measures being adopted by Government to remove these shortcomings ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) While it is true that in the wake of high yielding varieties programme, previously unrecognised diseases and pests have at times posed a problem, adequate plant protection measures have been taken as a part of the Package of practices to prevent pre-harvest losses and thus help increase agricultural production through larger use of pesticides and chemical control measures.

(b) No Sir. Problems arising in areas under the high-yielding varieties programme are being tackled through research and training of the field workers. The Pests and Diseases Control Schedules are reviewed periodically in accordance with the experience gained.

(c) No.

(d) Does not arise.

Malpractices under Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937

1605. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7488 on the 24th April, 1969 and state :

(a) the conditions on which the certificate of Authorisation of M/s. Kuman Chand Shyam Lal, Bristles Exporters, Kanpur was renewed after suspension for 20 days ; and

(b) the reasons for which the steps taken by Government to make the Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 effective have not been stated ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The conditions on which the certificate of authorisation of M/s. Kuman Chand Shyam Lal, Bristles Exporters, Kanpur was renewed after suspension of 20 days are :

(i) The party will depute some of their representatives to supervise the loading and unloading of Agmark packages at the place of transhipment of the goods.

(ii) The party will make arrangements to see that the goods are despatched from the place of origin on the same day of booking and the delivery of goods is effected on the same day of the arrival of the goods at the place of destination.

(iii) The party will make sure that no tampering of labels/seals has been done.

(iv) The party will depute one of their representatives to effect proper checking of their consignment under shipment before these are handed over to the customs authorities for their checking.

(b) The information given in the answer to part (b) of the Question No. 7488 showed only one case of violation each year. This indicates the effectiveness with which this Act is enforced.

Advertisements given by USSR and other Communist Countries to Indian Newspapers

1606. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the value of advertisements and printing work being given by Embassies of U.S.S.R. and other Communist countries in India to those newspapers and presses which are partially or wholly owned by Communist Party or leading Communist workers?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : The Government has no information in this regard as there is no restriction on the Indian newspapers accepting advertisements and printing work from the embassies of foreign countries ; nor are such transactions required to be reported to the Government.

Labour Code

1607. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Dr. Ranen Sen :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the recommendation of a Study Team of the National Labour Commission that there should be a comprehensive 'Labour Code' for the country ;

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The Study Group on Labour Legislation, which has suggested a Draft Labour Code, has submitted its report to the National Commission on Labour. Government is not seized of the matter now and will consider it only on receipt of the recommendations of the Commission.

Newsprint Quota for Papers

1608. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5253 on the 3rd April, 1969 and state :

(a) the quota of newsprint given to various newspapers of the country respectively during the last year ; and

(b) the quantity of newsprint utilised by each of them out of it and the unutilised balance out of it or the quantity of newsprint utilised in addition to the quota ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A statement giving the quantity of newsprint allocated to and consumed by various newspapers/periodicals during the licensing year 1967-68 is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1454/69]** A similar statement for the year 1968-69, which can be compiled only after applications from newspaper for newsprint quota for 1969-70 are received and examined, will be laid on the Table of the House in due course. The last date for receipt of the applications is September 1, 1969.

दण्डकारण्य परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1609. **श्री दे० अमात :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय आ रहे विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए दण्डकारण्य परियोजना में और अधिक भूमि की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार उस भूमि की कैसी व्यवस्था करेगी ;

(ग) अब तक कुल कितने शरणार्थियों को बसाया गया है और उन पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्यों से अतिरिक्त भूमि मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2,000 परिवार बसाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए भूमि की वार्षिक आवश्यकता 15,000 से 20,000 एकड़ के बीच रहती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये, समय-समय पर उपयुक्त भूमि देने के लिए उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से पहुंच की जाती है।

(ग) 31-5-69 तक विस्थापित व्यक्तियों के 13,274 परिवारों को बसाया जा चुका है। उनके पुनर्व्यवस्थापन पर 31-3-1969 तक लग- भग 16.92 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) मामला दोनों राज्यों की सरकारों के परीक्षाधीन हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल का उर्वरक उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन

1610. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री उर्वरक उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में 8 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Agriculture in Drought Affected Areas

1611. **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the progress of agriculture in the drought-affected areas ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1455/69].**

Public Telephones in Delhi

1612. **Shri J. Sunder Lal:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri P. M. Sayeed : **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Public Telephones installed at present under the jurisdiction of the Delhi Telephone District ;

(b) the process of taking out coins from these Public Telephones :

(c) whether it is also a fact that sometimes coins block the equipment as a result of which some defect develops in the phone and if so, the procedure for depositing such blocked coins ;

(d) whether it is also a fact that a large number of such coins are stolen away ; and

(e) if so, the number of employees apprehended for such thefts during the last six months and the steps being taken to check such thefts ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 983.

(b) At present two officials are deputed to collect the coins at suitable intervals and the money is deposited in post office.

(c) Normally the coins do not get blocked. If some people tamper with the equipment and insert some foreign objects, the coins get blocked. The maintenance personnel visit the public call offices quite often and see that the equipment is kept in working order. The blocked coins collected are also deposited in the post offices along with other cash.

(d) Pilferage of this nature has not come to the notice of the department.

(e) Does not arise.

नीलोखेड़ी में ट्रेक्टर बनाने का संयन्त्र

1613. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार नीलोखेड़ी में एक ट्रैक्टर बनाने के संयन्त्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र की क्या क्षमता होगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हरियाणा राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा नीलोखेड़ी में एक ट्रैक्टर बनाने के संयन्त्र की स्थापना के एक कार्यक्रम को सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है।

(ख) संयन्त्र की प्रति पारी की कुल क्षमता 10 ट्रैक्टर प्रतिदिन होगी जिसकी एक अकेली पारी की वार्षिक क्षमता लगभग 3,000 ट्रैक्टर बैठेगी।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

चण्डीगढ़ में पंचायतों का पुनर्गठन

1614. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के किसानों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंचायत, समिति मनीमाजरा के क्षेत्राधिकार में कुछ गांव हरियाणा के हैं और कुछ गांव चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के हैं ;

(ग) ऐसी पंचायत समितियों का वंटवारा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कुछ पंचायतों में संघ राज्य क्षेत्र के गांवों के अतिरिक्त अब भी पंजाब अथवा हरियाणा के गांव भी हैं और कुछ पर इन सरकारों का नियत्रंण है ; और

(ङ) क्या सरकार पंचायतों को एक राज्य के प्रशासन के नियन्त्रण में लाने के लिए पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी इस प्रकार है :

(क) 1968-69 में किसानों की स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं :

(1) उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का प्रदर्शन रु० 25,500/-।

(2) 7,500 रुपये के सुधरे कृषि औजारों की सहायता प्राप्त आधार पर आपूर्ति।

(3) नल-कूप लगाने, कुएं खोदने आदि और ट्रैक्टर खरीदने के लिये लघु सिंचाई व अधिक अन्य उपजाओं योजनाओं के अधीन 1,83,000 रुपये के ऋण दिए गए।

(4) लाटरी द्वारा किसानों में 5 आयात किए गए ट्रैक्टर वितरित किए गए।

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

चम्बल घाटी, मध्य प्रदेश में खेती

1615. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में चम्बलघाटी के क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देगी जहां कि अधिकांश भूमि बंजर पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यदि उस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए तो उस क्षेत्र में अन्न की उपज से सारे देश के अन्न सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सकती है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और राज्य सरकार की सहायता करेगी जिससे चम्बल घाटी की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी की 6 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई खोह खड्डयुक्त भूमि की समस्याओं से अवगत है। राज्यों और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध साधनों के अनुसार इस खोह खड्डयुक्त भूमि को सुधारने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) इस खोह खड्ड युक्त भूमि के एक ही भाग को (जो कि उथला है) आर्थिक दृष्टि से कृषि के लिये उपयोगी बनाया जा सकता है। शेष क्षेत्र को संरक्षित वन रोपण और घास भूमि विकास के अन्तर्गत लाना होगा। सुधरी हुई खोह खड्ड युक्त ऐसी भूमि को जहां कि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हों, काफी उत्पादनशील बनाया जा सकता है। किन्तु देश की आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि उन्हें चम्बल घाटी की खोह खड्ड युक्त भूमि से पूर्ण नहीं किया जा सकता।

(ग) चुने हुए क्षेत्रों में इस खोह खड्डयुक्त भूमि के उपयोगीकरण और कम गहरे खोह खड्डों और उच्चसम भूमि के सुधार के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं। एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की 90,000 एकड़ खोह खड्ड युक्त भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 17,600 एकड़ क्षेत्र का सुधार हो चुका है या राज्य योजना के अन्तर्गत उसे संरक्षित वन रोपण में सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्रीय कार्यकारी दल ने राज्य योजना के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 125.00 लाख रुपए के परिव्यय से 48,000 एकड़ क्षेत्र में भूमि सुधार और वन रोपण के सम्बन्ध में उपाय सुझाए हैं। इसके अतिरिक्त 50.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश में खोह खड्ड युक्त भूमि सुधार परियोजना की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित मार्ग दर्शी योजना भी है, जिसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5,000 एकड़ क्षेत्र में लागू किया जायगा। समय-समय पर भूमि सुधार नीतियों और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए एक केन्द्रीय रेवाइन रिक्लेमेशन बोर्ड की भी स्थापना की गई है।

Grape Cultivation

1616. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any such variety of grapes has been developed as has a quality of early ripening and which can most suitably be grown in northern parts of India and which grows into a bush form instead of creeper and which does not require any sort of assistance ; and

(b) if so, how its yield compares to that of those varieties which require the assistance of wire-made structures ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Two varieties viz. Beauty Seedless and Perlette have been selected out of a large collection at Indian Agricultural Research Institute, New Delhi which are of medium vigour and bear fruit on the first few basal buds on a branch or cane. These varieties of grape have been successfully trained on head system. In this training system the grape vines are allowed to grow on single stem up to about one metre and then trained as a bush (and does not require elaborate structures). Only for the first few years a wooden or bamboo support of one metre long is required till the main trunk gets strength to support itself. These varieties are early and mature by the end of May and are also seedless. 'Beauty Seedless' is black coloured while 'Perlette' is greenish yellow.

(b) Per vine yield is slightly low but per acre yield is not affected as the number of vines per acre will be more in this system. Per vine yield will be 6-7 Kg. and about 600 vines can be accommodated per acre. The vines in this case will be two metre apart from each other in rows four metres apart.

Cultivation of Cashewnuts

1617. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted which shows the acreage of uncultivable land in hill areas which could be used for the cultivation of cashewnuts ;

(b) the number of trees that can be planted on the contour line ; and

(c) the number of cashewnut trees that would be planted during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir.

(b) The number of trees on contour lines will depend upon the length of the contour. Generally a spacing of 20 to 22 ft. each way is given and about 80 to 100 trees can be accommodated per acre.

(c) According to tentative proposals it is proposed to bring in 3,69,000 acres under cashew during the Fourth Plan for which about 2,95,20,000 cashew trees would be required to be planted. This will depend on availability of funds during the plan period and other facilities.

Cultivation of Soyabeans

1618. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the scheme chalked out to develop the cultivation of soyabeans during the Fourth

Plan period; and

(b) the acreage of land that would be brought under cultivation of soyabeans and the quantity of soyabeans which will be consumed by the mills and the number of such mills and the capacity of each of them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A Working Paper has been prepared to develop the cultivation of soyabeans as a high protein food crop during the 4th Plan. It is proposed to produce 40,000 tons of soyabeans by 1973-74. There is no special scheme to develop cultivation of soyabeans. The State Governments will develop the crop under their normal extension programmes. The National Seeds Corporation has taken up production of certified seeds of improved varieties which have become available as a result of coordinated soyabean research programme undertaken by Indian Council of Agricultural Research. Forty four tons of soyabean seed of improved varieties was imported from U. S. A. last year.

(b) At present no mill in the country is extracting oil from soyabean. However, there are 71 cotton seed crushing units with a capacity of 9.15 lakh tonnes in terms of cotton seeds per annum and 97 Solvent Extraction Units with a capacity of 18.5 lakh tonnes in terms of oil cakes per annum together with 270 oil mills. Many of these Units could take up extraction of oil from soyabean with minor modification in the machinery already installed. The units are working 60 to 70 per cent of their capacity and can take up the extraction of oil from soyabeans when made available.

पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थी

1619 **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के प्रथम छः मास में पूर्व पाकिस्तान से कितने शरणार्थी यहां आये हैं ; और

(ख) उन्हें भारत में पुनर्वास देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) 4270 व्यक्ति ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को, जिन्हें पुनर्वास के लिये सरकार की सहायता की आवश्यकता है, उनके स्वागत के लिये खोले गये राहत शिविरों में प्रवेश दिया जाता है । इनमें कृषक, गैर-कृषक तथा स्थायी दायित्व श्रेणी के परिवार हैं, जैसे—वृद्ध तथा अशक्त व्यक्ति, अनाश्रित स्त्रियां तथा अनाथ बच्चे ।

सभी कृषक परिवारों को भूमि पर पुनर्वास देने के लिये योजनाएं तैयार कर ली गई हैं । गैर-कृषक परिवारों के लिये कुछ नमूने के आधार पर योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं, जिनके अन्तर्गत व्यापार या छोटे-मोटे कार्य के लिये ऋण, प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान किये जायेंगे । स्थायी दायित्व श्रेणी के परिवारों को गृहों में भेज दिया जाता है जहां कि उन्हें संस्थागत देख-रेख तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्य हैं । चूंकि वर्तमान 'गृहों' में रिक्तियां या स्थान सीमित हैं, इसलिये नये गृह स्थापित करने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

राजस्थान में सूखे के कारण पशुओं की हानि

1620. **श्री बलराज मधोक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से कितने पशु पंजाब, हरियाणा भेजे गये और उनमें से कितने पशुओं को वापिस भेज दिया गया है ; और

(ख) बुवाई के मौसम में पशुओं सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से राजस्थान में कम हुए पशुओं की संख्या को फिर से पूरा करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लगभग 1,89,500 पशुओं ने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में शरण ली थी। सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 60,000 पशु राजस्थान लौट चुके हैं।

(ख) राज्य सरकार ने कृषि भूमि की जुताई के लिये बैल तथा ऊंट खरीदने के लिये कृषकों के लिये तकाबी ऋण हेतु 50.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

Improvement in the Breed of Cows and Oxen

1621. **Shri Onkar Singh :** **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Sharda Nand : **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government during the last two years to improve the breed of cows and oxen and the scheme proposed to be implemented in the next two years for this purpose ;

(b) whether it is a fact that the steps so far taken in this regard do not meet the requirement ; and

(c) whether Government propose to grant loans to the small farmers to purchase cows and oxen of good breed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The following important steps have been taken during the last two years (i.e. 1967-68 and 1968-69) to improve the breed of cows and oxen :

(i) 11 Intensive Cattle Development Projects in different States have been established.

(ii) 3 Central Cattle Breeding Farms for Tharparker, Red Sindhi and Surti breeds all of national importance have been sanctioned.

(iii) 614 exotic cattle of Jersey, Friesian, Brown Swiss and Quernsey breeds have been imported and distributed to the various States to assist them in accelerating their cross-breeding schemes.

(iv) 1512 ampoules of frozen semen of Jersey and Friesian bulls have been imported and used in various Intensive Cattle Development Projects.

II. The following Schemes have been proposed to be implemented in the next two years :

(i) The number of Intensive Cattle Development Projects to be set up during next two years is yet to be finalised.

(ii) 3 Central Cattle Breeding Farms (one for Murrah and two for exotic breeds of cattle) are likely to be sanctioned.

(iii) A Central Frozen Semen Bank for freezing and storing the semen of exotic as well as indigenous breeds is also likely to be sanctioned.

(iv) Under the coordinated cattle breeding farms a number of farms in the States would be selected.

(v) 600 exotic cattle are proposed to be imported.

(vi) 2418 ampoules of frozen semen of high quality bulls of Jersey and Friesian are expected to be imported.

(b) There are 26 recognised breeds of cattle and 8 breeds of buffaloes in the country. With a view to improving the quality of these cattle the following important programmes have so far been launched in the country :

		No./Units
1.	Key Village Blocks.	480
2.	A. I. Centres.	1200
3.	Intensive Cattle Development Projects.	32
4.	Central Jersey Cattle Breeding Farm.	1
5.	Exotic Cattle Breeding Farm (Established in collaboration with friendly countries)	3
6.	Veterinary Hospitals.	6200
7.	Importation of heifers, bulls and semen of exotic breeds.	1052 Bulls and Heifers. 3930 Ampoules of frozen semen.

Cattle development is a long-term project. The generation intervals in Indian cattle is about 5 years i. e. it takes about 5 years for a calf to develop to maturity, get bred and yield milk. Any improvement in productive efficiency as a result of breeding can, therefore, be felt after 5 years. In fact, even through the simple methods of grading up, it takes about 5 generations to bring about marked improvement through breeding. This means that sustained patience and perseverance for a period of 20-25 years is required to develop our cattle. The national output of milk is estimated to have increased from 17 million tonnes in 1956 to about 25 million tonnes in 1966.

(c) Loans for purchase of milch animals are given by the Milk Supply Cooperative Societies/Agricultural Credit Societies to their members. The Reserve Bank of India's loans up to Rs. 1,000/- are given by Cooperatives on the basis of personal surities and the State Government's loans to individuals either direct or through Milk Supply Societies generally on the hypothecation of the animal.

Yield per Acre in India and Foreign Countries

1622. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the average yield of foodgrains per acre in U. S. A., U. S. S. R., Mexico, U. A. R. and India ;

(b) whether it is a fact that India is far behind in respect of yield per acre ; and

(e) the steps being taken by Government to step up yield per acre ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing average yields per hectare of some principal foodgrains crops in U. S. A., U. S. S. R., Mexico, U.A.R. and India for 1964-65 and 1966-67 is appended. **[Placed in Library. See No. LT-1456/69]**

(b) The yields in India are generally lower than those in the countries referred to in (a) above.

(c) For increasing food production a 'New Strategy' has been adopted since 1966-67. The main steps include : High Yielding Varieties Programme, Multiple cropping, development of Minor Irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilisers and pesticides, timely and liberal credit facilities, including institutional finance, farmer's education and training and intensification of research.

Under the impact of these programmes, the yield rates of most of the foodgrains crops in India during 1967-68 showed increase compared to the yields attained in the preceding years. The figures of yield rates for major foodgrains crops for 1967-68 are given in Statement II. **[Placed in Library. See No. LT-1456/69]**

Songs on National Integration

1623. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether apart from film songs, Government have made any arrangements for the composition of such songs as will foster national integrity, security and character building ;

(b) if so, the number of such songs composed so far ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). Yes Sir. A number of songs on themes of national integration, patriotism and communal harmony have been recorded by different stations of All India Radio. Of them 37 songs have been approved for broadcast. Government is also preparing a scheme for getting suitable songs on these themes written and set to music for purposes of community singing.

(c) Does not arise.

Cable Jointers Working in Delhi Telephone District

1624. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Cable Jointers working in Delhi Telephone District at present ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to it that a large quantity of Government material is misappropriated by these Cable Jointers ; and

(c) if so, whether Government would consider the question of making an investigation into it and would keep such a vigilance as could prevent the theft of Government goods ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Eighty two.

(b) and (c). No case of misappropriation has come to notice so far. There have, however been some cases of theft of small lengths of cables already laid (18 cases since 1-1-1968). All such cases are promptly reported to the police and pursued.

गुजरात को चीनी का नियतन

1625. **श्री द० रा० परमार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1968 से लेकर गुजरात राज्य को चीनी का कितना कोटा दिया जा रहा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार को प्रत्येक महीने का कोटा नियमित रूप से दिया जाता था और राज्य सरकार द्वारा लिया जाता था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात को अगस्त, 1968 से लेवी चीनी का माहवार आवंटित कोटा बताने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1457/69]**

(ख) जी हां । राज्य के नामितों ने नियमित रूप से लगभग सारा आवंटित कोटा उठा लिया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्रकारों का जोखिम बीमा

1626. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ ने सरकार से कहा है कि वे समाचार पत्रों के प्रबन्धकों द्वारा कर्तव्यपालनरत पत्रकारों का जोखिम बीमा अनिवार्य रूप से करवायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या जोखिम को सम्मिलित करने के लिये कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). श्रमजीवी पत्रकार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत नहीं आते और इस समय इन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये उसमें संशोधन करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि

1627. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री द० ब० राजू :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन राजस्व की राज्यवार कुल कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) यह धनराशि कितनी अवधि से बकाया पड़ी है ;

(ग) इस धनराशि में केन्द्र सरकार का कितना भाग है ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 30 नवम्बर, 1968 तक जारी किये गए बिलों के लिये 1 मार्च, 1969 को 596.27 लाख रुपये। डाक-तार सर्कल / जिला वार राशि विवरण-पत्र में दी गई है, जिसे सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1458/69]

(ख) तीन महीने से लेकर 14 वर्ष तक विभिन्न अवधियों के लिए एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1955-56 से प्रत्येक वर्ष की बकाया धनराशि दिखाई गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1458/69]

(ग) लगभग 1.98 करोड़ रुपये ।

(घ) वसूली करने के लिए ये उपाय किये जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन काट देना, उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना और अंत में जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करना ।

रुई के मूल्यों में वृद्धि

1628. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रुई में मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या पूर्व-अफ्रीका रुई संस्था ने सरकार द्वारा विचार करने के लिये रुई के उत्पादन में तत्काल वृद्धि के बारे में कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ग) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत में रुई के मूल्यों को गिराने के लिये पुनः रुई का आयात किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजनाबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है तथा मूल्यों में वृद्धि पर रोक बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । परन्तु मोटे तौर पर देखा जाये तो रुई के मूल्यों में वृद्धि जिन्सों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के साथ-साथ होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) पूर्व-अफ्रीकी रुई संघ द्वारा तैयार किये गये क्रैश कार्यक्रम का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है । कपास के आयात के अतिरिक्त कपास के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :

(1) 3 मई, 1969 से रुई के व्यापारियों के मामले में ऋण स्तरों को कम कर दिया गया था ।

(2) 18 जून, 1969 से एक महीने के लिए स्टाक स्तरों को कम कर दिया गया ।

Tibetan Refugees in Kashmir

1629. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was submitted to the Prime Minister in May, 1969 in which the attention of Government was drawn to the deplorable condition of the Tibetan refugees in Kashmir ;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). A memorandum was submitted to the Prime Minister in May, 1969, by representatives of Buddhists of Ladakh in which it was stated **inter alia** that the condition of refugees in Ladakh **was miserable** and compared very unfavourably with that of refugees elsewhere and that the refugees should not be sent out to places elsewhere in India but should be resettled in Ladakh itself. Schemes for the resettlement of Tibetan refugees in Ladakh, which had been prepared earlier, could not make much headway on account of lack of suitable irrigation facilities. Government have considered their memorandum and fresh schemes on suitable sites are under preparation, in consultation with the Jammu and Kashmir State Government.

Powerful Transmitter for Rajasthan

1630. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of installing powerful transmitters in Rajasthan is going on very slowly ; and

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when the work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). There has been some delay in the work on installation of a high power transmitter at Jodhpur, mainly because the work on the construction of the building for housing transmitter was held up due to contractual difficulties. The work has since been resumed.

(c) In the first half of 1970-71.

English Lessons from All India Radio, Delhi

1631. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :
Shri Ram Avatar Sharma : **Shri Shiv Charan Lal** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the original script to the English lessons broadcast from the All India Radio, Delhi is being prepared with the assistance of the British Council ;

(b) if so, since when the All India Radio has been preparing it with the assistance of the British Council and whether the decision to this effect had been taken at the level of the Minister or at Officers' level ; and

(c) whether this programme of broadcasting of English lessons is being continued at the instance of the Delhi Administration or it is being continued because of the love of certain officers of the All India Radio for the English language ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). English lessons broadcast by All India Radio are devised by the Delhi Administration. All India Radio has no dealing with the British Council in the preparation of the lessons. It is understood from the Delhi Administration that the British Council have been associated with the planning and preparation of the scripts since March, 1966. The decision to seek the assistance of the British Council in planning the syllabus for the teaching of English was not taken by All India Radio or the Ministry of Information and Broadcasting. The broadcasts are being continued at the instance of Delhi Administration.

Land Cultivated with better Seed and Manure

1633. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the additional acreage of land cultivated with better seeds and manure during the last two years and the additional production resulting therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : During 1967-68, an additional area of about 10.26 million acres over 1966-67 was brought under the High—Yielding Varieties Programme which is expected to create an additional production potential of about 5.5 million tonnes of foodgrains.

During 1968-69, it was planned to bring an additional area of about 6.0 million acres under the High-Yielding Varieties Programme. So far, only the coverage during Kharif, 1968 has become available. As similar information for Rabi/Summer 1968-69 has not yet been reported by most of the States, it is not possible to indicate the additional area actually brought under this programme as well as the additional production of foodgrains expected to result therefrom during 1968-69.

जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में नलकूपों का लगाया जाना

1634. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की गयी भूमि में कृषि-कार्य हेतु राज्य सरकार को अपने नल-कूप लगाने के लिये निर्देश देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हस्तिनापुर के इस क्षेत्र के लिये राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। लघु सिंचाई योजनाओं की (जिनमें राजकीय नलकूप सम्मिलित हैं) तैयारी और क्रियान्विति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

वन्य पशुओं का परिरक्षण

1635. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :

श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने अनुरोध किया है कि वन्य पशुओं के परिरक्षण के लिये तथा शिकार के हेतु पर्यटन सम्बन्धी कुछ सुविधाओं की देखभाल के लिये एक पृथक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पर्यटन विभाग से प्रार्थना प्राप्त होने पर देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण की समस्या पर विचार करने के लिये उच्चाधिकार प्राप्त एक छोटी सी समिति की स्थापना के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि इस मामले पर भारतीय वन्य प्राणी मण्डल (जो कि देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च सलाहकार निकाय है) से परामर्श किया जाये। अत: पर्यटन विभाग की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की मांग को भारतीय वन्य प्राणी मण्डल के, नई दिल्ली में 8 तथा 9 जुलाई, 1969 को हुए सातवें अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने वन्य प्राणी मण्डल के लिए राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाने वाला कार्य बोर्ड स्वयं ही कर रहा है।

तामिलनाडु में गेहूं का उत्पादन

1636. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के निदेशक ने कहा है कि तामिलनाडु वर्ष 1969-70 में दो लाख टन गेहूं पैदा कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तामिलनाडु में गेहूं की खेती आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के निदेशक ने एक भाषण में यह मत प्रकट किया था कि तामिलनाडु सहित दक्षिण भारत 1969-70 की अवधि में 2 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन कर सकता है ।

(ख) तामिलनाडु सरकार ने गेहूं की खेती के लिए अभी कोई सघन कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है ।

(ग) निदेशक का वक्तव्य अभी हाल ही का है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का मदुरै में लागू होना

1637. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू न करने की सलाह दिये जाने पर भी मदुरै में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस योजना को फिलहाल लागू न करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारण दिये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ अक्तूबर, 1956 में मदुरै में बीमाशुदा व्यक्तियों को दिए गए । इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त चिकित्सा लाभ 3 जून, 1969 से बीमाशुदा व्यक्तियों के परिवारों को भी उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन

1638. **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के कुछ अध्ययन दलों ने सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं, आयोग को प्रस्तुत की है। आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। सरकार आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार करेगी।

चीनी का उत्पादन

1639. **श्री अदिचन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री राम चरण :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में चीनी का कुल कितना अनुमानित उत्पादन हुआ है और गत वर्षों की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक है ;

(ख) क्या लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1968-69 में खुले बाजार में चीनी का औसत मूल्य क्या रहा है और इस बारे में गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) 1969-70 में कितनी अतिरिक्त भूमि में गन्ने की खेती की गई और इस वर्ष गन्ने की खेती को प्रोत्साहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में 22 जुलाई, 1969 तक चीनी का उत्पादन 34.94 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि 1967-68 में उसी तारीख तक 22.03 लाख मीटरी टन और 1966-67 में 21.50 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) 1968-69 के लिए उत्पादन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) गत वर्ष की उसी अवधि के मूल्यों की तुलना 1968-69 में खुले बाजार में चीनी का औसत मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1459/69] 1966-67 में खुले बाजार में चीनी की बिक्री नहीं होती थी।

(घ) 1969-70 के लिए गन्ने की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का अभी तक पहला अनुमान नहीं तैयार किया गया है। अभी तक उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इस वर्ष गन्ने की फसल के क्षेत्र में कोई कमी नहीं हुई है। इस वर्ष गन्ने की खेती में हुई वृद्धि के लिए मुख्य प्रोत्साहन पिछले वर्ष गन्ने का अधिक मूल्य देने से मिला था। इस वर्ष गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाने का विचार है :

(1) लघु सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत स्टेट प्लान योजनाओं से पर्याप्त निधि आवंटित कर पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(2) गन्ना विकास क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजना हेतु विशेष ए० आर० सी० (कृषि रिफाइनान्स निगम) योजनाएं बनाना।

(3) उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु कमर्शियल बैंकों से धन सुलभ करना।

(4) स्टेट प्लान योजनाओं के अन्तर्गत कारखाने के क्षेत्रों में मिलाने वाली सड़कों को बनाने को सबसे अधिक प्राथमिकता देना।

(5) गन्ने के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों में कारखानों का तत्परता से भाग लेना।

मछली तथा मछली से बनाये गये पदार्थों के व्यापार में लगा धन

1640. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में मछली तथा मछली से बनाये गये पदार्थों के निर्यात व्यापार में कुल कितना धन लगा हुआ है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में उक्त व्यापार के लिये कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1966 के लिये देश में मीन प्रक्रिया संयंत्रों का अन्तरिम सांख्यकीय सर्वेक्षण उपलब्ध है। यह सर्वेक्षण 3.37 करोड़ रुपये का निवेश प्रदर्शित करता है। 1967 और 1968 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात-व्यापार के लिये 1966 में मछली पकड़ने के पोतों के कार्यों पर निवेश की मात्रा 1966 में कुल निवेश के अंश के रूप में 6.64 करोड़ थी और 1967 और 1968 में क्रमशः 0.78 करोड़ रुपये तथा 1.04 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी।

(ख) 1966 में मीन प्रक्रिया संयन्त्रों पर होने वाला चालू व्यय (मछली के मूल्य सहित) 5.93 करोड़ रुपये था। 1967 और 1968 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

निर्यात-व्यापार के लिये कार्य करने वाले मछली पकड़ने के पोतों पर आने वाला चालू व्यय निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	व्यय
1966	2.39
1967	2.67
1968	3.05

कमी वाले राज्यों को खाद्यान्नों का आंवटन

1641. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमी वाले राज्यों को खाद्यान्नों का आंवटन प्रति व्यक्ति 10.5 औंस की खपत के हिसाब से किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो यह किस आधार पर किया जाता है ; और

(ग) कमी वाले प्रत्येक राज्य की जन-संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) खाद्यान्नों का केन्द्रीय आंवटन सरकार की वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं, राज्य के अन्दर खाद्यान्नों की उपलब्धि, केन्द्र के पास उपलब्धि और अन्य राज्यों की इसी प्रकार की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है ।

(ग) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आंकड़े भारत की जनगणना में उपलब्ध हैं ।

राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन

1642. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन राज्यों के क्या नाम हैं जो वर्ष 1969-70 के दौरान खाद्यान्नों के मामले में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले अपनी आवश्यकता को पूरा करने वाले और कमी वाले राज्य हो जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) खाद्यान्नों की मांग अन्य वस्तुओं की मांग की तरह लचीली है और यह मांग जनसंख्या, लोगों की भौतिक सम्पन्नता, भोजन सम्बन्धी आदतों, शहरीकरण की रफ्तार, अन्य वैकल्पिक खाद्यों आदि की उपलब्धि जैसे कई तत्वों पर निर्भर करती है । भारत की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में अधिकांशत: ये तत्व बदल रहे हैं । भारत में खाद्यान्नों की खपत का कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी उपलब्ध नहीं है । अत: किसी राज्य में किसी समय विशेष पर खाद्यान्नों की जरूरतों का अन्दाजा लगाना कठिन है । 1969-70 में विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की पैदावार के कोई अनुमान तैयार करना भी जल्दबाजी होगा । अत: यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 1969-70 में कौन राज्य अधिशेष, कौन आत्मनिर्भर और कौन कमी वाला राज्य होगा ।

शिमला के लिए नया ट्रांसमीटर

1643. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाये जाने वाला मामला किस स्थिति में है ;

(ख) वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति कितनी है और नये की कितनी है ; और

(ग) नया ट्रांसमीटर कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ट्रांसमिटर के लिए भवन निर्माण का कार्य चालू है ।

(ख) इस समय अल्प शक्ति का शार्टवेव ट्रांसमीटर है । इसके स्थान पर उच्च शक्ति का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया जाएगा ।

(ग) 1970-71 के दौरान ।

हिमाचल प्रदेश में नये रेडियो स्टेशन

1644. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान रेडियो लाहौर, रावलपिंडी और कराची के प्रसारण आकाशवाणी की तुलना में अधिक आसानी से सुने जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में और अधिक नये रेडियो स्टेशन खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते । तथापि, शिमला में उच्च शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है ।

Research Work done by National Seeds Corporation for Improved Seeds

1645. **Shri Prem Chand Verma**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the research work done by the National Seeds Corporation in regard to growing improved seeds of foodgrains ;

(b) whether it is a fact that certain State Governments or some other persons have complained that the seeds of the Corporation are impure, inferior and useless and if so, the names of those State Governments and of those persons ;

(c) the concrete steps being taken by Government to grow improved seeds; and

(d) whether Government have taken any concrete step for the improvement of the seeds and for making them available to the farmers at the minimum prices; and if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The National Seeds Corporation does not undertake any research by itself, although it works in close liaison with research agencies such as I.C.A.R., I.A.R.I. and the Agricultural Universities.

(b) Yes Sir, there have been some complaints of this nature. A list of the same is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1460/69]**

(c) and (d). The National Seeds Corporation which is a public sector undertaking, undertakes production of foundation from the breeders' seeds of improved varieties developed by the I.C.A.R. It also supplies good quality certified seeds. Besides, Tarai Seed Development Corporation has been set up in U. P. for production of quality seeds. In addition to this, Government also encourage production of seed by private companies, etc. These measures help to maintain a competition in the seed industry thereby influencing quality and prices in a healthy manner.

The legislation has also been enacted to control the seed industry in such a manner as to ensure that only quality seeds are sold under truthful levelling conditions. A Central Variety Release Committee has been set up and the National Seeds Corporation undertakes production of only those varieties, which have been scrutinised and released by this Committee. The N.S.C. has also made arrangements for retail sale of seeds through its regional offices and dealers.

कालकाजी नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती का विकास

1646. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने के बारे में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक पानी की सप्लाई, नालियों और बिजली के सम्बन्ध में पूरे किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अलाटियों ने मकान बनाने आरम्भ कर दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अधिकांश मकान कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). बस्ती का आन्तरिक विकास जिसमें, सड़कों का निर्माण, नालियां, मल व्यवस्था, चौबच्चे, तथा पानी की सप्लाई के लिये ऊपरी टैंक तथा पाइप लाइनों का कार्य शामिल हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यवहारिक रूप से पूर्ण हो चुका है । दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा बिजली लगाई जा रही है । पानी की सप्लाई, मल व्यवस्था, तथा बिजली के बारे में स्थिति निम्न है :

पानी की सप्लाई :

आन्तरिक पानी की सप्लाई का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है। दिल्ली नगर निगम ने एक छोटा पानी का कनेक्शन दे दिया है जिससे बस्ती की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी।

निगम द्वारा अन्तिम व्यवस्था किये जाने तक, पानी की सप्लाई को नल कूपों द्वारा बढ़ाया जायेगा जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खोदे जा रहे हैं। एक नल कूप खोदा जा चुका है और उसका विकास किया जा रहा है। बस्ती के आन्तर्भौम जलाशय से लेकर नलकूप तक नाली स्थापित कर दी गई है।

मल व्यवस्था :

आन्तरिक मल व्यवस्था प्रायः पूर्ण हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम ने अब इस आन्तरिक व्यवस्था को मुख्य गन्दी नाली से जोड़ना है। यह कार्य दिल्ली नगर निगम से सम्बन्ध रखता है और जनवरी, 1970 तक इसके पूर्ण होने की आशा है। निगम ने सूचित किया है कि, इस बीच में, विशेष मामले के रूप में, वे आन्तरिक मल व्यवस्था को बाहर जाने वाली मुख्य नाली से जोड़े बिना भवन निर्माण कार्य कलापों की अनुमति दे देंगे यदि व्यक्तिगत प्लाट-होल्डर अपने मकानों के लिये सैप्टिक टैंकों की व्यवस्था कर लें।

बिजली :

40 प्रतिशत कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। आगे कार्य स्थगित कर दिया है क्योंकि बस्ती का बनना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है और छुट-पुट चोरी का भय है। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग ने सूचित किया है कि, जैसे ही मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, बस्ती में बिजली लगाने के कार्य में विलम्ब नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मकानों का निर्माण अलाटियों द्वारा किया जाना है। दिल्ली नगर निगम से मकानों की योजना अनुमोदित करवाने तथा आवश्यक वित्त की व्यवस्था करने के उपरान्त अलाटी निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। अलाटमेन्ट की शर्तों के आधीन, अलाटियों को पट्टे के करार की तिथि से दो वर्ष के अन्तर्गत मकानों के निर्माण कार्य को पूरा करना होगा।

नई दिल्ली में डाक व तार विभाग के क्वार्टरों में सफाई की स्थिति

1647. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित डाक-तार विभाग के 'जी' पाइंट क्वार्टरों के सामान्य शौचालयों का प्रयोग बाहर के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को मजबूर होकर शौचालय के लिये तालकटोरा पार्क के पीछे रिज पर जाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोगों की उपस्थिति के कारण वहां धीरे-धीरे गंदी बस्ती बनती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अलाटियों के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करने और उक्त क्षेत्र को स्वच्छ रखने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ बाहर के व्यक्ति सामान्य शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं। ये व्यक्ति डाक-तार विभाग की भूमि पर नहीं रह रहे । इन लोगों ने जिस स्थान पर कब्जा किया हुआ है, उसे खाली कराने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका से निवेदन किया गया है।

(ख) बाहर के लोगों के बड़ी संख्या में इन शौचालयों का प्रयोग करने के कारण शौचालयों ब्लाकों में सफाई की हालत खराब हो गई है। अन्यथा इसे गन्दी बस्ती नहीं माना जा सकता।

(ग) हर दो क्वार्टरों के लिये एक शौचालय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया था जिस पर 1.4 लाख रुपये लागत आनी थी, किन्तु फिलहाल इस पर आगे कार्यवाई नहीं की जा रही क्योंकि दिल्ली विकास अधिकरण की क्षेत्रीय योजना के अनुसार इस पूरे क्षेत्र को फिर से विकास किया जाएगा और ऐसी स्थिति में मौजूदा क्वार्टरों को गिराना पड़ेगा। इस बीच शौचालयों की ठीक सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। अवैध रूप से कब्जा किये हुए लोगों की बेदखली के लिए इस सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

कपास की खेती के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य

1648. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन-कौन से अभिकरण हैं जो कपास की खेती के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य करते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कपास के उत्पादन सम्बन्धी अनुसंधान योजनाओं के लिये कोई विशेष राशि नियत की है और यदि हां, तो कितनी तथा योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश की अर्थ व्यवस्था में कपास के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ये अभिकरण विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय व भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन कार्य करने वाले केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने अप्रैल 1967 से एक समन्वित कपास सुधार परियोजना प्रायोजित की है, जो कि उपरोक्त एजेन्सियों के तत्वाधान में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त निम्बकर कृषि अनुसन्धान संस्थान, फाल्टन तथा अन्नपूर्णा बीज फार्म उद्योग, वालगन (महाराष्ट्र) इत्यादि एक दो गैर-सरकारी एजेन्सियां भी कपास की खेती के विषय में अनुसन्धान कार्य कर रही हैं।

(ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू करने के लिए एक समन्वित कपास-सुधार परियोजना बनाई है, जिस पर 110 लाख रुपया व्यय होंगे। इस परियोजना के अन्तर्गत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, तथा तामिलनाडु राज्यों में 25 अनुसन्धान केन्द्र हैं। यह योजना कपास अनुसंधान के विषय में राज्यों के कृषि विभागों/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे कार्य की पूर्ति में योग देगी। चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिये 29 लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कपास की उपज में वृद्धि

1649. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, वाशिंगटन की इस रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया गया है कि वर्ष 1968-69 के मौसम में अधिक उपज और अधिक एकड़ भूमि पर कपास की खेती करने के कारण विश्व के कपास उत्पादन में लगभग 50 लाख गांठों की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में भारत में कपास की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो गत वर्ष कपास की प्रति एकड़ उपज कितनी थी ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में देश में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में औसतन कितनी वृद्धि या कमी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। फिर भी विश्व कपास स्थिति की 1968-69 की वार्षिक समीक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ने 1968-69 की अवधि में कपास के विश्व उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 50 लाख गांठों की वृद्धि होने की सूचना दी है। उत्पादन में यह वृद्धि उपज में बढ़ोत्तरी के साथ साथ गत वर्ष की अपेक्षा कपास के क्षेत्र में विस्तार होने के कारण हुई थी।

(ख) जी हां। गत तीन वर्षों में कपास का प्रति हैक्टर उत्पादन निम्न प्रकार था।

1965-66	108	किलोग्राम
1966-67	114	,,
1967-68	124	,,

(ग) 1968-69 की अवधि में कपास के उत्पादन के सरकारी अनुमान संकलित किये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में धान की वसूली पर बाढ़ों का प्रभाव

1650. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1969 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ आने के परिणामस्वरूप धान की वसूली किस सीमा तक रुक जायेगी ;

(ख) क्या इसके कारण आने वाले महीनों में चावल की कमी पड़ जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी का सामना करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार के अनुसार लगभग 2 लाख मीटरी टन ।

(ख) तथा (ग). किसी एक राज्य में अधिप्राप्ति में कमी से सारे देश में चावल की कमी की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है । इससे केवल सरकारी वितरण के लिये चावल की मात्रा की उपलब्धि में कमी होती है । आन्ध्र प्रदेश में कम अधिप्राप्ति को अन्य राज्यों में अधिक अधिप्राप्ति से पूरा किया जा सकता है ।

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योग में मजूरी दर में संशोधन

1651. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरी उद्योगों में मजूरी की दरों में संशोधन सम्बन्धी मामले को हल करने के लिये दिनांक 26 मई, 1969 को कलकत्ता में त्रिपक्षीय बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वसम्मत निर्णय लेने में मजूरी तथा इस त्रिपक्षीय बातचीत के असफल हो जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सम्मेलन में मजदूरों के हित में कुछ ठोस निर्णय किये गये, यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार से मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की मजूरी में परिशोधन के मामले को तय करने के लिये राज्य श्रम मंत्री के समक्ष 17-5-1969 को त्रिपक्षीय वार्ता हुई और यह स्वीकार किया गया कि त्रिपक्षीय स्तर पर और वार्ताएं की जानी चाहिए । परन्तु ये अभी तक सफल सिद्ध नहीं हुई हैं । राज्य सरकार, जो इस मामले में पूर्णतः सजग है, समझौता कराने का प्रयास कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा आकाशवाणी का उपयोग

1652. **श्री रवि राय :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

डा० रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल के सूचना मन्त्री राज्य सरकार द्वारा आकाशवाणी के अधिक उपयोग से सम्बन्धित मामले पर दिनांक 4 जून, 1969 को विचार विमर्श करना चाहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा के सूचना मन्त्री ने भी इस बारे में विचार विमर्श करने के लिये राज्यों के सूचना मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों और सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के पारस्परिक हित के मामलों से सम्बन्धित सुझावों का स्वागत है । इस साल के अन्त तक राज्य सरकारों के सूचना मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ।

समाचार पत्रों के लिये पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारित करना

1653. **श्री रवि राय :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस कमीशन की पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारित करने के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिश को क्रियान्वित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). प्रेस आयोग की सिफारिश पर "समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 (न्यूजपेपर (प्राइज एण्ड पेज) अधिनियम 1956)" सितम्बर, 1956 में पारित हुआ था । अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार समाचार पत्र प्रकाशकों तथा उनकी एसोसिएशन से विचार विमर्श करने के उपरान्त, 'दैनिक समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश, 1960', 24 अक्टूबर, 1960 को जारी किया गया था । आदेश को 12-12-1960 से लागू होना था परन्तु यह अधिनियम लागू न हो सका क्योंकि सकाल समाचारपत्रों तथा अन्य पत्रों ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी

और सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितम्बर, 1961 में यह फैसला दिया कि अधिनियम और आदेश असंवैधानिक तथा निरर्थक हैं। सरकार सिफारिश से सहानुभूति रखती है परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप इसको कार्यान्वित करना फिलहाल कठिन है।

विदेशी जासूसी फिल्मों पर प्रतिबन्ध

1654. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी जासूसी फिल्मों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय तथा 29 मई, 1969 को दिल्ली के एक होटल तथा अन्य स्थानों पर हाल में ही हुई चोरियां विदेशी जासूसी फिल्मों में दिखाये गये तरीकों के अनुसार ही हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की फिल्मों पर सरकार कब प्रतिबन्ध लगाने जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) चोरी के ऐसे कोई मामले ध्यान में नहीं आए हैं जो विदेशी जासूसी फिल्मों में दिखाई गई विधियों के परिणामस्वरूप हों।

(ग) और (घ). फिल्मों के आयात के लाइसेंस उनके आर्थिक मूल्य और लम्बाई के हिसाब से जारी किए जाते हैं न कि फिल्मों के नामों या उनके विषयों के सन्दर्भ में। अतः जासूसी फिल्मों को एक श्रेणी के रूप में अलग नहीं किया जा सकता और उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है क्योंकि देश में आयातित सभी फिल्में तभी दिखाई जा सकती हैं जब वे केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित कर दी जाएं। चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्ध और उनके अन्तर्गत बनी चलचित्र (सेन्सर) नियमावली, 1958 तथा उनके अनुसार बोर्ड को जारी किए गए निदेश उन फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पर्याप्त है जो अपराध करने के लिए उकसाने वाली हों।

एशियाई क्षेत्रीय टेलीफोन सेवा का आरम्भ किया जाना

1655. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई क्षेत्रीय टेलीफोन सेवा की स्थापना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐशियाई क्षेत्रीय दूरसंचार सेवा के लिये सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस उद्देश्य के लिये भारत में एक वाणिज्यिक उपग्रह केन्द्र स्थापित करने जा रही है; और

(घ) यह उपग्रह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE) ने इसमें भाग लेने वाले देशों की मंजूरी से इस क्षेत्र में दूर-संचार का जाल बिछाने का एक प्रस्ताव रखा है जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच दूरसंचार संबंध स्थापित करना भी शामिल है।

(ख) एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग ने इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की सहायता से राष्ट्रसंघ विकास कायक्रमके अंतर्गत निवेश करने से पूर्व का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की है। इस बारे में विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इनमें भाग लेने वाले देश इन्हें कार्यान्वित करेंगे और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगे।

(ग) भारत विश्व उपग्रह दूरसंचार प्रणाली में भाग लेने के लिए एक वाणिज्यिक उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना कर रहा है।

(घ) आशा है कि यह केंद्र जनवरी, 1970 में कार्य करना आरम्भ कर देगा।

Sugar Production and its Distribution

1656. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the scheme being chalked out by Government for the Distribution of sugar produced this year among different areas of the country ;

(b) whether Government are preparing some prospective plan in connection with the sugar to be produced during 1969-70 season ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In view of the decision of the Government to procure 70 per cent of the production of the factories at fixed prices mainly for distribution to domestic consumers and also in view of tho substantial increase in production this year, the monthly quotas of levy sugar of the States have already been increased from an aggregate of one lakh tonnes prior to January, 1969, to 1.26 lakh tonnes in January, 1969, and to 1.59 lakhs tonnes from May, 1969. The State Governments have been advised to distribute these quotas mainly among the domestic consumers. The monthly quotas of sugar released to sugar factories for freesale have also been increased from 60,000 tonnes last year, to 70,000 tonnes from January, 1969 and 95,000 tonnes from June, 1969, in stages. The bulk consumers are required to purchase their requirements from the open market. Arrangements

for distribution of allotted quotas within the States are made by the State Governments concerned.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

उर्वरकों की भाड़ा लागत

1657. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से भारत भेजे जाने वाले उर्वरकों की भाड़ा लागत वियतनाम युद्ध के शिथिल किये जाने के कारण काफी बढ़ जाने की संभावना है क्योंकि अमरीका ने इस निर्णय की शर्तों के अनुसार कि अमरीकी सहायता ऋण से खरीदे गये उर्वरकों के कुल निर्यात की 50 प्रतिशत मात्रा अमरीकी जहाजों द्वारा ले जाई जानी चाहिये, अमरीकी जहाजों में उर्वरक भेजने पर जोर देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भाड़े की लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और आगामी वर्ष में इस कारण विदेशी मुद्रा में कुल कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ेगी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से इस अतिरिक्त भार से छूट देने के लिये अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). उर्वरकों की खरीद के लिये अमरीका से प्राप्त होने वाली शर्तों के अनुसार आसादित उर्वरकों की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा अमरीकी पलैग पोतों से ढ़ोई जानी है। अमरीकी जहाज उपलब्ध न होने पर अमरीकी सरकार 50 प्रतिशत से अधिक गैर-अमरीकी जहाजों की सहायता से ढुलाई की मंजूरी दे सकती है।

(i) संयुक्त राज्य अमेरीका से खाद्य निर्यात में कमी होने, (ii) यू० एस० समुद्रीय प्रशासन द्वारा अधिकतम दरों में परिवर्तन करने और (iii) अमरीकी जहाजों के अन्य दूसरे स्थानों से खाली होने के कारणों से जनवरी 1968 से अमरीकी जहाजों की अधिक उपलब्धि रही है।

जुलाई, 1967 से जून, 1968 तक 6.44 लाख मीटरी टन के लिये अमरीकी जहाजों के लिये भाड़ा 223 लाख डालर दिया गया, जुलाई, 1968 से जून, 1969 तक 6.96 लाख मीटरी टन को ले जाने का भाड़ा 297 लाख डालर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरीका का इस देश को अमरीकी जहाजों द्वारा 50 प्रतिशत उर्वरक ले जाने को वाद्य करने को या भारत सरकार को अमरीकी सरकार से राहत प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं होता।

चीनी के मूल्य

1658. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी के (नियंत्रित तथा खुले बाजार में) दो भाव रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी नीति के दीर्घकालिक परिणाम किसानों के लिये हानि-कर होंगे और उन्हें गुड़ का भाव कम हो जाने की आशंका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति जिसके अन्तर्गत सरकार निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन का कुल भाग अधिप्राप्त करती है, और शेष उत्पादन चीनी कारखानों को खुले बाजार में बिक्री के लिए दिया जाता है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर अपनाई गयी थी :

(1) चीनी कारखाने द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के ऊंचे दाम देने में सुविधा देने के लिए ;

(2) 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में गन्ने के अन्तर्गत लगातार क्षेत्र में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को उत्पादकों को उपयुक्त (1) में उल्लिखित प्रोत्साहन देकर रोकने के लिए ;

(3) चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिये;

(4) घरेलू उपभोक्ताओं और सुरक्षा सेवाओं, निर्यात आदि के लिए सस्ते मूल्य पर चीनी सुलभ करने के लिए ।

(ख) जी नहीं ।

Central Government Godowns in M.P.

1659. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount spent at present on the Central Government godowns and the warehouses of the Central Warehousing Corporation located in Madhya Pradesh ;

(b) the distance between these godowns or warehouses and the railway stations ;

(c) the total stock in these godowns at present ; and

(d) the amount spent per month on their maintenance and staffing ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) All the foodgrain godowns belonging to the Food Department have been transferred to the Food Corporation of India. The amount spent upto 31st March, 1969 on the construction of warehouses/godowns at Indore, Bhatapara and Morena by the Central Warehousing Corporation was Rs. 23,79,520/-. The work at Indore is still in progress.

(b) to (d). The information relating to the three warehouses/godowns at Indore, Bhatapara and Morena is as under :

	Indore	Bhatapara	Morena
(i) Distances between the warehouses and the Railway Stations ..	6 K.M.	2½ K.M.	2 K.M.
(ii) Total stocks held on the 30th June, 1969..	4,987 M.T.	4,259 M.T.	5,870 M.T.
(iii) Average monthly expenditure during 1968-69 on			
Maintenance ..	Nil*	Rs. 512/33	Rs. 904/16
Staff ..	Rs. 2,972/95	Rs. 1,703/25	Rs. 1,948/15

Assistance to M. P. for Minor Irrigation

1660. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the assistance provided to Madhya Pradesh Government during 1967-68 and 1968-69 for minor irrigation projects, land development and agricultural production ;

(b) the amount of assistance asked for by Madhya Pradesh Government for the said purpose during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 ; and

(c) the amount of assistance sanctioned by the Central Government against these demands for 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Central assistance is released to State Governments for Centrally Sponsored and Centrally Aided (State Plan) Schemes. The Central assistance given to the Government of Madhya Pradesh for these schemes during 1967-68 and 1968-69 is given below :

(Rs. in lakhs)

Scheme	Amount released			
	1967-68		1968-69	
	Loans	Grants	Loans	Grants
(i) Centrally aided schemes.	423.58	185.68	451.94	147.08
(ii) Centrally sponsored.	3.33	55.84	3.76	25.91
	426.91	241.52	455.70	172.99

(b) and (c). Central assistance is released to the States on the basis of the progress of expenditure reported by them. For the State Plan Schemes, the entire amount asked for by the State was released to them during the years 1967-68 and 1968-69. In the case of Centrally Sponsored Scheme, the amount of assistance is fixed on the basis of pattern of assistance, and there is no question of State Government asking for any assistance.

*The godowns were completed recently.

Under the new procedure for release of assistance to State Governments for State Plan Schemes introduced from the current financial year (1969-70), assistance will be made available to the State Governments in block loans and grants for all sectors as a whole and will not be related to any individual programme or scheme. An allocation of Rs. 46.70 crores has been approved for giving central assistance to State Government for their annual plan for 1969-70. Actual release of assistance for 1969-70 will be made towards the close of the financial year on the basis of the progress of expenditure reported by the State Government.

Decrease in Number of Lions in M. P. Forests

1661. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of lions in Madhya Pradesh is decreasing day by day :

(b) whether it is also a fact that the reason for the decrease in their number is that there is no ban on the hunting of lions by former rulers and the members of their families and that their number is likely to reduce further ;

(c) whether the number of lions is reducing in Chandni and Asirgarh forests of Burhanpur Tehsil of Madhya Pradesh on account of hunting of lions by senior Officers of Nepanagar ;

(d) if so, whether Government propose to put a ban on the lion-hunting by the former rulers and senior Officers of Nepanagar ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) At present there are no lions in the forests of Madhya Pradesh.

(b) to (e). Do not arise.

Agricultural Farm in Madhya Pradesh

1662. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have set up or approved any agricultural farm in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government will consider a proposal to set up such a farm in Hoshangabad or East Nimar district of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government have decided not to set up, for the present, any new Central State Farm other than the Farms which have already been set up or are in an advanced stage of planning. There is no proposal at present to set up any Central State Farm in Madhya Pradesh.

Opening of New Post Offices in M. P.

1663. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications/representations received by the Postmaster General, Madhya Pradesh during the last two years for opening of new Post Offices, raising the status of Branch Post Offices and for providing telephone connections ;

(b) the number of representations out of them on whom action has been taken ;

(c) whether it is a fact that in spite of the various efforts made by the Postmaster General, action on a large number of applications/representations has not been taken because the offices at lower levels do not take interest in their work resulting in hardship to the people ;

(d) if so, the action taken by Government in this regard so far ; and

(e) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Number of applications received for :

(i) Opening of new Post Offices.	375
(ii) Raising the status of Branch Post Offices.	42
(b) I. Opening of new Post Offices :	
(i) Proposals accepted and Post Offices opened.	87
(ii) Number of cases where proposals were not justified under the standards and had to be rejected.	114
(iii) Cases in which sanctions for opening of new Post Offices have been issued but yet to be implemented.	19
II. Raising the status of Branch Post Offices :	
(i) Number of proposals for raising the status of Branch Post offices accepted :	31
(ii) Number of such proposals not justified by standards and which had to be turned down :	7

(c) to (e). The remaining applications/representations are under enquiry and the Postmaster-General, Bhopal has been instructed to dispose them early. Proposals of this nature necessitate the maintenance and check of statistics of various classes of postal traffic during the observation period and this takes some time. Delay, if any, is not due to lack of interest by Offices at lower levels.

Provision of Telephone Connections :

(a) to (e). Information relating to the provision of telephone connections is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Facilities to M. Ps. serving on Regional P and T and Telephone Advisory Committees

1664. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Regional Posts and Telegraphs Advisory Committees and Telephone Advisory Committees are set up in every part of the country ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Members of Parliament are also represented on them ;

(c) if so, whether any facilities are provided to those M. Ps. ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) whether the M. Ps. avail of those facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The M. Ps. nominated on the Regional P and T Advisory Committees and the Telephone Advisory Committees are entitled to draw TA and DA at the rates prescribed from time to time for M. Ps serving on Committees, Commissions, Board of Enquiry, etc. set up by the Central Government. They are also entitled to travel by air at their discretion if circumstances demand for attending the meetings of the Committees.

(e) Yes, at their discretion.

Retrenchment in Central Potato Research Institute, Patna

1665. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that vegetables are grown in 7-acre land, Gram and Paddy in 10-acre land, Maize in 16-acre land during the summer season every year in the Central Potato Research Institute in Patna ;

(b) whether it is also a fact that it yields thousands of rupees to Government ;

(c) whether it is also a fact that nothing has been sown this year resulting in loss of thousands of rupees to the Government ; if so, the reasons thereof ; and

(d) whether it is also a fact that the underlying reason thereof is to retrench the workers who had been working for these several years ; and if so, the reasons for the retrenchment of workers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During summer/rainy season every year different crops like paddy, jowar, maize, vegetables, sunhemp and fodders are grown at the Central Potato Research Institute, Patna. The area utilised for each crop, however, varies from year to year.

(b) Yes Sir.

(c) No Sir. The area under different crops during summer/rainy season this year under cultivation is 51.01 acres.

(d) No Sir. The nature of work in the Institute is seasonal. Only a limited number of workers are employed regularly.

According to the volume of work in the season, larger number of daily labourers are employed.

शिकायतों को निबटाने के लिये डाक निरीक्षक के और पदों का बनाया जाना

1666. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता से बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि जनता की शिकायतों को कार्यकुशलता से दूर करने के लिए प्रत्येक डिवीजन में डाक-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद बनाये जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात मंडल के पोस्टमास्टर जनरल ने इन आदेशों को कार्यान्वित कर दिया है और गुजरात मंडल के डिवीजनों में अतिरिक्त पद बना दिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, लेकिन जनता की शिकायतों पर अधिक ध्यान देने के लिए, न कि बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त होने के कारण ।

(ख) और (ग). जी हां । डाकघर निरीक्षक (शिकायत) के जितने अतिरिक्त पदों के लिए औचित्य है, उनके निर्माण के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनः बसाना

1667. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1969 तक पश्चिम पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से पृथक-पृथक कितने कितने शरणार्थियों ने प्रवसन किया;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को पुनः बसाने में तथा उनको क्षतिपूर्ति की अदायगी में कुल 390.57 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को फिर से बसाने में उनकी संख्या अधिक होने पर भी केवल 189.68 करोड़ रुपये खर्च हुए और यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता व्यवहारिक रूप से बिल्कुल समाप्त हो गया है और शरणार्थियों की सम्पत्ति का विक्रय अथवा अदला-बदली वास्तविक रूप से असम्भव हो गया है यद्यपि उनके स्वाम्याधिकार को समझौते द्वारा मान्यता दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिवर्तित स्थिति में, पाकिस्तान सरकार की बदली हुई नीति के कारण, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मार्च, 1969 तक पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की कुल संख्या क्रमशः 49.47 लाख तथा 50.25 लाख है।

(ख) 31 मार्च, 1969 तक, पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास तथा मुआवजे की अदायगी के रूप में, कुल 405.86 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस राशि में से 141.24 करोड़ निश्क्रान्त सम्पत्तियों के किराये तथा बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त हुये थे। इस प्रकार सरकार ने अपनी निधि में से पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर केवल 264.62 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के मामले में 31 मार्च, 1969 तक सरकार ने 304.20 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इसमें कोई भेद-भाव नहीं है।

(ग) से (ङ). अप्रैल, 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उनके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के पूर्ण स्वामित्व अधिकार हैं और वे इन सम्पत्तियों को बेच या विनिमय कर सकते हैं। तथापि, पाकिस्तान सरकार ने समझौते को अक्षरशः तथा भावनात्मक दृष्टि से मान्यता नहीं दी है और शरणार्थियों का पूर्वी पाकिस्तान जाना तथा वहां जाकर उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों का निपटान करना अत्यन्त दूभर कर दिया है। इसके लिये भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों का मुआवजा देना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं है जिसके अन्य बातों के साथ निम्न कारण हैं :

(i) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की सम्पत्तियां नेहरू-लियाकत समझौता, 1950, में की गई व्यवस्था द्वारा शासित होती हैं जिसके अनुसार उन सम्पत्तियों का स्वामित्व अधिकार उन व्यक्तियों का चला आ रहा है।

(ii) भारत के पूर्वी खण्ड में वस्तुतः कोई निश्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है जोकि मुआवजा पूल का भाग बन सके और जिसमें से शरणार्थियों को मुआवजा अदा किया जा सके।

(iii) वित्तीय अभिग्रस्ति के अतिरिक्त शरणार्थियों के दावों के सत्यापन में भी गंभीर कठिनाइयां होंगी।

नेफा में सेब के पेड़ लगाना

1668. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में सेब के पेड़ लगाने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में बढ़िया किस्म के सेब पैदा किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई सेब का बगीचा बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में।

(ग) जी, हां, छोटे-छोटे फलोद्यान शुरू कर दिए गए हैं।

(घ) लगभग 50 एकड़ भूमि में व्यापारिक महत्व के फलोद्यान लगाए गए हैं। अगेते वृक्ष फल देने लगे हैं और कुछ फलों को बाजार में बेचा जाता है। सेब की काश्त के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये जनता से अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है।

लघु सिंचाई योजनाओं का उपयोग

1669. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसान पम्पिंग सेट आदि जैसी लघु सिंचाई योजनाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई सहकारी समितियां बना कर छोटे किसानों को सिंचाई की विशेष सुविधायें देने का एक अभियान चालू करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सही है कि कुछ मामलों में छोटे किसान लघु-सिंचाई निर्माण कार्य के लिए भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगमों आदि से संस्थानिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि ये संस्थायें पर्याप्त जमानत लेने पर जोर देते हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय कृषि विभाग, सिंचाई योजनाओं को सामुदायिक तथा सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर देता रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर जोर दिया जा रहा है कि वे छोटे किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने लिये निम्नलिखित साधन अपनायें :

(1) योजना क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थानिक निवेश तथा उपदान में कटौती के फलस्वरूप होने वाली बचत, छोटे किसानों के हित के लिए राज्य में बड़े निर्माण कार्यक्रमों के लिए नियत की जानी चाहिए।

(2) उन कुओं/नलकूपों के निर्माण के लिये जिनका स्वामित्व तथा परिचालन आपसी लाभ के लिए किसानों के छोटे-छोटे दलों द्वारा अथवा पंचायत द्वारा किया जाता है, सामुदायिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(3) सरकारी ऋण (तकावी) मूल रूप से उन ही छोटे किसानों तक सीमित रखा जाना चाहिए जो कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं और संस्थानिक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(4) भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण प्रायः उन थोड़े से मंझले किसानों को ही दिया जाना चाहिए जिनके पास निर्धारित सीमा से कम भूमि हो। इस सीमा

से अधिक भूमि वाले किसानों को मध्य अवधि ऋण मुख्य केवल केन्द्रीय सहकारी समिति/व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही मिलना चाहिए ।

(5) भूमि विकास बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे किसानों के छोटे दलों को संयुक्त रूप में कूप/नलकूप के लिए ऋण प्रदान करें जिससे कि छोटे किसान भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें और कूपों/नलकूपों का बेहतर प्रयोग हो सके ।

(6) पिछड़े हुए क्षेत्रों में, किसानों की ऋण-योग्यता निर्धारित करने की कसौटी को भूमि के मूल्य को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना तथा, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों से बट्टे खाते के लिए अंशदान की गारन्टी प्राप्त करने पर विचार किया जा सकता है ।

(7) उपदान, एक सीमित जोत से कम भूमि वाले किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए ।

(8) किसानों द्वारा बनाए गये ऐसे कुएं की निर्माण लागत का लगभग दो तिहाई भाग जो प्रयोग के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं और जिन्हें किसान छोड़ देते हैं, उपदान के रूप में किसानों को दिया जाना चाहिए ।

नर भेड़ों तथा मादा भेड़ों का आयात

1670. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित नर भेड़ के साथ भारतीय मादा भेड़ को मिलाने के क्या परिणाम निकले हैं,

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक देश से कितनी नर भेड़ों तथा मादा भेड़ों का आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को चौथी योजना में अमरीकी सहायता-गैर-परियोजना ऋण निधि-का उपयोग करते हुए बढ़िया ऊन वाली मेराइन किस्म की लगभग 10,000 भेड़ों का आयात करने की योजना है, यदि हां, तो किस देश से ; और

(घ) इस समय प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सामान्यतः भारतीय भेड़ों के साथ संकरण के लिये आयातित नर भेड़ों का उपयोग नहीं किया जाता । भारतीय भेड़ों का संकरण देश में आयातित उत्तम कोटि की ऊन वाले मेढ़ों के साथ किया जाता है । भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र, पूना (महाराष्ट्र), भेड़ प्रजनन फार्म, पीपल कोटी (उत्तर प्रदेश), भेड़ प्रजनन फार्म बनीहाल-रिआशी (जम्मू और काश्मीर) और केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केन्द्र, पशुलोक (उत्तर प्रदेश) में किये गये संकरण कार्य के परिणामों से प्रकट हुआ है कि ऊन उत्पादन और रेशे के व्यास, रेशे की लम्बाई और फ्लीश के घनत्व आदि ऊन के अन्य गुणों की दृष्टि से संकरित भेड़े स्थानीय नर भेड़ों से श्रेष्ठ हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों में आयात हुई भेड़ों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	देश, जिससे नर भेड़ (मेढ़े) आयात की गई	(ईव्ज)	(रेम्स)	कुल
1967	आस्ट्रेलिया	112	26	138
1968	आस्ट्रेलिया	186	23	209
1968	संयुक्त राज्य अमेरिका	1405	62	1467
1969	आस्ट्रेलिया	406	41	447
	आस्ट्रेलिया	466	40	506

(ग) और (घ). अच्छी ऊन वाली 10,000 भेड़ों को आयात करने का प्रस्ताव है। 1968 की अवधि में अमरीकी सहायता गैर-परियोजना ऋण निधि का उपयोग करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से 1467 रेमवोलिट भेड़ों को आयात किया गया था। अमरीकी सहायता गैर-परियोजना ऋण के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर भेड़ों को संयुक्त राज्य अमरीका से आयात करना पड़ेगा।

Working of Cow Protection Committee

1671. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the difficulties that had arisen in the working of officially constituted Cow Protection Committee have been removed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir.

(b) Three representatives of the Sarvadliya Goraksha Mahabhiyan Samiti withdrew from the deliberations of the Committee on Cow Protection in August, 1968 on the ground that the Committee should only consider proposals for a total ban on the slaughter of the cow and its progeny as proposed by the Samiti and should not consider proposals of a partial ban or even no ban at all, as proposed by others. According to the Government Resolution dated the 29th of June, 1967 constituting the Committee, and the clarification subsequently furnished on 10th of August, 1968, the Committee is to examine **inter alia** all proposals of the Samiti and others and to consider all aspects of the question of Cow Protection, namely constitutional, legal and economic, before submitting its report to Government. The Government have requested the Samiti to co-operate with the work of the Committee on the basis of the terms of reference as contained in the Government Resolution, so that the Committee can resume its deliberations and submit its report.

चीनी उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड

1672. **श्री के० रमानी :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड कब नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या इसने अपना अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरा केन्द्रीय मजूरी बोर्ड 16 नवम्बर, 1965 को स्थापित किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मजूरी बोर्ड को पेचीदा मामलों को निपटाना पड़ता है और विरोधी पक्षों में समझौता कराना पड़ता है । परन्तु बोर्ड का काम अब समाप्ति पर है और आशा की जाती है कि इसकी रिपोर्ट सितम्बर, 1969 के अन्त तक प्रस्तुत की जायेगी ।

कृषि स्नातकों के लिये नौकरियां

1673. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बड़ी संख्या में कृषि-इंजीनियरी विभिन्न कृषि-विश्वविद्यालयों से स्नातक होकर निकलते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनको उचित नौकरियां नहीं मिलती हैं ;

(ग) क्या इसका कारण राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की भर्ती की दोषपूर्ण नीतियां हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं जिनसे पता चले कि कृषि-अभियंताओं को ऐसे पदों पर रक्खा हुआ है जो उसके लिये उपयुक्त नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं होते । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने समस्त राज्य

सरकारों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कृषि संबंधी पदों पर नियुक्ति करते समय सिविल/यांत्रिकी अभियंताओं की अपेक्षा कृषि अभियंताओं को प्राथमिकता दें ।

Promotion of Gram Sewaks

1674. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the Districts in each State, whose Gram Sewaks were declared first in the competition organized by the All India Gram Sewaks Conference during the last five years ;

(b) the number out of them who have been appointed A. D. Os (Agriculture) and the number of those who have not been so promoted ; and

(c) the reasons for not appointing all such Gram Sewaks as A. D. Os. who were adjudged first by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) All India Gram Sevaks Conference have not organised any competition for best Gram Sevaks. However, the Government of India have a scheme of Prize Competition among the Gram Sevaks/Sevikas/ Villages. Particulars of Gram Sevaks selected first at the National level under this scheme during the last five years are given below :

1963-64 : Shri Bhagwan Singh, Chiraigaon Block, Varanasi District, Uttar Pradesh.

1964-65 : Shri Chhabi Nath Tewari, Block—Kashi Vidyapith, District Varanasi (U. P.).

1965-66 : Shri Vishavasrao Ruparao Thorat, Akot Block, District Akola, Maharashtra.

1966-67 : Shri T. G. Marathe, Akola Block, District Akola, Maharashtra.

1967-68 : Shri G. A. Khan, Block Bhatkuli, District Amravati, Maharashtra.

(b) and (c). Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House on receipt.

Import of Soyabean Oil

1675. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total quantity in metric tonnes of soyabean oil imported from abroad since the 1st January, 1968 and the total value in Indian currency thereof ; and

(b) the quantity of soyabean oil proposed to be imported from abroad during the financial year 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Imports from the 1st January, 1968 up to 31st July, 1969 are as under :

Quantity	1.35 lakh tonnes
Value	Rs. 23.42 crores

(b) Arrangements for the import of about 51,000 tonnes (including about 36,000 tonnes covered under (a) above) during 1969-70, have so far been made. The possibility of obtaining a further quantity is being explored.

उर्वरकों की खपत और उपलब्धता

1676. **श्री एम० एस० ओबराय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का हाल ही में अध्ययन किया है कि 1970 में देश में उर्वरकों की मांग की तुलना में इनकी उपलब्धता और खपत क्या होगी; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अस्थायी रूप से अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 के दौरान देश में खपत के लिये 20 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 8 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ और 4 लाख मीटरी टन $के_2 ओ$ की आवश्यकता होगी। 1970-71 के दौरान उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन 12.28 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 4.10 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ होने की आशा है और शेष मांग आयातों द्वारा पूरी की जायेगी। 1969-70 के दौरान हुई खपत का स्तर ज्ञात होने पर ही संभरण की स्थिति का पुन-र्विलोकन किया जाएगा।

खेतिहर मजदूरों को ऋण सुविधा

1677. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मजदूरों को ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) खेतिहर मजदूरों को ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए किन-किन राज्यों ने तथा क्या-क्या कार्यक्रम बनाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :

(i) केन्द्रीय सरकार की सलाह पर प्रायः सभी राज्यों में फसल ऋण प्रणाली को चालू कर दिया गया है। इससे छोटे कृषक, सिकमी काश्तकार और फसल भागीदार जो कि निर्वाह के लिये अपनी मेहनत पर ही निर्भर करते हैं, सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) पड़ती भूमि के सुधार और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा इस पर खेती की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई थी और वह तीन वार्षिक योजनाओं में जारी रही। भूमि के सुधार और विकास के लिये 750 रुपये प्रति हेक्टर की दर से सहायता के साथ साथ प्रत्येक परिवार को कृषि के लिये आवश्यक साधनों की व्यवस्था के लिये 750 रुपये और प्रदान किये गये।

(iii) भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई कृषि मजदूर आदर्श बस्ती योजना पर 31-3-1968 तक कार्य होता रहा। प्रत्येक परिवार को इस योजना के अन्तर्गत बसने के लिये 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। 31-3-1968 से यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं रही। भूमिहीन कृषि मजदूर पुनर्स्थापन और कृषि मजदूर आदर्श बस्ती योजना अब 1-4-1969 से राज्य योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) कुछ राज्य कृषि मजदूरों को व्यक्तिगत स्तर पर अपने बजट से तकावी ऋण देने की व्यवस्था करते हैं, जबकि अधिकांश राज्य ऐसा नहीं करते। कुछ राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों की नियमावली के अनुसार कृषि मजदूरों को ऋण देने की व्यवस्था मौजूद है जबकि अन्य राज्यों की सहकारी समितियों की नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यवार स्थिति निम्न है :—

(i) राज्य जो कि अपने बजट में प्रावधान कर लेते हैं या सहकारी समितियां जिनकी नियमावलियों में कृषि मजदूरों को ऋण देने की व्यवस्था है :—

(1) पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों को कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत राज्य सरकार और राज्य की सहकारी समितियों द्वारा ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1968-69 में समाहर्ताओं को कृषि ऋण और पशु क्रय ऋण वितरित करने के लिए क्रमशः 273.78 लाख और 88.00 लाख रुपये नियतित किये गये हैं।

(2) महाराष्ट्र ने भी अपने बजट में बैलों, कृषि उपकरणों, बीजों और मकानों के लिये कृषि मजदूरों को निम्न प्रकार से अनुदान और ऋण देने की व्यवस्था की है :—

योजनाओं का नाम	कार्य जिसके लिये स्वीकृत किया गया	प्रति परिवार स्वीकृत सहायता		
		उपदान	ऋण	कुल
		रुपये	रुपये	रुपये
1. भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्स्थापन की योजना	बैल और कृषि उपकरणों की खरीद के लिये	562.50	187.50	750.00
2. कृषि मजदूर आदर्श बस्ती योजना	(क) बैल, कृषि उपकरण, बीज आदि की खरीद के लिये।	562.50	187.50	750.00
	(ख) मकानों के निर्माण के लिये।	750.00	250.00	1000.00
	(ग) बसाने का व्यय।	825.00	275.00	1100.00

महाराष्ट्र राज्य की सहकारी समितियों की नियमावली के अनुसार कृषि मजदूरों को ऋण तभी प्रदान किया जा सकता है जब कि वे उन सहकारी समितियों के सदस्य हों।

(ii) राज्य जो कि अपने बजट में कृषि मजदूरों को ऋण देने का प्रावधान नहीं करते किन्तु जिनकी सहकारी समितियों की नियमावली में कृषि मजदूरों को ऋण देने की सुविधाओं का प्रावधान है :

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और अन्डमान द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों की नियमावलियों में कृषि मजदूरों को ऋण देने का प्रावधान है बशर्ते कि वे सहकारी समितियों के सदस्य हों।

(iii) वे राज्य जो कि कृषि मजदूरों को व्यक्तिगत आधार पर ऋण नहीं प्रदान करते और साथ ही उन राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों की नियमावलियों में भी कृषि मजदूरों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है :

आसाम, जम्मू और काश्मीर, मैसूर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और मणिपुर नेफा और दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों में कृषि मजदूरों को ऋण सुविधायें देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उड़ीसा और गोवा, दमन और दीव के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Consultative Council on Community Development Department

1678. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a Consultative Council has been set up by the Government of India to advise them on the policies regarding Community Development;

(b) if so, the functions of the Council and the subjects on which the Council has tendered its advice to Government so far; and

(c) the associations being represented by the members of the Council ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The functions of the Council are :

(i) to advise the Centre and the States on the problems relating to Community Development and their solution ;

(ii) to review, from time to time, the progress and recommend measures for needed improvements in the implementation of the Community Development Programme with special reference to intensive programmes of action ; and

(iii) to advise the Centre and the States on the measures required to secure adequate resources for the Community Development Programme, as well as public co-operation, taking into account the needs both of economic development and community action.

A statement showing the broad decisions reached at the first meeting of the Council on July 7, 1969, is laid on the Table of the House. A copy each of the Government of India Resolutions setting up the Council is also laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1461/69]**

(c) The associations represented on the Council are (i) The Central Social Welfare Board; (ii) The Central Institute of Research and Training in Public Co-operation; (iii) All India Panchayat Parishad; (iv) All India Women's Conference and (v) National Institute of Community Development.

आकाशवाणी से सिंधी कार्यक्रम

1679. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधी भाषा में होने वाले कार्यक्रमों को आकाशवाणी में कितना समय दिया जाता है ;

(ख) सिंधी भाषा में किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है ;

(ग) क्या देश में विभिन्न सिंधी संस्थाओं की ओर से यह मांग रही है कि सिंधी भाषा में होने वाले प्रसारण के समय में वृद्धि की जाये ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिंधी भाषा में होने वाले प्रसारण के समय में वृद्धि करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 67 घण्टे, 33 मिनट प्रति मास ।

(ख) आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले सिंधी कार्यक्रमों में समाचार, वार्तायें, नाटक, रूपक, संगीत रूपक, सुगम संगीत, कविता पाठ, महत्वपूर्ण समारोहों की रेडियो रिपोर्टें आदि शामिल हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निकट भविष्य में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है ।

(ङ) स्रोतों के अभाव तथा ट्रांसमिशन समय की कमी के कारण ।

अभ्रक खानों में सुरक्षा नियमों को लागू करना

1680. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-सुरक्षा महानिदेशक ने हाल ही में कहा है कि अभ्रक खानों में अभी बहुत से सुरक्षा नियमों को लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी अभ्रक खानें हैं जिन्होंने अभी बहुत से सुरक्षा नियमों को लागू नहीं किया है ; और

(ग) उन खान-मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने नियमों को लागू नहीं किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोदर्मा अभ्रक क्षेत्र में सुरक्षा सप्ताह समारोह के अन्तिम दिन 23 मार्च, 1969 को खान सुरक्षा महानिदेशक ने अपने भाषण में यह कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा सम्बन्धी कुछ सांविधिक नियमों और विनियमों को कोदर्मा अभ्रक क्षेत्र के कुछ खान प्रबन्धकों ने पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया है ।

(ख) और (ग). 1968 और 1969 के दौरान कोदर्मा क्षेत्र की निम्नलिखित अभ्रक खानों के विरुद्ध सुरक्षा उपबन्धों के उल्लंघन के कारण अभियोजन चलाये गये :

1. बेरोसवा प्रास्पेक्टिंग अभ्रक खान ।
2. चाट्टूराम होलीराम कं० की पिपरिया अभ्रक खान ।
3. सोवर्ण प्रोस्पेक्टिंग अभ्रक खान ।
4. चाट्टुराम होलीराम कं० की लगनवा अभ्रक खान ।
5. पेरी डिबलिया नं० 3 अभ्रक खान ।
6. कपूरवा अभ्रक खान ।
7. जाटाहिया नं० 3 अभ्रक खान ।
8. काडरगोहिया एस० क्यू० नं० 41 आर० प्रास्पेक्टिंग अभ्रक खान ।
9. कारारुआ नं० 2 अभ्रक खान ।
10. एस० क्यू० नं० 36-एल० प्रास्पेक्टिंग खान ।
11. बारकोला पिट नं० 10 अभ्रक खान ।
12. अंगुरटुटवा अभ्रक खान ।

नोट :—अर्हता-प्राप्त पर्यवेक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित धातु-प्रद खान विनियमनों के उपबंध पहली जनवरी, 1969 से क्रियान्वित किये गये । इन्हें अभी तक अभ्रक खानों में पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है । खान निरीक्षणालय खान प्रबंधकों से ऐसे अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये अनुनय कर रहा है । यदि अनुनय के प्रयत्न सफल नहीं हुए तो क्रियान्विति न करने वाले प्रबंधकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जायेंगे ।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

1681. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में वर्षवार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष रोजगार के अवसर कितने प्रतिशत बढ़ जाते हैं ; और

(ख) इन वर्षों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि अथवा कमी के लिये कौन से तत्व उत्तरदायी रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1462/69]

(ख) अधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :

(i) पिछले वर्षों में लगातार वर्षा की कमी, आर्थिक मंदी आदि के फलस्वरूप विकास गति में गिरावट ;

(ii) पूंजी के निवेश में कमी।

केरल को चावल का आवंटन

1682. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दी के महीनों में मूल्यों में सम्भाव्य वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए केरल सरकार ने चावल का अधिक आवंटन किये जाने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य में मई, 1969 में मूल्यों में वृद्धि हुई थी; और

(ग) यह वृद्धि 1968 में इसी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में कितनी कम या अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल में उचित मूल्य की दुकानों तथा राज्य सरकार के अन्य नामितों को उनके द्वारा जारी किये गये प्राधिकार के आधार पर चावल भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सीधे जारी किया जाता है।

आवंटन हमेशा केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो को किया जाता है। केरल सरकार ने केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में चावल के पर्याप्त स्टाक बनाये रखने के लिये कहा था ताकि मन्दी की अवधि में राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 160 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन चावल का पूरा राशन दिया जा सके। फिलहाल केरल के डिपों में सरकारी वितरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त स्टाक है।

(ख) तथा (ग). किसी भी राज्य में मन्दी के मौसम में चावल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति होना एक सामान्य बात है। सारे केरल राज्य में खाद्यान्न की सांविधिक वितरण व्यवस्था लागू है। चावल के अधिकतम मूल्य भी लागू हैं। तथापि, खुले बाजार में ऊंचे मूल्यों पर हो रहे सौदों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका तथा मई, 1969 में इस बाजार में 1.70 से 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की कोटेशन थी जबकि अप्रैल, 1969 में यह कोटेशन 1.55 से 1.90 रुपये की थी। 1968 में मई के लिये 1.80 से 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अप्रैल के लिये 1.90 से 2.08 प्रति किलोग्राम की कोटेशनें थीं।

छोटे किसानों के लाभ के लिये आंकड़े

1683. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह दर्शाने के लिये कोई आंकड़े हैं कि 'कृषि विकास की नई पद्धति' से छोटे किसानों को किस प्रकार लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि नई पद्धति से पर्याप्त साधनों वाले कृषकों को काफी लाभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के क्रियान्वित करने पर जो विभिन्न अध्ययन किये गये उनसे मालूम होता है कि छोटे व बड़े दोनों प्रकार के किसानों ने उत्पादन कार्यों में भाग लिया है । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने खरीफ 1968 के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने पर अपनी हाल की रिपोर्ट में चुने हुये भागीदारों का निम्न प्रकार वितरण किया है :

फसल	अध्ययन के लिये चुने गये भाग लेने वालों की कुल संख्या	कृषि जोत का आकार समूह में भाग लेने वालों की संख्या					
		2.5 से नीचे	2.5 से 5.0 तक	5.0 से 10.0 तक	10.0 से 20.0 तक	20.0 से 50.0 तक	50.0 से ऊपर
धान	602	158	161	147	79	44	13
मक्का	106	6	12	25	25	31	7
बाजरा	187	4	11	36	48	74	14
ज्वार	79	0	7	18	20	21	13

इस नई पद्धति को अपनाने वाले बड़े व छोटे दोनों प्रकार के कृषकों ने इस कार्यक्रम से उपलब्ध होने वाले लाभों को अनुभव किया है ।

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन केन्द्र

1684. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नम्बियार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री ई० के० नायनार :
श्री देवराव पाटिल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ के अंग के रूप में बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह टेलीफोन केन्द्र कब तक चालू हो जाएगा और विदेशी मुद्रा समेत इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या भारत में दूर-संचार के विकास हेतु 41 करोड़ रुपये की सहायता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ करार कर लिया गया है ; और

(घ) इस सहायता से जिन परियोजनाओं को लाभ पहुंचेगा, उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विदेश संचार सेवा द्वारा बम्बई में एक "अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार केन्द्र" अपनी "उपग्रह संचार भूमि-स्थित-केन्द्र परियोजना" के अधीन बनाया जा रहा है न कि "अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ" के अधीन। इस केन्द्र में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा टेलेक्स एक्सचेंज तथा उनके अनुषंगी (एसिलियरीज) अवस्थित होंगे।

(ख) यह केन्द्र "भूमि-स्थित-केन्द्र" के परिचालन के लिये तैयार होते ही कार्य आरम्भ कर देगा, जिसके जनवरी, 1970 में परिचालित हो जाने की सम्भावना है। एक्सचेंजों सहित पूरे केन्द्र की स्थापना की लागत लगभग 2 करोड़ 63 लाख 40 हजार रुपये रहने का अनुमान है जिसका विदेशी मुद्रा भाग लगभग 49.50 लाख रुपये होगा।

(ग) जी हां।

(घ) यह सहायता निम्नलिखित के लिये उपयोग में लायी जायेगी :

(i) स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का इस प्रकार विस्तार कि स्वचल उपस्कर में लगभग 325,000 लाइनों और कर-चल उपस्कर में 20,000 लाइनों की वृद्धि हो जाय तथा साथ ही लगभग 3,00,000 अतिरिक्त अधिष्ठापनों (इन्स्टालेशन्स) के लिये आवश्यक केवल और ग्राहक-उपस्कर उपलब्ध हो जायें।

(ii) लम्बी दूरी के संचार-जाल में आवश्यक स्विचन तथा अंतक (स्विचिंग एण्ड टर्मिनेटिंग) उपस्कर सहित लगभग 12,000 अन्तर्नगरीयवाक्-सरणियों (इण्टरअर्वन स्पीच चैनल्स) की वृद्धि।

(iii) सम्बद्ध स्विचन तथा लम्बी दूरी की सरणियों (स्विचिंग एन्ड लांग-डिस्टेंस चैनल्स) सहित टेलेक्स-जाल में लगभग 5,000 ग्राहक-अधिष्ठापनों की वृद्धि; तथा सार्वजनिक तार सेवा का विस्तार तथा आधुनिकीकरण।

(iv) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण।

मॉडर्न बेकरीज, दिल्ली

1685. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉडर्न बेकरीज, दिल्ली घाटे पर चल रही है या लाभ में ;

(ख) इसकी स्थापना से अब तक इसे कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह बेकरी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बेकरी की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं और वह कब तक अच्छे परिणाम दिखाने लगेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली यूनिट ने केवल 1968 के मध्य में ही काम चालू किया था और 1968-69 के लिये लाभ तथा हानि का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

इन बेकरियों ने हाल ही में काम शुरू किया था और इनको बाजार में अपने कदम जमाने में कुछ समय लगेगा।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मॉडर्न बेकरियों ने अभी हाल ही में काम शुरू किया है, इनका निष्पादन-कार्य संतोषजनक है। माडर्न डबलरोटी की बिक्री में वृद्धि होने से, इनसे, यथासमय अच्छे परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

राजस्थान में कृषि विकास योजना

1686. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य की कृषि विकास योजनाओं को, जो चौथी योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित होनी हैं, अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या योजना अवधि में केन्द्र द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य को दी जाने वाली सहायता की राशि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). चौथी योजना में क्रियान्वित करने वाली केन्द्रीय आयोजित योजनाओं का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। राज्यों में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के वर्षानुवर्ष के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

चौथी योजना के दौरान राजस्थान में क्रियान्विति के लिये प्रस्तावित योजनाओं की एक सूची, जिसमें 1969-70 के लिये उस राज्य को वितरित किया गया उद्व्यय भी सम्मिलित है, संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 1463/69]**

(ग) तथा (घ). "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप" सम्बन्धी प्रलेख के अध्याय 3 "प्लान इन आऊट लाइन" के अनुबन्ध-11 जो गत अप्रैल में लोक-सभा पटल पर रक्खा गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुल केन्द्रीय सहायता में से 30 प्रतिशत राशि ब्लाक अनुदान के रूप में और शेष 70 प्रतिशत राशि ब्लाक ऋण के रूप में होगी।

संयुक्त कृषि सहकारी समितियां

1687 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी संयुक्त कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में उनके सदस्य कितने-कितने हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे सदस्यों का कुल ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अनुपात क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में कितनी कृषि सहकारी समितियां सक्रिय हैं ;

(ङ) प्रत्येक राज्य में कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 1950-51, 1961-62, 1965-66 और 1967-68 में कृषि कार्यों के लिये कितने दीर्घकालिक, अल्पकालिक तथा मध्यमकालिक ऋण दिये गये; और

(च) कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में जिन कृषकों का ऋण दिये गये हैं, उनका अनुपात क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Sugar Production

1688. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of sugar mills which functioned this year in the country and the quantity of sugar produced by each mill ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The number of sugar mills which functioned during 1968-69 season is 205. The quantity of sugar produced by each mill is given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-1464/69]**

Shortfall in Supply of Chemical Fertilisers to States

1689. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilisers supplied to each State till the 30th June, 1969 for the next crop (Kharif and Rabi) this year ;

(b) whether the supply of chemical fertilisers was in accordance with the requirements of the States ;

(c) if not, the extent to which it was short of their requirements and the reasons therefor ; and

(d) the State-wise requirements of fertilisers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). The Statewise requirements of fertilisers for the Kharif and Rabi crops of 1969-70 and the quantities allotted and supplied therefor may please be seen in the enclosed statement. **[Placed in Library. See No. LT-1465/69]** The net requirements, after deducting the stocks on hand on 1-4-1969 are to be met, partly from the domestic production and partly from the Central Fertiliser Pool. Allotments of fertilisers from the Central Fertiliser Pool have, accordingly, been made for the quarters April-June, 1969 and July-September, 1969 and supplies are made against despatch instructions by the States on the basis of these allotments. The States have, however, been slow in lifting stocks. No shortage of fertilisers has been reported from any State or Union Territory.

भुवनेश्वर में उपभोक्ता सहकारी स्टोर

1690. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अब तक कितने उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सत्रह; इनमें पन्द्रह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां, एक थोक सहकारी भण्डार और एक राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है। थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार ने भुवनेश्वर में 'अल्का' नाम से एक बहु-विभागी भण्डार चालू किया है।

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो 31 मार्च, 1969 तक लागू थी, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को उपभोक्ता सहकारी समितियों को अंशपूंजी, अंशदान, ट्रक/गोदाम, फर्नीचर तथा फिटिंग्स खरीदने व उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के लिये उपदान तथा ऋण और प्रबन्धकीय उपदान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए धनराशि सुलभ की थी।

चूहों का विनाश

1691. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्ध्य किये गये चूहों को चूहों में छोड़कर चूहों का, जो प्रति-वर्ष काफी बड़ी मात्रा में हमारे अनाज को नष्ट करते हैं, पूरी तरह सफाया किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो चूहों का बन्ध्यकरण करने के लिए क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है और अब तक ऐसे कितने चूहों को चूहों में छोड़ा गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) चीन, दोनों कोरिया, मनचूरिया और अन्य देशों को चूहों के निर्यात करने के लिए विशेष प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं, जबकि इन देशों के लोग चूहे के मांस को स्वादिष्ट मानकर खाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। चूहों के बन्ध्यकरण के लिये कुछ रसायनों की जांच पड़ताल की गई है। उपचार हुये इन चूहों को पिंजड़ो में अनुपचारित चूहों के साथ छोड़ दिया गया था। देखने में आया कि इन उपचारित चूहों में से कोई भी चूहा संतानोत्पति के योग्य न रहा। इससे स्पष्ट हो गया है कि इन औषधियों को खिलाने से प्रजनन को काफी सीमा तक नियंत्रित कर लिया गया। फिर भी इस विधि में कुछ अन्य कमियां हैं जिनके कारण इसे चूहों के नियंत्रण के लिए किसी बड़े पैमाने पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

(ख) चूहों के बन्ध्यकरण के लिए किए गए परीक्षण अभी तक पूर्णरूप से प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। अत: बड़े पैमाने पर चूहों के बन्ध्यकरण के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मांस के रूप में खपत के लिये जीवित चूहों का निर्यात करना केवल इसलिये ही व्यावहारिक नहीं कि सभी देशों में चूहे विद्यमान हैं, बल्कि इसलिये भी कि उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने से स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं।

आम की खेती पर अनुसंधान

1692. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आम की खेती के विकास हेतु अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में मुख्य फलों के विषय में अनुसंधान करने के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित फल विकास परियोजना बनाई है। उपरोक्त कार्यक्रम में आम का मुख्य स्थान है, जिसके अधीन (1) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (2) फलोद्यान अनुसंधान संस्थान, हैसरघाटा (3) सावौर, बिहार तथा (4) संग्रारेडी, आन्ध्र प्रदेश में शक्तिशाली केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रथम केन्द्र ने पहले ही कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भूटान तथा भारत के बीच तार संचार सम्पर्क

1693. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान तथा भारत के बीच सीधा तार संचार स्थापित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी लागत पर ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 2 मई, 1969 से। दीर्घकालीन व्यवस्था के लिये एक लाइन बिछाने के लिये आगे काम हाथ में लिया जाना है। इस पर लगभग 70,000 रुपये की लागत आयेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण व्यक्तियों को सस्ते मूल्यों पर नलकूप

1694. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण व्यक्तियों को सस्ते मूल्यों पर नलकूप देने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी नहीं। राज्य सरकारें किसानों को नलकूप लगाने के लिये केवल वित्तीय सहायता तथा ड्रिलिंग सम्बन्धी सुविधाएं देती हैं। अब अधिकतर राज्यों में वित्तीय सहायता की व्यवस्था भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगम, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों आदि संस्थाओं के माध्यम से होती है। परियोजना के विस्तार, उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता

को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस बात का ध्यान रखते हुए कि नलकूप सामान्यतः धनी किसान ही लगाते हैं, अधिकतर राज्यों ने नलकूप लगाने के लिये अनुदान देना बन्द कर दिया है। अतः अब वित्तीय सहायता केवल ऋण के रूप में दी जाती है।

कई राज्य सरकारें छोटे किसानों को खुदाई के कुएं बनाने और डीजल पम्पसेट लगाने के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत भाग योजना सेक्टर निधि में से अनुदान के रूप में देती हे। इसके अतिरिक्त छोटे किसानों के लिए नलकूपों, उठाव सिंचाई परियोजनाओं व जलागारों के कार्यों को विशाल रूप में आरम्भ कर दिया गया है। इन पर होने वाले व्यय को योजना निधि में से पूरा किया जाता है।

Gheraos in West Bengal

1695. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Lakhan Lal Kapoor :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri A. Sreedharan :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Charan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained from the Government of West Bengal and through their own sources the number of Gheraos that took place in West Bengal since the United Front Government came into power following the mid-term Elections;

(b) the number and details of Gheraos those that took place in the public sector, private sector and Police Stations and the number of Ministers of the State Government gheraoed separately; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to check Gheraos in Central Government industrial undertakings ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पश्चिम जर्मनी की सहायता से बम्बई में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1696. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार से बम्बई में एक नया दूरदर्शन स्टूडियो तथा बम्बई और पूना में दूरदर्शन संचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी की सरकार से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उनके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने बम्बई के टेलीविजन में केन्द्र के लिये स्टूडियो और प्रेषण उपकरण और पूना के लिये एक अनुवादक ट्रांसमिटर भेंट करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

विदेशी सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजनाएं

1697. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र अमरीका पश्चिम जर्मनी संघीय गणतंत्र सोवियत, रूस तथा पूर्वी जर्मनी की विदेशी सरकारें भारत में किन-किन कृषि विकास परियोजनाओं के लिये सहायता दे रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत में संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी संघीय गणतन्त्र, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न कृषि विकास परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1466/69] : भारत में पूर्वी जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई कृषि विकास परियोजना नहीं है।

कृषि परियोजनाएं

1698. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी गणराज्य की सरकार ने तकनीकी सहायता के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अलमोड़ा में चौथी कृषि परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित करार के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी गणराज्य सरकार कृषि योग्य भूमि पर खेती, पौध संरक्षण, पशु प्रजनन और पोषण, बागबानी, आलू की खेती, भूमि जल व्यवस्था, तथा कृषि इंजीनियरी, आदि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवायें प्रदान करेगी। इसके साथ ही पश्चिम जर्मनी की सरकार बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां आदि उपज बढ़ाने की वस्तुएं, प्रयोगों व परीक्षणों के लिये कृषि उपकरण तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कुछ अन्य आवश्यक उपकरण मुफ्त मुहैया करेगी। इस परियोजना से सम्बन्धित भारतीय विशेषज्ञों

को पश्चिमी जर्मनी में मुफ्त प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की जायेंगी। प्रारम्भ में यह परियोजना तीन वर्षों की अवधि के लिये होगी।

भारत सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है और इसी सप्ताह करार पर हस्ताक्षर होने हैं।

उत्तम आलू की खेती के लिए पोलैण्ड का प्रस्ताव

1699. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :**

श्री कृ० गु० देशमुख :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड की सरकार ने हमारे राज्य मंत्री को उनके अपने देश की यात्रा के दौरान आलू और चुकन्दर की खेती, सुअर पालन के विकास के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य मंत्री की पोलैण्ड की यात्रा के दौरान पोलैण्ड ने आवश्यकता होने पर सुअर पालन के लिये सामग्री तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने आलू की उन्नत खेती के लिये आलू के बीज तथा तकनीकी जानकारी की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा है। चुकन्दर की खेती के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूतपूर्व शासकों के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि

1700. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भूतपूर्व शासकों के पास लाखों एकड़ भूमि है और यह भूमि बेकार पड़ी हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें ऐसे मामलों में हाथ डालने में असमर्थ है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उपसंधियां स्वीकार कर रखी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी कार्यवाही करने का विचार है जिससे यह भूमि बेकार पड़ी रहकर बंजर न होने पाये और इसको भूमिहीन व्यक्तियों में, विशेषकर हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में बांट दिया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जोत की अधिकतम सीमा के नियम को लगभग सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है और इसकी क्रियान्विति विभिन्न अवस्थाओं में है। राज्यों के कब्जे में आने वाली फालतू भूमि भूमिहीन व्यक्तियों में (जिनमें हरिजन तथा आदिम जातियों के लोग भी शामिल हैं) वितरित कर दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश को छोड़ कर, विभिन्न उपसंधियां स्वीकार होने के कारण भूतपूर्व शासकों पर अधिकतम जोत की सीमा के नियम लागू नहीं होते हैं, भूतपूर्व शासक भी विधान सभाओं द्वारा पास किये गये भूमि सुधार नियमों के अन्तर्गत साधारण भूधारी व्यक्ति की तरह ही आते हैं।

राजस्थान में जहां भूतपूर्व शासक राजस्थान टेनेनसी एक्ट 1955 के नियमों के अन्तर्गत नहीं आते, राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व शासकों की भू-सम्पत्ति अर्जन हेतु, जोत की अधिकतम सीमा के बारे में राजस्थान भूमि सुधार तथा एक्विजिशन आफ लैंड आनर्ज एस्टेट एक्ट, 1963 को लागू करने के लिए पहले ही पास कर दिया है।

महाराष्ट्र में भूतपूर्व शासकों द्वारा धारण की हुई 1615 एकड़ भूमि पर जोत सीमा लागू करने के लिए पूछ-ताछ चल रही है। पूर्वी बंगाल में 2836 एकड़ फालतू भूमि जो कि अधिकतः खेती योग्य है और जो कि पूर्वशासकों के खास अधिकार में है, के अर्जन को उच्च न्यायालय के अन्तरिम हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया है। प्राप्त की गई फालतू भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों व विशेषकर हरिजनों और आदिम जातियों के लोगों में बांट दिया जायगा।

एक राज्य फार्म निगम की स्थापना

1701. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य फार्म की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस चरण में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी हां। स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, 14 मई, 1969 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत की गई थी। यह कारपोरेशन, सूरतगढ़, जेतसर (राजस्थान), झासुगुडा (उड़ीसा), हिसार (हरियाणा), जलंधर (पंजाब) व रायचूर (मैसूर) के मौजूदा फार्मों तथा केरल में स्थापित होने वाले फार्म के प्रशासन के लिए स्थापित की गई है। फार्मों की मौजूदा सम्पत्ति सहित निगम की कुल अधिकृत पूंजी 7 करोड़ रुपये है। आशा है यह निगम 1-8-1969 से फार्मों का प्रशासन संभाल लेगी।

सेवा में पुनः कार्यभार ग्रहण करने से रोके गये हड़ताली कर्मचारी

1702. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 में हुई हड़ताल के कारण विभिन्न राज्यों में अब तक कुल कितने कर्मचारियों को पुनः कार्यभार ग्रहण करने से रोका गया है ;

(ख) क्या डाक-तार विभाग द्वारा दी गई "सक्रिय रूप से उकसाना" की परिभाषा रेलवे बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये की गई परिभाषा से भिन्न है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 647।

(ख) तथा (ग). गृह मंत्रालय ने "सक्रिय रूप से उकसाना" शब्दों की परिभाषा की है और ऐसी गतविधियां निर्धारित की हैं जिन्हें प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए "सक्रिय रूप से उकसाना" माना जा सकता है। डाक-तार विभाग उसी के अनुसार चल

रहा है। इस विभाग ने "सक्रिय रूप से उकसाना" शब्दों की कोई अलग परिभाषा नहीं की है। इस मुद्दे पर हमें रेलवे बोर्ड से भी कोई पत्र नहीं मिला है।

जलियांवाला बाग उत्सव पर संगीत तथा नाटक डिवीजन पर व्यय

1703. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत तथा नाटक प्रभाग ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की 50वीं बरसी मनाने के लिये जलियांवाला बाग का उत्सव आयोजित करने में कुल कितना धन व्यय किया ;

(ख) व्यय के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) संगीत तथा नाटक प्रभाग के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो अमृतसर में दल के साथ रहे थे और वे कितने दिन वहां रहे ;

(घ) अमृतसर में इन अधिकारियों के रहने आदि पर कितना यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य व्यय हुआ ; और

(ङ) उनकी लम्बी अनुपस्थिति में प्रधान कार्यालय में इन अधिकारियों के कार्य को किसने किया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) इस अवसर पर लगभग 1,73,200 रुपये खर्च हुए थे।

(ख) खर्च का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्रम-संख्या	विवरण	लगभग खर्चा
1.	बिजली सम्बन्धी	33,000
2.	ध्वनि उपकरण	25,000
3.	रंगमंच, वेशभूषा तथा सामान	4,200
4.	उपकरण लगाना	5,000
5.	कार्यक्रम पर आकस्मिक खर्चा जैसे टैक्सी प्रभार, मजदूर प्रभार, फर्नीचर तथा बिजली के सामान का किराया, टेलीफोन का खर्चा, कलाकारों तथा अतिथियों को जलपान, रोज के निमन्त्रण पत्रों की छपाई, टाइपराइटर तथा स्टेशनरी इत्यादि	33,000
6.	संगीत, रिकार्डिंग सहायता, स्क्रिप्ट लेखन, प्रोडक्शन सहायता जैसे कार्यक्रमों को तैयार करने पर खर्चा तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों से सम्बन्धित कलाकारों का आतिथ्य	23,000
7.	स्टाफ आर्टिस्टों (संख्या 120) का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	40,000
8.	पर्यवेक्षक स्टाफ तथा नियमित स्टाफ का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	10,000
		1,73,200

(ग) अमृतसर की मण्डली के साथ रहने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा वे कितनी देर रहे इसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम	कितने दिन रहे	अवधि 1969	दिन
1	2	3	4	5	6
1.	ले० के० एच० वी० गुप्त	निदेशक	53	8/4 से 12/5 तक	35
				19/5 से 31/5 तक	13
				6/6 से 10/6 तक	5
2.	श्री पी० एस० रामा राव	उप निदेशक	9	8/4 से 16/4 तक	9
3.	श्री एस० पन्त	उप निदेशक	2	28/5 से 29/5 तक	2
4.	श्री एस० पी० गुप्त	सहायक निदेशक (ए)	14	2/5 से 8/5 तक	7
				1/6 से 5/6 तक	5
				9/6 से 10/6 तक	2
5.	श्रीमती ए० बावा	सहायक निदेशक	61	8/4 से 1/6 तक	55
				5/6 से 10/6 तक	6
6.	श्री गुरदेव सिंह	सहायक निदेशक	64	8/4 से 10/6 तक	64
7.	श्री गुलशन कपूर	मैनेजर	50	3/4 से 17/4 तक	15
				21/4 से 25/5 तक	35
8.	श्री चरनजीत गुलाटी	मैनेजर	47	8/4 से 3/5 तक	29
				21/5 से 7/6 तक	18
9.	श्री अरफिन असकारी	मैनेजर	14	8/4 से 21/4 तक	14
10.	श्री जे० एन० कौशल	मैनेजर	48	8/4 से 11/5 तक	34
				25/5 से 7/6 तक	14
11.	श्री सुशील कुमार	मैनेजर	28	8/4 से 5/5 तक	28
12.	श्री गोविन्द प्रसाद	मैनेजर	26	8/4 से 3/5 तक	26
13.	श्री आर० एन० टक्यार	टैक्नीकल सहायक	11	1/6 से 11/6 तक	11
14.	श्री श्रीचन्द	लेखाकार	3	1/5 से 3/5 तक	3
15.	श्री जी० एस० अग्रवाल	टैक्नीकल सहायक	65	8/4 से 11/6 तक	65
16.	श्री पी० एल० शर्मा	उच्च श्रेणी लिपिक	16	3/4 से 18/4 तक	16
17.	श्री बी० आर० सरीन	निदेशक के निजी सचिव	42	20/4 से 12/5 तक	23
				19/5 से 31/5 तक	13
				2/6 से 7/6 तक	6
18.	श्री दयाजीत सिंह	स्टोर कीपर	65	9/4 से 12/6 तक	65
19.	श्री धर्मपाल शर्मा	एलैक्ट्रीशियन	70	3/4 से 11/6 तक	70
20.	श्री तजवार सिंह	एलैक्ट्रीशियन	8	3/4 से 10/4 तक	8

(घ) लगभग 10,000 रुपये ।

(ङ) दौरे के कारण जो अधिकारी अनुपस्थित थे, उनका काम प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया ।

Fall in the standard of Hindi Broadcasts from A.I.R., Delhi

1704. **Shri A. Dipa :**

Shri Shiv Charan Lal :

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the standard of Hindi Programmes Broadcast from the Delhi Station of All India Radio has fallen considerably ;

(b) whether it is also a fact that anti-Hindi attitude of officials is responsible therefor ;

(c) whether it is also a fact that some Hindi Producers suffer from blood-pressure and heart trouble and they are therefore, unable to do their work properly ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Producers do not appear to be suffering from any ailment which would interfere with the discharge of their duties properly.

(d) Does not arise.

उड़ीसा के बड़े लेखकों और साहित्यकारों पर स्मृति डाक टिकट

1705. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के उच्चकोटि के लेखकों और साहित्यकारों की स्मृति में डाक टिकटें छापने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई समिति बनाई गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन लगवाने के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र

1706. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) अनिर्णीत आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 199।

(ख) बीकानेर नगर को छोड़कर बीकानेर तार उप-मण्डल में सभी एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची में सभी आवेदकों को कनेक्शन देने का प्रस्ताव किया गया है और संभावित उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने पर उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। बीकानेर नगर में मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए शीघ्र ही अतिरिक्त एक्सचेंज की व्यवस्था की जा रही है।

राजस्थान में चारे की खेती

1707. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजस्थान में बार-बार होने वाले सूखा तथा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के चारे के उत्पादन के लिए एक फार्म स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई में अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री

1708. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री राम चरण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहर के लगभग सभी डाकखानों में अन्तर्देशीय पत्रों की कोई बिक्री नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह बिक्री कब से बन्द कर दी गई है ; और

(ग) इसका क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं। तथापि अप्रैल और मई, 1969 में बम्बई शहर के कुछेक डाकघरों में अन्तर्देशीय-पत्रों की अस्थाई तौर पर कमी रही है।

(ग) बम्बई के डाक टिकट डिपो को डाक टिकट नियंत्रक, नासिक रोड से अन्तर्देशीय-पत्र प्राप्त न होने के कारण ही ऐसा हुआ था।

गोदामों और ढुलाई में नष्ट होने वाला अनाज़

1709. **श्री द० ब० राजू :**

डा० रानेन सेन :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में ढुलाई तथा गोदामों में कितना-कितना अनाज नष्ट हुआ ;

(ख) अनाज के इस विनाश के लिये कौन जिम्मेदार है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस हानि की पूर्ति करने का दावा किया है ; और

(घ) ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे भविष्य में इस प्रकार अनाज नष्ट न होने पाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सूचना इस प्रकार है :

(मीटरी टन में)

	मार्ग में नष्ट मात्रा	गोदामों में क्षतिग्रस्त मात्रा
1967-68	9382	1943
1968-69	3296	960

ये उन पत्तन तथा डिपों से सम्बन्धित हैं जिनके काम की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही थी ।

(ख) प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करते हुए मार्ग में खाद्यान्नों की हानि के लिये वाहक जिम्मेदार होते हैं । जब प्रेषण "क्लियर" रेलवे रसीद पर बुक किए जाते हैं और गन्तव्य स्थान पर रेलवे स्टाफ द्वारा हानि प्रमाणित की जाती है तब रेलवे खाद्य विभाग द्वारा वैगन के दरवाजों पर निभार की व्यवस्था न कर सकने के कारण खाद्यान्नों की नष्ट होने वाली थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर, हानि के लिये जिम्मेदार होता है । प्रेषक अर्थात खाद्य विभाग/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निभार सुलभ नहीं किया जाता है क्योंकि होने वाले नुकसान से उसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है । सड़क परिवहन के मामले में किसी भी हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी ठहराये जाते हैं ।

आवश्यक पूर्वोपाय करने के बावजूद भी गोदामों में कुछ क्षति अपरिहार्य है और ऐसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

(ग) अन्तर्राज्यीय आवाजाही में खाद्यान्न मुख्यतः रेल द्वारा ढोए जाते हैं । राज्य सरकार निभार की व्यवस्था न होने के कारण हुए किसी नुकसान को खाद्य विभाग से पूरा कर सकती है बशर्ते कि यह हानि प्रति वैगन 50 रुपये से अधिक हो । तथापि ऐसे दावों की संख्या

थोड़ी है । अन्य कारणों से किए जाने वाले दावों के लिए राज्य सरकारों को ये मामले स्वयं वाहकों से उठाने पड़ते हैं ।

(घ) रेल मार्ग में खाद्यान्नों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर रेलवे से अनुरोध किया जाता है । गोदामों में क्षति रोकने के लिये सरकार अधिक गोदामों का निर्माण करवा रही है जोकि सीलन तथा चूहों से सुरक्षित होते हैं । भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और केबिनों में अनाज को अच्छी हालत में रखने के लिए प्रधूपन तथा कीट नियन्त्रण उपाय भी किए जाते हैं ।

Size of Weeklies

1710. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the existing number of pages, size of the page and circulation of weeklies, are kept in view, while deciding the policy of issuing licences to them for the import of newsprint and if not, the reasons therefor ;

(b) whether it is a fact that the said licences to some Weeklies are being issued on the basis of latest figures while to some others on the basis of figures relating to 1962 and if so, the reasons for this discrimination ; and

(c) the newsprint quantity in tonnes for which licences had been issued to the following Weeklies each year since 1966 :

(i) Organiser, Link, National Solidarity, New Age, Radiance, Spokesmen, Thought, Shanker's Weekly, Current, Blitz, Eves Weekly, Illustrated Weekly and Screen of English ; and

(ii) Dinman, Janyug, Sakshi, Hindustan, Sangram, Dharamyug and Blitz of Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The entitlement of newspapers/periodicals, including weeklies, is determined in accordance with the policy formulated every year, keeping in view likely total availability of newsprint during the year. The entitlement of each newspaper/periodical for the year 1969-70 will be worked out in accordance with the provisions of Remark 5 of Annexure I to Public Notice No. 68-ITC(PN)/69, dated 12th May, 1969, a copy of which has already been laid on the Table of the House. The allocation will accordingly be made on the basis of the 1961-62 circulation and 1957 page-level of Newspapers and the increases granted to them in subsequent licensing periods. The actual number of pages, page area and circulation of a newspaper/periodical in the previous year are only taken into account for ascertaining the short consumption, if any, for the purpose of adjustment against its entitlement for the subsequent licensing period.

(b) Allocation of newsprint to new weeklies is being made since 1968-69 on the basis of their performance during the first three months of regular publication up to a circulation of 15,000 copies and 16 pages of standard size. Weeklies which commenced publication prior to 1969-70 but apply for newsprint during the current licensing period will be treated in the same manner. Where the entitlement of an existing weekly is found to be less than the quota admissible to a new weekly, as determined in accordance with the above formula, newsprint would be allocated to such a weekly on application as if it were a new applicant.

(c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1467/69]**

प्रोड्यूसरों/सहायक प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण

1711. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असिस्टेंट प्रोड्यूसरों/प्रोड्यूसरों के संवर्ग में कर्मचारियों को बड़ी संख्या में स्थानान्तरण के आदेश मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने का आधार क्या है ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों की सूची और इस संवर्ग में उनकी नियुक्ति की तिथि सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 20 प्रोड्यूसरों/असिस्टेंट प्रोड्यूसरों के स्थानान्तरण के आदेश हाल ही में जारी किए गए हैं ।

(ख) उनको अपने-अपने केन्द्रों में रहते हुये लम्बी अवधि हो गई थी । प्रशासन के हित में उनका स्थानान्तरण आवश्यक समझा गया था ।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1468/69]

Appointment of Announcers in A.I.R.

1712. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the selection made for appointment to the posts of Announcers in the All India Radio, Delhi in 1968 had been cancelled by him ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether some irregularities were committed by the authorities in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Certain administrative and procedural lapses had come to Government's notice.

(c) Some officers were found to have been lax in observance of correct procedure.

Staff Artistes, All India Radio, Delhi

1713. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of persons appointed as staff artistes in All India Radio, Delhi during

the last two years and the names of the members of the Selection Committees which selected them;

(b) whether it is also a fact that most of the persons appointed happen to be those who had been getting training for the same work; and

(c) whether engaging some persons as casual workers in the first instance and appointing them as staff artistes later is not considered as corruption by Government?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 23. A statement containing the names of persons who had worked as members on the various Selection Committees, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1469/69]**

(b) No one was given training for subsequent absorption in service; however, out of 23 persons selected 10 had previously worked as casual artistes.

(c) Not necessarily; casual artistes are appointed to meet urgent needs pending regular selection. The procedure of selection by committees seeks to ensure that these casual artistes do not enjoy any advantage over other candidates.

उर्वरक खरीदने के लिये राज्य सरकारों को ऋण

1714. **श्री से० व० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण देने का निर्णय किया है, ताकि कृषक रासायनिक उर्वरक खरीद सकें ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्त क्या है ; और

(ग) अब तक किन-किन राज्यों की ओर कितना-कितना ऋण दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से उर्वरकों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालिक ऋण दिए जा रहे हैं।

(ख) प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार, उर्वरक के मूल्य का 50 प्रतिशत विपणन के लिए स्वीकृत किया जाता है और उर्वरक के मूल्य का छठा भाग किसानों को तकावी के वितरण के लिए स्वीकृत किया जाता है। इन ऋणों को 6 महीने के भीतर किश्त के रूप में अदा करना होता है और इस राशि के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के हिसाब से ब्याज अदा करना पड़ता है। इस समय 4 प्रतिशत वार्षिक आधार पर ब्याज वसूल किया जाता हैं और यदि समय पर अदायगी कर दी जाए तो 1/4 प्रतिशत की छूट दे दी जाती है।

(ग) चालू वर्ष में अब तक (28 जुलाई, 1969 तक) उर्वरक-विपणन तथा उर्वरक-

तकावी के लिये, विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर जो ऋण दिये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :

राज्य का नाम	(लाख रुपये) 1969-70 के अन्तर्गत मंजूर की राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	916.28
2. हरियाणा	176.16
3. केरल	153.89
4. मध्य प्रदेश	95.20
5. तामिलनाडु	694.56
6. महाराष्ट्र	33.03
7. मैसूर	726.18
8. उड़ीसा	26.84
9. पंजाब	624.36
10. राजस्थान	117.67
11. उत्तर प्रदेश	1916.98
12. पश्चिमी बंगाल	219.00
योग ..	5700.15

भारत द्वारा अनाज का निर्यात

1716. **श्री स० कुण्डू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष पाकिस्तान ने, जो परम्परा से अनाज का आयात करता रहा है, इस वर्ष अनाज का निर्यात करने की आशा प्रकट की है ; और

(ख) भारत द्वारा अनाज का निर्यात कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) थोड़ी मात्रा में चावल और दालें पहले से ही निर्यात की जा रही हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत से कब खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर निर्यात सम्भव होगा।

उत्तर प्रदेश के अनाज और व्यापारी फसलों का उत्पादन

1717. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में खाद्यान्नों और व्यापारी फसलों का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में उत्तर प्रदेश में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि के लिये खाद्यान्नों तथा प्रमुख व्यापारिक फसलों के उत्पादन के अनुमान तथा 1968-69 के लिये उपलब्ध आंकड़े संलग्न में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1470/69]**

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार 1966-67 से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई "नई कृषि विकास पद्धिति" का अनुसरण कर रही है। प्रमुख उपायों में—अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, बहुगुण शस्य क्रम, गहन खेती के लिये लघु सिंचाई का विकास, उर्वरकों, सुधरे हुए बीजों कीट-नाशक दवाओं की व्यवस्थित उपलब्धि, समय पर तथा आसान शर्तों पर ऋण सुविधा प्रदान करना शामिल है जिसमें संस्थानिक वित्तीय सहायता, किसान का शिक्षण तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य को गतिमान करना आदि का समावेश भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डाकघर

1718. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय कुल कितने डाकघर चल रहे हैं ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में जिलावार कितने अतिरिक्त डाकघर खोलने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) शहरी—1360 ; ग्रामीण—11,127

(ख)

1. आगरा	10	28. बदायूं	4
2. इलाहाबाद	6	29. फैजाबाद	8
3. मिर्जापुर	5	30. जौनपुर	4
4. देहरादून	8	31. फरुखाबाद	6
5. टिहरी	5	32. मैनपुरी	3
6. उत्तर काशी	4	33. इटावा	3
7. गोरखपुर	10	34. गोंडा	10
8. देवरिया	8	35. बहराइच	11
9. कानपुर	5	36. बस्ती	4
10. फतेहपुर	6	37. झांसी	4
11. उन्नाव	2	38. बांदा	2
12. लखनऊ	6	39. जालौन	2
13. बाराबंकी	8	40. हमीरपुर	2
14. मेरठ	8	41. मथुरा	6
15. मुरादाबाद	5	42. एटा	4
16. रामपुर	3	43. नैनीताल	4
17. बिजनौर	3	44. पीलीभीत	3
18. वाराणसी	6	45. प्रतापगढ़	6
19. गाजीपुर	4	46. सुल्तानपुर	4
20. आजमगढ़	10	47. रायबरेली	6
21. बलिया	4	48. सीतापुर	9
22. अलीगढ़	9	49. केहेरी	3
23. बुलन्दशहर	6	50. हरदोई	2
24. अल्मोड़ा	7	51. सहारनपुर	6
25. पिथौरागढ़	6	52. मुजफ्फरनगर	4
26. बरेली	6	53. पौड़ी	11
27. शाहजहांपुर	3	54. चमोली	6
		कुल योग ..	300

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को अनुदान

1719. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये वर्ष 1969 में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) कितनी राशि वस्तुतः उपयोग में लाई गई और कितनी राशि शेष बची; और

(ग) इस योजना का प्रभाव और परिणाम क्या रहा है और भविष्य में इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1969-70 से राज्य सरकारों की प्लान स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति की प्रणाली को संशोधित कर दिया गया है। अब राज्यों को जो सहायता दी जायेगी वह ब्लाक ऋणों व अनुदानों के रूप में समस्त वार्षिक योजना के लिये होगी न कि किसी विशेष कार्यक्रम या योजना के लिये। उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी 1969-70 की वार्षिक योजना के लिये 94.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का नियतन किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत व्यय के आंकड़ों के आधार पर सहायता निर्मुक्त की जायेगी।

(ग) विकास शीर्ष 'कृषि उत्पादन (भूमि विकास सहित) और लघु सिंचाई' के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के 1969-70 के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

	1969-70
(1) अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती (लाख हैक्टरों में)	31.81
(2) बहुद्देशीय फसलें (लाख हैक्टरों में)	21.56
(3) रसायनिक खादों की खपत :	
(क) नाइट्रोजनपरक (एन०) लाख मीटरी टन	3.00
(ख) फास्फेट ($पी_2$ $ओ_5$) ,, ,, ,,	1.16
(ग) पोटेसिक ($के_2$ ओ) ,, ,, ,,	0.70
(4) लघु सिंचाई—कुल अतिरिक्त क्षेत्र (लाख हैक्टर)	5.73
(5) पौध संरक्षण (लाख हैक्टर)	21.56
(6) भूमि संरक्षण (कृषि भूमि-अतिरिक्त क्षेत्र) (लाख हैक्टर)	2.05

केन्द्रीय दल ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं की कार्यान्विति के लिये एक कार्यान्वयन कार्यक्रम पर हाल ही में विचार-विमर्श किया है।

टेल्कों में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी तथा स्वेच्छा से पदनिवृत्त करना

1720. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेल्को में तीन से अधिक वर्षों से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह कम्पनी इनमें से बहुत से कर्मचारियों की छंटनो करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या यह कम्पनी कर्मचारियों को 'स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति' स्वीकार करने के लिए भी बाध्य कर रही है; और

(घ) कर्मचारियों की छंटनी और तथाकथित स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

टिन प्लेट कारखाना, जोधपुर तथा उसके कर्मचारी सघ के साथ कारखाना चलाने के लिये समझौता

1721. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर स्थित टिन प्लेट कारखाने के प्रबंधकों ने कारखाने को सप्ताह में पांच दिन चलाने के विषय पर एक श्रमिक संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस श्रमिक संघ का नाम क्या है तथा समझौते का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उत्पादन में तथा प्रोत्साहक-बोनस में इस प्रस्तावित कटौती के कारण कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

1722. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'फार्मर एण्ड पार्लियामेंट' के जुलाई, 1969 के अंक में प्रकाशित हुए उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा-खर्च की प्रतिपूर्ति की राशि प्रतिमास एक लाख रुपये हुआ करती थी, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा लागू की गई औषधियों के सत्यपान की प्रणाली के परिणामस्वरूप अब घटकर 10 से 15 हजार रुपये तक आ गई है;

(ग) जिन लोगों ने चिकित्सा व्यय के जाली तथा झूठे दावे पेश किये थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों के चिकित्सा-खर्च की प्रतिपूर्ति के मासिक आंकड़ों में दिसम्बर, 1967 से अप्रैल, 1968 तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आयी थी। अप्रैल, 1968 के ये आंकड़े 1 लाख रुपये के लगभग थे। जून, 1968 से दावों की जांच के तरीकों को सख्त कर दिया गया था। प्रकट रूप से कुछ झूठे मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिये भेजे गये थे। दावों की जांच के तरीके को सख्त करने तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आरम्भ करने के परिणामस्वरूप खर्चे में कमी आयी है तथा फरवरी, 1969 से ये खर्चे 29,000 से 14,000 रुपये तक घटते-बढ़ते रहे हैं।

(ग) नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रकट रूप में झूठे पाये जाने वाले चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के दावों को रद्द करने के अधिकार प्राप्त हैं। प्रकट रूप से कुछ झूठे मामले विभागीय जांच हेतु हाथ में लिये गये हैं अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरों को जांच के लिये भेजे गये हैं।

बाल चलचित्र समिति में सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी

1723. **श्री शिव नारायण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल चलचित्र समिति में सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी का एक पद है; और

(ख) यदि हां, तो उस पद के लिए अर्हताएं क्या हैं और उस पद के लिए चयन किस प्रकार से किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद के लिए बाल चलचित्र समिति द्वारा निर्धारित अर्हताएं इस प्रकार हैं :

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ।

(2) फिल्म वितरण/प्रचार संगठन में कम से कम 3 साल का अनुभव ।

(3) जन-सम्पर्क, प्रचार, लेखे और हिन्दी की जानकारी वांछनीय ।

(4) आयु 35 साल से नीचे । पद के लिए चयन की पद्धति स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से या स्थानीय रोजगार कार्यालय को रिक्ति की सूचना देते हुए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा है । विशेष परिस्थितियों में पद भारत सरकार के व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल, राजस्थान, बिहार तथा अन्य राज्यों में बाढ़

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"केरल, राजस्थान, बिहार तथा अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई तबाही, जिसके परिणाम-स्वरूप मानव जीवन, ढोरों, फसलों और सम्पत्ति को बड़ी हानि हुई है और हजारों परिवार बेघर हो गये हैं और रेलवे लाइनें टूट गई हैं ।"

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : भारत में बाढ़ें सामान्यतः जुलाई से अक्तूबर तक के महीनों में आती हैं । बाढ़ों का मौसम अभी-अभी आरम्भ हुआ है और बाढ़ स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण मैं अगस्त के अन्तिम दिनों में रखने वाला हूं । जुलाई के मध्य तक मानसून देश भर में फैल गई थी । तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी । जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मानसून स्थितियां केरल में और मैसूर में कुछ भागों में प्रबल रहीं । अन्तिम सप्ताह की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में गहरा दबाव उत्पन्न हो गया था जिससे उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बाढ़ स्थितियां सक्रिया हो गईं । बाढ़ों में प्रभावित कुछ राज्यों की स्थिति नीचे दी जाती है :

1. असम

लोक-सभा में 25 जुलाई को ध्यान आकर्षण नोटिस के उत्तर में बाढ़ों के बारे में एक विवरण दिया गया था । तब से ब्रह्मपुत्र नदी के सारे मार्ग के स्तरों में और उतार आ गया है और नदी का पानी सभी स्थलों पर खतरे के निशानों से नीचे है । बरक नदी में बाढ़ें आई हुईं

थीं, लेकिन 28 जुलाई को इसका पानी खतरे के निशान से नीचे था। बरक की सहायक नदी रुकनी की बाढ़ों से तटबन्धों में दो दरारें आ गई थीं।

ब्रह्मपुत्र घाटी में अब तक कुल 32 दरारें आई हैं। इसके अतिरिक्त 1 काट भी आई। बरक घाटी में 4 दरारें और 1 काट भी आई थी। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना अनुसार 25 जुलाई तक राज्य में बाढ़ों से जो क्षति हुई है, वह निम्नलिखित है :

1. कुल प्रभावित क्षेत्र	8.8 लाख एकड़
2. प्रभावित जन-संख्या	10.64 लाख
3. क्षतिग्रस्त फसलों की कीमत	1.31 करोड़ रुपये
4. मृत मवेशियों की संख्या	1,183
5. मृत व्यक्तियों की संख्या	5
6. क्षति-ग्रस्त मकान	21,253
7. प्रभावित ग्रामों की संख्या	2,574

राज्य सरकार ने बाढ़-पीड़ित लोगों के राहत और स्थानांतरण के लिये आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अहेतुक सहायता के लिये 8 लाख रुपये की राशि, उपदान के लिये 68,000 रुपये, टैस्ट रिलीफ के लिए 20,000 रुपये और बीज खरीदने के लिए ऋण के रूप में 70,000 रुपये स्वीकार किए हैं।

2. बिहार

जुलाई के दूसरे और अन्तिम सप्ताहों के दौरान बूढ़ी गण्डक, बागमती और कमलाबालान में मध्यम दर्जे से लेकर उच्च दर्जे तक की बाढ़ें आईं। बूढ़ी गण्डक पर मातीहारी खण्ड में बरीयारपुर के निकट पुराने तटबंध में कटाव आ गया, परन्तु कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि रिटायर्ड तटबंध पहले ही बना दिया गया था। बागमती के उपरि पहुंचों में जहां-जहां तटबंध नहीं बने थे वहां के कुछ गांव और क्षेत्र जल-प्लावित हो गये। यद्यपि गण्डक नदी की बाढ़ निचले दर्जे की थी फिर भी नदी के तट में कटाव आ जाने के कारण चम्पारण जिले के मधुबानी खण्ड में इसके तट के साथ-साथ 11-छप्पर बन्द मकानों को क्षति पहुंची। बाढ़ें अब उतर गई हैं।

क्षतियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही हैं।

3. केरल

20 जुलाई से लेकर लगभग एक सप्ताह तक बवंडरों और तूफानों को साथ लेकर निरंतर और भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप सभी नदियों में बाढ़ें आईं और व्यापक क्षेत्रों में पानी भर गया। जो जिले गम्भीर रूप में बाढ़-ग्रस्त हुए उनके नाम ये हैं—कन्नानोर, कोजीकोडे, मल्लापुरम, पालघाट, अल्लेपी, कोटायम और किलोन। अल्लेपी जिले में कुट्टानाड के बहुत बड़े क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हुए। कोटायम जिले में पलाई शहर शेष क्षेत्र से बिलकुल कट गया।

बहुत से स्थानों पर यातायात ठप्प हो गया। बाढ़ें अब उतर गई हैं। 528 मकान और झोपड़ियां गिर गईं और अन्य 1965 को कुछ नुकसान पहुंचा है। कर्णाविन में स्कूल भवन के गिरने से 14 बच्चे मर गये। कुल 27 व्यक्ति मरे और 200 से अधिक व्यक्तियों को चोटें आईं। बाढ़-पीड़ित परिवारों की संख्या 36,750 थी और 21,450 परिवारों को स्थानान्तरित कर दिया गया। खड़ी फसलों को भी क्षति पहुंची है। कुल क्षति का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

राज्य सरकार ने सभी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में परिवारों के स्थानान्तरण, मुफ्त राशन की व्यवस्था और नकद अनुदानों जैसे राहतकारी उपाय किए। जरूमी लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए भी तत्पर कार्यवाही की गई। राज्य सरकार ने राहतकारी उपायों के लिए 15 लाख रुपये की राशि दी।

4. **राजस्थान**

घग्घर नदी में 18 जुलाई से बाढ़ें आईं। 21 जुलाई को राजस्थान फीडर साईफन पर अधिकतम निस्सार 4552 क्यूसेक था। बाढ़ें अब उतर रहीं हैं और जल-निस्सार कम होकर 29 जुलाई को लगभग 3100 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस पानी को व्यपवर्तन नाली में नहीं मोड़ा गया क्योंकि कुछ शेष कार्य अभी करने के लिए रहते हैं। अतः घग्घर के पानी को मूल मार्ग में प्रवाहित होने दिया गया। बाढ़ का पानी सूरतगढ़ के अनुप्रवाह दिशा में लगभग 10 मील तक पहुंच चुका है। बीकानेर भटिंडा सेक्सन में रेलवे तटबंध में दरारों के आ जाने के कारण सूरतगढ़ और रंगमहल के बीच रेल यातायात ठप्प हो गया है इसके अगस्त के पहले सप्ताह तक बहाल कर दिए जाने की सम्भावना है। माली या जानी नुकसान की कोई और सूचना नहीं मिली है।

जयपुर जिले में तालाबों के बाढ़ क्षेत्रों में 26 जुलाई को भारी वर्षा हुई जिसके कारण तीन सिंचाई तालों में दरारें आ गईं।

इस वक्तव्य को तैयार करने के बाद आज सुबह मुझे उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उड़ीसा के दक्षिणी भागों में भारी वर्षा हुई है। विशेष रूप से कोरापुर और गंजम जिलों में। इसके फलस्वरूप ऋषिकुल नदी आदि में बाढ़ आ गई है। आसका नगर पर इससे प्रभाव पड़ा है। कोरापुर जिले में इन्दिरावती नदी में बाढ़ आ गई है और संचार व्यवस्था टप्प हो गई है। महानदी में बाढ़ आयी हुई है। उस पर निगरानी रखी जा रही है। ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा में भी बाढ़ आई हुई है। गंजम जिले में राजस्व अधिकारी राहत कार्य के लिये उपाय कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के कारण गोदावरी नदी का स्तर बढ़ गया है। इससे भद्राचलम नगर पर प्रभाव पड़ा है।

श्री प० गोपालन : ऐसे नोटिस देने का उद्देश्य न केवल बाढ़ के बारे में जानकारी लेना है बल्कि सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों के बारे में भी जानना है। अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री इस महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य देतीं। गत वर्ष मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया

था कि सरकार बाढ़ों को रोकने के लिये कारगर कार्यवाही करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है ?

आज भी हम देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से हुई हानि पर विचार कर रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। अन्य देशों के लोग तो चन्द्रमा पर उतर गये हैं और हम बाढ़ पर भी नियन्त्रण नहीं कर सकते।

केरल राज्य में इस वर्ष भी भीषण बाढ़ आयी है। लगभग 528 मकान ढह गये हैं और 1,965 क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक स्थान पर स्कूल की छत गिरने से 16 बच्चों की मृत्यु हो गई है और सैंकड़ों घायल हो गये हैं। इस तरह वहां भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ से बचने के लिये सरकार ने क्या स्थायी व्यवस्था की है और शिकार होने वाले लोगों के लिये क्या राहत कार्य किये हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की कोई मांग की है और यदि हां, तो क्या मांग की गई है और उसके लिये कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ? क्या सरकार ने राज्य में बाढ़ की गम्भीर स्थिति के बारे में ब्योरा मंगाया है यदि हां, तो वह क्या है ? क्या अब सरकार यह महसूस करती है कि राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों से ऐसे दैवी प्रकोपों का सामना नहीं कर सकतीं ?

गत वर्ष मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्रीय दल सभी बाढ़ पीड़ित राज्यों का दौरा करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा दल भेजा गया है, यदि हां, तो उसका क्या अनुमान है ?

डा० कु० ल० राव : सिंचाई मंत्रालय का सम्बन्ध बाढ़ नियंत्रण से है। राहत कार्यों के लिये गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जिम्मेदार हैं। बाढ़ों पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण पाना असम्भव है। जब तक मानव को जल की आवश्यकता है, बाढ़ों पर पूरा नियन्त्रण करना कठिन है।

राज्य सरकार से जो भी जानकारी मिली है, मैंने प्रस्तुत कर दी है। यह बात ठीक है कि राहत कार्यों के लिये हमें स्थायी कदम उठाने होंगे। गत 14 वर्षों में देश में बाढ़ नियन्त्रण उपायों पर हमने 200 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। यदि हमें बाढ़ से पूरी तरह से राहत लेनी है तो इससे दस गुना राशि व्यय करनी होगी। हमारे देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं। फिर हमारे लिये इतने धन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन होगा।

वित्त मंत्रालय ने चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को धन व्यय करने के बारे में लिखा है। उसके अनुसार 75 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार देगी। राज्य सरकारें बाढ़ से हुई क्षति का अभी तक ठीक अनुमान नहीं लगा सकी हैं।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं राजस्थान के बारे में ही कहना चाहता हूं। 1961 से घग्गर नदी की बाढ़ के प्रश्न को उठाया जा रहा है। इससे उत्तरी राजस्थान में क्षति होती है। गत वर्ष मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस नदी के बारे में दो योजनाएं तैयार हैं।

उनमें से एक अल्पावधि की और दूसरी दीर्घावधि की थी। यह योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई हैं। राजस्थान में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। राजस्थान में बाढ़ की एक विचित्र बात यह है कि बाढ़ के बाद वहां अकाल आ जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ नियन्त्रण योजना कार्यान्वित कर दी गई है। और यदि हां, तो यह बाढ़ फिर से क्यों आयी है ?

बाढ़ के पानी को सूरतगढ़ फार्म के दक्षिण में बेकार फैंकने के स्थान पर एक नई नहर द्वारा दूसरा प्रयोग चूरू जिला, राजस्थान में खेती तथा पीने के लिये क्यों नहीं उपयोग किया जाता ?

सवाई माधोपुर में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी भयानक बाढ़ आई। सदन में कहा गया था, बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य से क्या योजना बनाई हैं ?

डा० कु० ल० राव : घग्घर नदी की मार्ग परिवर्तन परियोजना के लिए $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की और अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार धनाभाव के कारण कार्य अधूरा रहा। हम अध्ययन दल भेजकर यह जानने का यत्न करेंगे कि कुछ और धन लगाकर धारा को मोड़ने का कार्य पूरा कर सकते हैं।

सवाई-माधोपुर क्षेत्र में प्रायः वर्षा नहीं होती परन्तु पिछले दो वर्षों में वहां वर्षा हुई है। मैंने राज्य सरकार से कहा है कि बाढ़ से होने वाली क्षति रोकने की योजनाएं भेजें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : देश के आधे भाग में बाढ़ तथा शेष में सूखा एक स्थाई सी बात हो गई है। बताया गया कि 5-6 लाख रुपया लग गया। प्रधान मंत्री सहायता कोष का क्या बना ? आपात स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र से जो अग्रिम धन भेजने की बात थी, उसका क्या बना ?

डा० कु० ल० राव : केरल में नदियों की बाढ़ की समस्या नहीं है अपितु वहां वर्षा से बाढ़ आती है। हमें आशा है कि बांध बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा। राज्यों को धन उनकी प्रार्थना पर ही भेजा जाता है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): The information asked for in regard to Bihar has not been furnished. It has been stated to be the responsibility of the State Government, whereas there is, at present no State Government.

The floods, irrigation and power are vital matters for the country but the Minister-in-charge dealing with them has no place in the Cabinet.

Floods or droughts are permanent problems of Bihar. Will the Hon. Minister take up such measures as may eliminate cuts on Ganga Banks in order to check floods in the State ?

Heavy losses are incurred due to the cuts in Gandak. Has the responsibility been fixed for that and action taken against the persons responsible for these losses ? Has the Government cared see that all the embankments are properly looked into. Is the Government in a position to complete the Adhivare project ? Is the Government re-consider-

ing to revive the Kosi barrage? The work on that project could not be commenced although it was inaugurated thrice. What are the hindrances in its way?

What arrangements the Central Government and the State Government have made to give a fore warning to the people?

डा० कु० ल० राव : सदस्य महोदय ने मन्त्रालय के स्तर के बारे में जो सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

उत्तर बिहार में बाढ़ सहायता के लिए जितना धन लगा उतना देश के किसी अन्य राज्य में नहीं लगा । कल रात ही मैंने राज्य के सचिव से बातचीत की थी, उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि राज्य में बाढ़ अधिक नहीं है ।

देश में हर भाग में नदियाँ हैं जिनमें तट बन्दी होना अनिवार्य है ।

कोसी नहर का मामला बाढ़ से सम्बन्धित नहीं है । उससे कोसी में बाढ़ नहीं रुकेगी अपितु उस छोटी सी नहर का उपयोग तो सिंचाई-कार्यों में किया जाएगा । दरभंगा जिले में सिंचाई-कार्यों में उसका उपयोग हो सकेगा । उसके पहले 22 मील नेपाल क्षेत्र में आते हैं । उस सरकार की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री के साथ सहायता कार्यों के लिये दृढ़तापूर्वक मामला उठाएं ।

केरल के 10 जिलों में से 7 बाढ़ग्रस्त हैं । वहां बाढ़ इस बार असामान्य है अतएव केन्द्र को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए । ऐसे बाढ़-पीड़ित लोगों को जिन्हें अपने घरों से हटाया गया, को मुफ्त राशन बांटने के लिए अधिक अनाज राज्य को दिया जाना चाहिए । क्या केन्द्र ने केरल को अनाज और धन की सहायता के लिये कोई कार्रवाई की है ।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य के सुझावों को प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री के पास भेज दूंगा । मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि वे शीघ्र अपनी मांगें भेजें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विमान (संशोधन) नियम

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल रखती हूं :

(एक) विमान (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1045 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1444/69]

(दो) विमान (चौथा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 14 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1370 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1445/69]

Notifications Under Employees' Provident Funds Act

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): On behalf of Shri Bhagwat Jha Azad, I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section (7) of the Employees' Provident Funds Act, 1952 :—

(i) The Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1510 (English version) and G.S.R. 1511 (Hindi version) in Gazette of India dated the 28th June, 1969.

(ii) The Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1512 (English version) and G.S.R. 1513 (Hindi Version in Gazette of India dated the 28th June, 1969.

[Placed in the Library. See No. LT-1446/69]

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 1506 (English version) and G.S.R. 1507 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 28th June; 1969, adding the ice or ice-cream industry to Schedule I to the Employees' Provident Funds Act, 1952, under sub-section (2)of section 4 of the said Act.

[Placed in the Library. See No. LT-1446/69]

(3) A copy of Notification No. G.S.R. 1508 (English version) and G.S.R. 1509 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 28th June, 1969, extending the Employees' Provident Funds Act, 1952 to Diamond mines employing twenty or more persons, issued under section (1) of the said Act.

[Placed in the Library. See No. LT-1446/69]

Maharashtra Agro-Industries Development Corporation

Shri Sidheshwar Prasad : On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Limited, Bombay, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under subsection (1) of section 619A of the Companies' Act. 1956.

[Placed in the Library. See No. LT-1447/69]

Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : I beg to lay on the Table a copy Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G.S.R. of the 1079 (English version) in Gazette of India dated the 28th April, 1969 and G.S.R. 1669 (Hindi version) in Gazette of India dated the 19th July, 1969 under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in the Library. See No. LT-1472/69]

Notifications under Coal Mines' Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : On behalf of Shri S. C. Jamir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under section 7 A of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 :

(1) The Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1969, published in Notification No. GSR 1140 in Gazette of India dated the 17th May, 1969.

(2) The Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme 1969, published in Notification No. GSR 1141 in Gazette of India dated the 17th May, 1969.

(3) The Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1969, published in Notification No. GSR 1142 in Gazette of India dated the 17th May, 1969.

(4) The Neyveli Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1969, published in Notification No. GSR. 1143 in Gazette of India dated the 17th May, 1969.

[Placed in the Library. See No. LT 1448/69]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं :

(एक) कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 1969 को हुई अपनी बैठक में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक, 1969, को पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 28 जुलाई, 1969 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल (संशोधन) विधेयक, 1969 को पास कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं निम्नलिखित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1959

(2) केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल (संशोधन) विधेयक, 1969

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) के बारे में याचिका
PETITION RE. BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक, 1969 के बारे में श्री पी० एल० टण्डन तथा 1919 अन्य बैंक जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा बारी-बारी से निरन्तर अनशन करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RELAY FAST IN DELHI BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : बहुत से माननीय सदस्यों ने सदन में तथा सदन से बाहर इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा पेश की गई अपनी मांगों को मनवाने के लिये विभिन्न राज्यों के स्कूलों के अध्यापकों के दल राजधानी में एकत्र हुए हैं और 25 जुलाई, 1969 से बारी-बारी से अनशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी उनकी चिन्ता को महसूस करता हूं, मैंने यह उपयुक्त समझा कि एक वक्तव्य देकर सम्बन्धित तथ्यों से आपको अवगत करा दूं, यद्यपि इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और इसलिये यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

2. अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में नवम्बर, 1968 में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। संघ के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इन बैठकों के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यद्यपि अध्यापकों के साथ भारत सरकार की पूर्ण सहानुभूति है, किन्तु उनकी जो प्रमुख मागें हैं, उन पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है। अध्यापक संघ द्वारा पेश की गई मांगों के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1969 को लोक सभा में एक प्रश्न संख्या 643 भी पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था।

3. संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल 24 जुलाई, 1969 को मुझसे मिला था और मैंने उन्हें फिर से स्थिति से अवगत करा दिया था। संघ के प्रतिनिधि अपने ज्ञापन का औपचारिक उत्तर चाहते थे और 26 जुलाई, 1969 को उन्हें वह उत्तर दे दिया गया था।

4. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, शिक्षा आयोग ने अपनी 29 जून, 1966 की रिपोर्ट में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

(क) प्राथमिक स्कूल के जिस अध्यापक ने माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, उसका न्यूनतम वेतन 100 रुपये होना चाहिए। इस न्यूनतम वेतन को तुरन्त लागू कर देना चाहिए और पांच वर्ष की अवधि के अन्दर इसे बढ़ाकर 125 रुपये कर देना चाहिये।

(ख) प्राथमिक स्कूलों के जिन अध्यापकों ने माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और प्रशिक्षित हैं, उनका न्यूनतम वेतन 125 रुपये होना चाहिए और पांच वर्ष की अवधि के अन्दर उसे बढ़ाकर 150 रुपये कर देना चाहिये।

(ग) जिन प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो और प्रशिक्षित जो हो उन सभी के लिये निम्नलिखित वेतनमानों को जितनी जल्द व्यावहारिक हो, अपनाना चाहिये किन्तु किसी भी हालत में पांचवीं आयोजना के पहले वर्ष से बाद में नहीं।

प्रारम्भिक वेतन	150 रुपये
अधिकतम वेतन (20 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाने वाला)	250 रुपये
संवर्ग के 15 प्रतिशत के लिये	250 रुपये से
उपलब्ध सेलेक्शन ग्रेड	300 रुपये

आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सिफारिश किये गये वेतनमानों में, उस समय, अर्थात् 1 अप्रैल, 1966 को विद्यमान मंहगाई भत्ता शामिल था।

5. कोठारी आयोग का तुरत लक्ष्य एक प्रशिक्षित अध्यापक के लिये भत्तों समेत न्यूनतम 125 रुपये प्राप्त करना था। यह अब सभी राज्यों में प्राप्त हो गया है। अप्रशिक्षित अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य की स्थिति भिन्न है तथा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों ने, आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों के बराबर तक वेतनमान भी संशोधित कर दिये हैं तथा कुछ राज्यों ने तदर्थ बढ़ोत्तरी प्रदान की है जिससे वेतन लगभग 150-250 रुपये के स्तर तक आ गये हैं। सरकार के पास उपलब्ध राज्यवार सूचना संलग्न हैं।

6. संघ के ज्ञापन में वर्णित अन्य मांगों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

(i) यदि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापक निर्वाचन मंडलों में मताधिकार दिये जायें तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

(ii) जहां तक देश में अध्यापकों के लिये एक समान सेवा शर्तों का सम्बन्ध है, शिक्षा एक राज्य विषय होने के कारण ऐसी एक रूपता सम्भव नहीं है।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त अध्यापक परिषद् स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई परिषदों जैसी परिषद् स्थापित करें।

(iv) जहां तक प्राथमिक अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय मजदूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, अध्यापकों के वेतनों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई बोर्ड आवश्यक नहीं समझा गया है।

(v) संघ चाहता था कि किसी समिति द्वारा प्राथमिक स्कूलों में बरबादी तथा निश्चलता की समस्या की जांच की जानी चाहिए। इस समस्या पर विचार करने के लिये पिछले वर्ष एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है। समस्या का अध्ययन करने के लिये प्रायोगिक प्रायोजनाओं का भी प्रस्ताव है।

(vi) जहां तक, प्राथमिक शिक्षा के वास्ते धन के लिये केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई अनुपात निर्धारित करने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्राथमिक शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी है।

(vii) एक मांग यह है कि शिक्षा के लिये धन के नियतन के सम्बन्ध में आयोजना आयोग को फिर से विचार करना चाहिए। स्पष्ट है कि यह मांग अधिक नियतन के लिए है। मेरा मंत्रालय शिक्षा के लिये अधिक नियतन के लिए बल देता रहता है और आगे भी आयोजना आयोग के साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श करता रहेगा।

(viii) भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे एक प्राथमिक शिक्षा आयोग स्थापित करने के प्रश्न की जांच की है। कानूनी सलाह यह है कि संविधान में संशोधन किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

(ix) जहां तक प्राथमिक शिक्षा को एक केन्द्र विषय बनाने की मांग है, माननीय सदस्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एम० सी० चागला के प्रयत्नों को स्मरण करेंगे जब कि उन्होंने शिक्षा को, केवल उच्च शिक्षा को ही, एक समवर्ती विषय बनाने के लिये राज्यों को मनाने का प्रयास किया था। लगभग सभी राज्य इस प्रयोजन के लिये संविधान को संशोधित करने के लिये सहमत नहीं हुए।

7. अध्यापकों के वेतनों तथा सेवा शर्तों को सुधारने के लिये भारत सरकार, राज्य सरकारों को मनाने का भरसक प्रयत्न करेगी ताकि शिक्षण व्यवसाय को इतना आकर्षक बनाया जा सके कि उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा इस व्यवसाय में आ सके। इस प्रयोजन के लिये शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि जैसे सभी उपलब्ध मंचों (फोरमों) का उपयोग किया जायेगा।

8. अन्त में, मैं अध्यापक संघ से अपील करता हूं कि वह अनशन त्याग दे और बदले में मैं आश्वासन दे सकता हूं, यदि ऐसे किसी आश्वासन की आवश्यकता हो, कि मैं अपने सीमित अधिकार का—जो केवल मनाने और जनता को शिक्षित करने का ही अधिकार है—यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयोग करता रहूंगा कि प्राथमिक अध्यापकों का जीवन सुधारने के लिये क्या कुछ किया जा सकता है।

दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा बारी-बारी से अनशन करने के सम्बन्ध में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री द्वारा 31-7-1969 को लोक/राज्य सभा में दिये जाने वाले वक्तव्य का परिशिष्ट

राजकीय/सहायता-प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों (प्रशिक्षित मैट्रिक) का मंहगाई भत्ते समेत वेतन

	राज्य	1-1-1969 को		1-7-1969 को	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	×आंध्र प्रदेश	108	197	151	272
2	असम	135	210	169	285
3	×बिहार	120	230	150	250
4	* गुजरात	126	145	160	236
5	हरियाणा	—	—	204.5	361
6	जम्मू और कश्मीर	90	200	130	285
7	* केरल	118	225	160	304
8	* मध्य प्रदेश	115	200	161	292
9	×मद्रास	148	198	188	238
10	महाराष्ट्र	116	130	166	236
11	×मैसूर	113	215	145	264
12	नागालैंड	175	264	195	400
13	×उड़ीसा	110	165	158	208
14	पंजाब	70	135	223	446
15	* राजस्थान	116	195	208	376
16	×उत्तर प्रदेश	95	150	130	265
17	×पश्चिमी बंगाल	105	205	157.5	222.5

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षामंत्री ने अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बारे में उनकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम समय निकालने का यत्न करेंगे।

(×) इन राज्यों ने त्रिलाभ योजना लागू कर दी हैं।
(*) ये राज्य निर्वाह निधि अंशदान देते हैं।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय
MATTER UNDER RULE 377

कार्यकारी राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir I want to raise a constitutional issue on the propriety and the legality of the resignation tendered by the Acting President, Dr. V. V. Giri. Under Article 56 (1) (a) of the Constitution it has been stated :

"The President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;"

Under Article 67 (a) it has been stated that:

"a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office,"

Now, it is clear from the articles quoted above that no provisions were made in the Constitution to deal with the situation in which Acting-President would resign his office before the Presidential election because the possibility of the occurrence of this very situation was never imagined by the framers of our Constitution. The requisite provisions were also not made in the President Succession Bill passed during the last session of the Parliament.

In the circumstances, that acting President must be advised accordingly by the officers dealing with legal matters and he should be requested to be give up the idea of relinquishing his office. The Attorney General advised the Acting President to tender his resignation addressing the President and to endorse a copy of the resignation to the Prime Minister. The procedure suggested by the Attorney General is no doubt 'peculiar'. While there was no President as such how the Acting President was supposed to address his resignation to the President. May I know the reasons which prevented the Government to bring a suitable legislation by which requisite provisions might be made in the Constitution? The Government would have promulgated an ordinance in the matter as has been done in regard to the nationalisation of banks. May I know whether the Hon. Minister will bring all the facts before the House pertaining to the resignation of Acting President that is the date of the resignation, when it was placed on the table of the House etc. ?

Any how, the House must be given an opportunity to discuss on this issue and the existing provisions must be changed so that this situation may be dealt properly.

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवसर पर नियम के अन्तर्गत वक्तव्य दिया गया है। इस विषय पर विचार करने को अवसर दिये जाने का सुझाव दिया गया है। इस पर अनुकूल समय में विचार किया जायेगा।

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 65 (1) में दिया हुआ है :

"राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिक्ता-पूर्ति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है।"

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 67 (क) में दिया हुआ है :

"उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग करेगा।"

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को ही सम्बोधित करके अपना त्यागपत्र देना है। यह आवश्यक नहीं है कि त्यागपत्र की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। अतः जिस क्षण उपराष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दिया था, वह उसी क्षण लागू हो गया था।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में श्री वी० वी० गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया है। वह केवल कार्यकारी राष्ट्रपति थे। जहां तक उनके त्यागपत्र की तिथि का सम्बन्ध है इस विषय में 20 जुलाई, 1969 के राज पत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है तथा उसके अनुसार उन्होंने अपने पद का त्याग 20 जुलाई 1969 (म० पू०) को किया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को त्याग पत्र के लागू होने की तिथि के बारे में मेरे उत्तर से संतोष हुआ है। मैं त्याग पत्र की विषय वस्तु नहीं पढ़ रहा हूं अपितु मैंने भारत सरकार के राज पत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना पढ़कर सुनाई है। संविधान के अनुच्छेद 67 (क) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके ही किया जा सकता है तथा उपराष्ट्रपति ने जो कुछ किया है, वह महान्यायवादी की सलाह पर किया है।

श्री मधु लिमये : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायं। यदि वे इसी प्रकार व्यवधान उपस्थित करते रहे तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। पहले तो माननीय विधि मंत्री को मुझे अपने उत्तर की पूरी प्रति देनी चाहिये थी। दूसरे उन्होंने महान्यायवादी की सलाह या पत्र का उल्लेख किया है। उन्हें उसे सभा-पटल पर रखना पड़ेगा। मन्त्री महोदय यदि चाहें तो सम्पूर्ण वक्तव्य को कल भी दे सकते हैं। इसके पश्चात ही आगे की कार्य-वाही चलाई जा सकती है।

श्री मु० यूनस सलीम : मुझे खेद है, मैं आज यह कार्य नहीं कर पाया। कल मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा।

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक
BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर खण्डवार विचार विमर्श करने के लिये केवल 4 घण्टे नियत किये गये हैं किन्तु लगभग साढ़े तीन घन्टे केवल दो खण्डों पर व्यतीत हो चुके हैं। मेरा सुझाव है कि मध्याह्न भोजन के उपरांत जब इस विषय पर विचार विमर्श हो तो विभिन्न राजनीतिक दल केवल उन्हीं बातों पर बल दें जिनको वे महत्वपूर्ण समझते हैं। जहां तक सरकारी संशोधनों का प्रश्न है मैं उन्हें प्रस्तुत करने की इस शर्त पर स्वीकृति देता हूं कि जिन खण्डों में संशोधन करना है उनको स्थगित कर दिया जायेगा तथा उन पर कल बहस होगी।

श्री नारायण दांडेकर : महोदय ! सरकार ने नियम 80 (i) के अन्तर्गत जो संशोधन लाने की सूचना दी है मैं उनका विरोध करना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा है कि जिन खण्डों पर सरकार अपने संशोधन लाना चाहती है उन्हें कल तक के लिये स्थगित कर दिया

जाएगा। इस बारे में मेरा निवेदन है ऐसा करने से आज जिन संशोधनों विचार विमर्श होगा उनपर कुप्रभाव पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में मैंने माननीय मन्त्री से निवेदन कर दिया है कि वर्तमान संशोधनों से उत्पन्न परिणामों को उन्हें ध्यान में रखना होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर निवेदन करता हूं कि यदि नये संशोधनों के परिणाम स्वरूप यदि अन्य खण्डों में भी कुछ परिवर्तन करने पड़े तो उन्हें इस बात के लिये भी तैयार होना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए** / **Shri Vasudevan Nair in the Chair**]

खण्ड 4—(विद्यमान बैंकों के उपक्रम तत्स्थानी नए बैंकों में निहित)

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 210 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृषनगर) : महोदय ! मैं अपना संशोधन संख्या 347 प्रस्तुत करती हूं।

सभापति महोदय : खण्ड 4 में सरकारी संशोधन है।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : महोदय! मैं अपना संशोधन संख्या 120 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : महोदय ! इन नये बैंकों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय बैंक बोर्ड बनाना अत्यन्त आदश्यक है। यह मंडल बैंकिंग नीति बनाएगा, इन बैंकों को निदेश देगा तथा उनका मार्ग दर्शन करेगा। उनके कार्यकलापों में समन्वय लायेगा तथा उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखेगा। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड सरकार की नीति के अनुकूल इन बैंकों पर नियंत्रण रखेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे विवरणों की परीक्षा करेगा।

कहा जा सकता है कि इस कार्य का सम्पादन रिजर्व बैंक कर सकता है किन्तु मेरा अनुरोध है कि यदि रिजर्व बैंक को यह कार्य दिया गया तो इन बैंकों में भी नौकरशाही का राज्य हो जायेगा। इस बुराई को रोकने के लिये केन्द्रीय बैंक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए तथा उस बोर्ड का अध्यक्ष किसी व्यावसायिक बैंक चलाने वाले व्यक्ति को बनाना चाहिए जिससे नौकरशाही न पनप सके तथा सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : महोदय ! मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे खण्ड 4 में अभी तक जो त्रुटियां हैं वे दूर हो जायेंगी अतः उसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

खण्ड 6 के अन्तर्गत मेरा संशोधन है कि सरकार को 5800 रुपयों को नकद मुआवजा देना चाहिए । बंगाल में इस विधेयक के आने से बहुत से व्यक्तियों को रोजगार तथा भूमि आदि से हाथ धोना पड़ा है अतः मेरा अनुरोध है कि उनकी कठिनाइयों को दूर करना ही चाहिए । मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे छोटे किसानों को अधिक सुविधाएं मिल सकें ।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं और वह यह कि मलेशिया जैसे देश नहीं चाहते कि वहां राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य करें । अतः सरकार को उन देशों के साथ तुरन्त बातचीत करनी चाहिए अन्यथा उन बैंकों के कर्मचारी बेघर और बेरोजगार हो जायेंगे ।

जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है कि कृषि कार्य के लिये 500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को प्राप्त 2700 करोड़ रुपयों से लिया जायेगा । किन्तु हम सरकार से यह नहीं सुनना चाहते कि उनके पास गरीब किसानों को सुविधा देने के लिये धन उपलब्ध नहीं है । यदि ऐसा हुआ तो बड़े-बड़े भूस्वामी पहले जमींदारों का स्थान ग्रहण कर लेंगे । सरकार को विशेषरूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटे और गरीब किसानों को इस बैंक राष्ट्रीयकरण से लाभ हो । आशा है सरकार मेरे सुझावों और संशोधनों को स्वीकार करेगी ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी ने केन्द्रीय बैंक बोर्ड की नियुक्ति की मांग की है । किन्तु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने माननीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि इन बैंकों के प्रबन्ध के बारे में योजना बनाई जायेगी । विधेयक के खण्ड 13 में भी इस योजना का उल्लेख है । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को तभी उठायें जब वह योजना सदन के समक्ष आ जाये ।

जहां तक श्रीमती इला पालचौधरी के संशोधनों का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है इन बैंकों की परिसम्पत्तियां तथा इनके द्वारा जारी किये गये शेयरों को भी सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है । पहले इस बात की इस कारण आवश्यकता नहीं समझी गई थी कि जब इन बैंकों को पूर्णरूप से राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है तो शेयर और परिसम्पत्तियों के बारे में अलग से उल्लेख की क्या आवश्यकता है । किन्तु श्री सेठी द्वारा रखे गये संशोधनों से इन बैंकों की परिसम्पत्तियां तथा शेयरों पर भी अधिकार के विषय में उल्लेख हो गया है । अतः मेरा अनुरोध है कि इन संशोधनों को वापस ले लिया जाय ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के फलस्वरूप मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : यदि माननीय मंत्री मेरे संशोधन पर विचार करेंगे तो मैं उसे वापस लेना चाहती हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये

The amendments were by leave withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5—**(निहित होने का सामान्य प्रभाव)**

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० सेठी : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 13 में "liabilities' [दायित्व] शब्द के पश्चात् "(including contingent liabilities)" [आकस्मिक दायित्व सहित] शब्द रखे जायें [121]

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 में "winding up the affairs of that bank" [उस बैंक के काम काज का परिसमापन करने] के स्थान पर "transferring such assets and discharging such liabilities" [ऐसी आस्तियां को हस्तान्तरित करने तथा ऐसे दायित्वों को निभाने] शब्द रखे जायें । [122]

पृष्ठ 3, पंक्ति 29 और 30 से "in connection therewith [इसके सम्बन्ध में] शब्दों को निकाल दिया जाये । [123]

मैं अपना संशोधन संख्या 124 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : सभा के समक्ष में संशोधन हैं ।

Shri Bhogendra Jha : Sir, I commend this amendment to the House with the view that it would make the clause quite specific and would help the Government in achieving the objectives fixed by them.

During the period from 15th to the 18th July, 1969 commitments of credit advances involving large sums were made by the 'existing banks'. As stated in the Statesman, there might arise certain problems with regard to the actual payment of the credit advances. To avoid any of misunderstanding and dispute in this matter, I commend this amendment which reads : "Provided that all the credit advances committed by the 'existing banks' shall be thoroughly scrutinised by the corresponding new banks and recalled if not found in consonance with new policies and priorities."

श्री प्र० चं० सेठी : संशोधन संख्या 121 के द्वारा स्पष्ट हो जाता है दायित्व में आकस्मिक दायित्व भी सम्मिलित हैं । आकस्मिक दायित्व वे हैं जो भविष्य में कभी उत्पन्न कर सकते हैं ।

संशोधन संख्या 122 के द्वारा वर्तमान बैंकों की आस्तियां तथा दायित्वों के हस्तांतरण की

बात स्पष्ट की गई है। यद्यपि परिसमापन 'winding up' शब्द का आशय हस्तांतरण से ही लिया गया था तथापि अब उसको सुस्पष्ट कर दिया गया है।

संशोधन संख्या 123 केवल शाब्दिक संशोधन है। संशोधन संख्या 124 मैंने प्रस्तुत नहीं किया।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मुझे संशोधन संख्या 121 पर आपत्ति है। जैसा कि माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि आकस्मिक दायित्व गत लेन देन के सम्बन्ध में भविष्य में उठ सकते हैं किन्तु वर्तमान समय में इनकी स्थिति में नहीं है। द्वितीय अनुसूची में आकस्मिक दायित्व के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में पहली आपत्ति तो मेरी यही है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि सरकार ने आकस्मिक दायित्वों को तो ले लिया है किन्तु अमूर्त या भावी आस्तियों पर भी अधिकार करने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। आकस्मिक दायित्वों को सम्भालने को उचित कहा जा सकता है क्योंकि जब किसी उपक्रम पर अधिकार किया जाता है तो हर सम्भव जिम्मेदारी सम्भालनी पड़ती है। किन्तु केवल आकस्मिक दायित्वों के ही सम्भालने से बैंकों की नकद आस्तियों में कमी हो जाती है। अमूर्त या इस समय अज्ञात आस्तियां भी बहुत सी हो सकती हैं अतः सरकार को उन पर भी अपना अधिकार करना चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : मैं श्री सेठी जी के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करता हूं। श्री दांडेकर जी ने कम्पनियों के दायित्व में आकस्मिक दायित्व के मिलाये जाने पर आपत्ति की है। मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब बैंकों की समस्त परिसम्पत्ति तथा दायित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा परिसम्पत्ति और दायित्व के अन्तर पर अनुपूर्ति देने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यदि आकस्मिक दायित्व पर विचार नहीं किया जायेगा तो बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस मामले का उल्लेख उस समय करें जब इस विधेयक की दूसरी अनुसूची में दी गई परिसम्पत्ति की परिभाषा पर विचार किया जाए।

श्री नारायण दांडेकर : सम्भवतः मैंने अपने मत का भली प्रकार स्पष्टीकरण नहीं किया है। ऋण जैसी वस्तुओं का, उनको वसूल करने योग्य धन पर अनुसूची के अनुसार, मूल्यांकन किया जाना चाहिए अर्थात् सम्पूर्ण परिसम्पत्ति का सुचारु रूप से मूल्यांकन दूसरी अनुसूची के अनुसार होना चाहिए। इन परिस्थितियों में जिन आकस्मिक दायित्वों की कल्पना की जा रही है वे क्या हैं, यह मैं नहीं समझ पाया क्योंकि दायित्वों का प्रस्ताव पेश करते समय श्री सेठी जी ने इनके सम्बन्ध में बताया था कि इनका प्रश्न भविष्य में उठ सकता है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि ये दायित्व किस प्रकार मिलाये जायेंगे जब परिसम्पत्ति का सुचारु रूप से मूल्यांकन होगा जिसे दूसरी अनुसूची में अभिहित किया है। इस पर चाहे मेरी कितनी ही आपत्ति हों, परन्तु सरकार का प्रस्ताव परिसम्पत्ति के सुचारु रूप से मूल्यांकन के लिए ही होगा। जब इन परिसम्पत्तियों का उचित रूप से मूल्यांकन हो जायेगा तथा दायित्वों के लिये उचित

भत्ता हो जायेगा तो आगामी दायित्व के उत्पन्न होने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये आगामी दायित्व ही तकनीकी रूप में आकस्मिक दायित्व हैं।

क्या दायित्व तथा परिसम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के पश्चात् भी पुनः किसी प्रकार के आकस्मिक दायित्व में कटौती होने की सम्भावना है ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यदि माननीय मंत्री आकस्मिक दायित्वों के वर्तमान मूल्य का उल्लेख करेंगे तो कुछ बात बन जायेगी। यदि आप साधारणतया उन्हीं आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन करेंगे जो लेखे बद्ध है तो इसका अर्थ होगा कि आप दायित्वों का बढ़ा चढ़ाकर मूल्यांकन करते हैं। आकस्मिक दायित्व तो आकस्मिकता के समय पर ही उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए वर्तमान मूल्य का ही तखमीना करना चाहिए और यदि सरकार आकस्मिक दायित्व को मिलाना चाहती है तो आकस्मिक दायित्व के वर्तमान अनुमानित मूल्य को ही ले।

श्री गोविन्द मेनन : आयकर का निर्धारण बढ़ा चढ़ा कर नहीं हो सकता, और यही कर निर्धारण कुछ समय पश्चात् दायित्व बन सकता है। यह दायित्व ही आकस्मिक दायित्व है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला आनुतोषिक जिसका भुगतान तुरन्त नहीं किया जाता, आकस्मिक दायित्व होता है। जब तक बैंक के कार्य में 'आकस्मिक दायित्व' ये शब्द नहीं उल्लिखित किए जाएंगे तो स्थिति बहुत विषम हो जायेगी। परन्तु शर्त यह कि वर्तमान बैंक के द्वारा पेश किए गए उधार खातों की अग्रिम पेशगी का तदनुरूपी नया बैंक उसकी भली प्रकार जांच करेगा और उसे विनियमित करेगा। इन नए बैंकों के अनुसार हम इसका तुरन्त ही विनियमन नहीं कर सकते। इन सबको निर्मुक्त कर दिया जायेगा। यह ही उपक्रम की परिसम्पत्ति का अंग बन जायेगा।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 5 में संशोधन 48 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 121, 122 तथा 123 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 3, की पंक्ति 13 में "liabilities" [दायित्व] शब्द के पश्चात् "(including contingent liabilities)" [आकस्मिक दायित्व सहित] शब्द रखे जायें [121]

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 में "Winding up the affairs of that bank" [उस बैंक के काम काज का परिसमापन करने] के स्थान पर "transferring such assets and discharging such liabilities" [ऐसी आस्तियों को हस्तान्तरित करने तथा ऐसे दायित्वों को निभाने] शब्द रखे जायें। [122]

पृष्ठ 3 पंक्तियां 29 और 30 में "in connection herewith" [इसके सम्बन्ध में] शब्दों को निकाल दिया जाये [123]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नारायण दांडेकर : उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे एक बात का आश्वासन दिया है। कुछ सरकारी संशोधन जो आज प्रस्तुत नहीं हो सके हैं वे कल प्रस्तुत किये जायेंगे । उन संशोधनों पर हम कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे और पता नहीं इन सुझावों का उलटा प्रभाव भी पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड पर विचार अब स्थगित कर दिया जाए ।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 5 को लेंगे । जहां तक उपाध्यक्ष महोदय के आश्वासन का प्रश्न है वह उन खण्डों से है जिन पर नए संशोधन हैं और जो अभी तक माननीय सदस्यों के पास नहीं है उन्हें रोका जायेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : उन संशोधनों के कारण इस खण्ड पर आनुषंगिक प्रभाव पड़ सकता है, और वे क्या हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है । अतः इसे कल तक के लिये रोक लिया जाए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि खण्ड 5 पर जो इस समय है, कुछ ऐसी परिणामी बातें आयेंगी जिन पर विचार करना आवश्यक हो जायेगा । ऐसा मेरा विचार है ।

श्री गोविन्द मेनन : खण्ड 5 के सम्बन्ध में सरकार कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही है और जो संशोधन प्रस्तुत किये गए हैं उनसे इस खण्ड के उपबन्धों पर कोई आनुषंगिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : मान लो आप अनुसूची दो में संशोधन लाते हैं तो इससे अवश्य ही खण्ड 5 पर आनुषंगिक प्रभाव पड़ेगा । इस पर भी यदि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इस प्रकार के संशोधन से खण्ड 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा ।

सभापति महोदय : अनुसूची दो पर कोई संशोधन नहीं है । अतः इस स्थिति में खण्ड 5 के निपटारे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नारायण दांडेकर : खण्ड 6 के सम्बन्ध में भी मंत्री महोदय नए संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं । खण्ड 6 बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड है और यदि इस खण्ड का आनुषंगिक प्रभाव खण्ड 5 पर पड़ेगा तो इस खण्ड की भाषा में परिवर्तन करना पड़ जायेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि खण्ड पर विचार करना तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाए जब तक कि मैं यह न देख लूं कि क्या कोई आनुषंगिक संशोधन है ।

सभापति महोदय : विधि मन्त्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के आधार पर की अनुवर्ती संशोधनों से खण्ड 5 का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि अब खण्ड 5 पर आगे विचार किया जाए । जहां तक अनुवर्ती खण्डों का सम्बन्ध है हम उन पर विचार करेंगे और यदि किन्हीं

ठोस मामलों में आनुषंगिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी तो हम उपयुक्त समय पर उन पर विचार करेंगे। (**व्यवधान**)

अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5, as amended, was added to the Bill

सभापति महोदय : सरकार का खण्ड 6, 7, 8 तथा 9 में संशोधन प्रस्तुत करने का विचार है और उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है कि इन पर कल विचार होगा इस लिए हम इन खण्डों पर अभी विचार नहीं करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जब सरकार इस विधेयक के बहुत महत्वपूर्ण खण्ड 6, 7 तथा 8 पर चर्चा ही नहीं करेगी तो आप अन्य खण्डों को जो उपर्युक्त खण्डों पर अवलम्बित हैं कैसे चर्चा कर सकेगी।

श्री गोविन्द मेनन : यदि आप चौथे अध्याय तदनुरूपी बैंकों के प्रबन्ध तथा खण्ड 10, 11, 12, 13 को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि इन खण्डों का अन्य खण्डों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये तो अपने आप में स्वतंत्र हैं।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : इस प्रकार की अशोभनीय जल्दबाजी से ऐसे महत्वपूर्ण विधान बनाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के उपायों का अपनाना अशोभनीय है। यदि विधि मंत्री महोदय तर्कसंगत तथा विधिवत रूप में विधेयक को सदन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार पास कराने के लिए प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं तो इस विधेयक को वे उस समय तक के लिये वापिस ले लें, जब तक वे इस प्रक्रिया को अपनाने के लिये तैयार नहीं हो जाते।

Shri Kanwar Lal Gupta : Government has brought in 25 amendments in this Bill and the Hon. Minister says that Government is not prepared to discuss those clauses today and it means that Government itself is not fully aware of what it wants to do further. This is unprecedented in the history of Parliament that Government is going to leave certain clauses undiscussed for the other day and takes other clauses for discussion in the House. It shows that Government is not fully prepared to discuss those clauses and is not in a position to face the opposition today. The contents of clause 13 have full bearing with chapter 13. The question of supporting or opposing the Bill does not arise, but there should be logical and orderly procedure for bringing in a Bill for discussion in the House. It is not proper and legal to have the Bill passed in an indecent haste by bypassing legislative processes. The Bill should be brought in the House and should be passed atleast according to the Parliamentary practice.

श्री नारायण दांडेकर : सर्वप्रथम तो यह सारी गड़बड़ी जो हुई है वह सब खण्ड 4 में संशोधन करने की घोषणा करके सरकार ने की है, और अब सरकार ने अकस्मात् ही उसे वापस ले लिया है। अतः खण्ड 4 के सम्बन्ध में अब फिर दुबारा नए सिरे से विचार किया जाना चाहिये। और इसका कारण यह है कि सरकार खण्ड 6 को स्थगित कर रही है। खण्ड 11

तथा 13 को देखते हुए मुझे अधिनियम के उपबन्धों का ज्ञान नहीं है कि इन उपबन्धों का खण्ड 7, 8, 9 तथा 10 से क्या सम्बन्ध है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है। रिजर्व बैंक से बात चीत करके सरकार इस अधिनियम की शर्तों को लागू करने के लिए योजना बना सकती है। परन्तु उन शर्तों में से कुछ का मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए खण्ड 13 के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस विधेयक का मुख्य लक्षण खण्ड 3, 4, 5 तथा 6 में है जिनमें परिभाषा के अतिरिक्त अधिनियम के मुख्य वास्तविक प्रावधान हैं। खण्ड 3, 4, 5 जो पारित हो गये हैं तथा खण्ड 6 जो अभी पास नहीं हुआ है इस अधिनियम के लक्षण के मुख्य उपांग हैं। अधिनियम अनुभागों को मिलाकर जिन्हें शंका में आकर रोक दिया है, अधिनियम ही है। हम और सरकार भी इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानती और मैं कह देता हूं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।

श्री गोविन्द मेनन : यह तो मानी हुई वैधानिक प्रक्रिया है कि एक खण्ड को रोककर उससे अगले खण्डों पर विचार करें। इसका आदेश तो उपाध्यक्ष महोदय ने दे दिया है कि कुछेक खण्डों, जिन पर नए संशोधन आए हैं, उनको रोका जायेगा। ये खण्ड कौन-कौन से हैं। अध्याय तीन के खण्ड मुआवजे से सम्बन्धित हैं, और इस पर संसद का निर्णय चाहे कुछ भी हो। अध्याय चार तदनुरूपी नए बैंकों के प्रबन्ध से सम्बन्धित है। यह रोके गए खण्डों के प्रावधानों पर अवलम्बित नहीं है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि अध्याय चार में वर्णित खण्ड 10,11,12 तथा 13 पर विचार किया जाए क्योंकि ये सब तदनुरूपी नए बैंकों के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं और इससे पूर्व के खण्ड वर्तमान बैंकों को दिये जाने वाले मुआवजों के बारे में है। इसलिये अध्याय तीन के खण्डों पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

सभापति महोदय : इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि अब हम बिना कठिनाई के अध्याय चार में खण्ड 10, 11 आदि पर विचार कर सकते हैं। अतः अब हम खण्ड 10 को लेते हैं।

खण्ड 10 मुख्य कार्यालय तथा शाखाएं

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 21, 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 72, 73, 74 तथा 75 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुमायून कबिर : मैं संशोधन संख्या 94, 95 तथा 96 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 6 पंक्ति 6 में शब्द "Central Government may" [केन्द्रीय सरकार कर सकती है] के पश्चात् (if the chairman of an existing bank declines to become, or to continue to function as a custodian of the corresponding new bank, or) [यदि वर्तमान बैंक का चेयरमैन तदनुरूप नए बैंक का संरक्षक बनने अथवा इस रूप में कार्य करने से इन्कार करता है, अथवा] शब्द रखे जाएं। [128]

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 147 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 178 और 186 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 224 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 225 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 322, 323 और 324 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शशि रंजन (पपरी) : मैं संशोधन संख्या 352 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : मैं संशोधन संख्या 375 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : In my amendment I have suggested that Chairmen or Custodian or Directors of the banks should not be paid more than two thousands of rupees. Much extravagance is going on in the public sector industries. If we count all the facilities which are being given to the Managing Directors of the various public sector undertakings their salary comes between thirty thousand to one lakh of rupees per month. The Chairman of the Life Insurance Corporation has two bungalows at his disposal one each in Delhi and Bombay. In addition to that he has drivers, cooks, gardeners at his disposal on Corporation's cost. So my request is that if we want to bring real socialism in our country we should fix the pay of the Custodians or Directors of the banks at two thousand rupees per month. They should not be paid more than that.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I have given notice of Amendment Nos 72, 73, 74, 75 and 76. My first point is this that headquarters of the various banks should not be shifted to Delhi. They should be allowed to remain where they are. There is already shortage of accommodation in Delhi.

Persons with banking experience should be appointed as Custodians. Moreover they should be trusted persons. All and sundry should not be given a chance for custodianship of the bank. Such persons should also be free of any charge or allegation.

So far as the question of payment of compensation to the shareholders is concerned I would say that shareholders should be allowed to go to the Supreme Court if they are not satisfied with the decision of the Government. The small shareholders should not be allowed to suffer. The decision of the Supreme Court should be taken as final.

We have very bitter experience about the Life Insurance Corporation, Hindustan Steel Limited and many other public sector undertakings. I would, therefore, request that corrupt and inefficient Chairmen should not be allowed to continue. So I would request that my amendments may be accepted.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I rise on a point of order. An Hon. Member of my party, Shri Kothari has moved an amendment on clause 10. This amendment has not yet been circulated. So I would request that this clause may be taken up later on.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जहां तक श्री कोठारी के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने को तैयार हूं ।

सभापति महोदय : पहले अन्य संशोधनों पर चर्चा को समाप्त कर लिया जाये ।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि बैंकों के पृथक अस्तित्व को बनाये रखा जायेगा । परन्तु जो खण्ड प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनसे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । खण्ड 10 में यह भी कहा गया है कि बैंकों के मुख्यालयों के स्थान के बारे

में सरकार अधिसूचना जारी करेगी। मेरा संशोधन यह है कि बैंकों के मुख्यालयों का स्थानान्तरण न किया जाये और वे जहां हैं वहीं पर उनको रहने दिया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन अभिरक्षक (कस्टोडियन) की नियुक्ति के बारे में है। यदि वर्तमान निदेशक एक लम्बी अवधि से इस स्थान पर काम कर रहा है और उसके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप भी नहीं हैं तो हमें उसको नहीं हटाना चाहिए। परन्तु यदि कोई नया व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसको बैंकों के काम का अनुभव होना चाहिए और उस व्यक्ति को रिजर्व बैंक की सिफारिश पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

विधेयक में यह कहा गया है कि अभिरक्षक केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही अपने पद पर बना रह सकता है। मेरा सुझाव यह है कि अभिरक्षक को तब तक अपने पद पर बने रहना चाहिए जब तक कि अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत उसके स्थान पर कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं हो जाता और जब तक उसको रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इससे पूर्व उसको पद मुक्त नहीं कर दिया जाता और कि ऐसे मामले में नये अभिरक्षक की नियुक्ति भी रिजर्व बैंक की सिफारिश पर की जानी चाहिए। इस संशोधन का प्रयोजन अभिरक्षक के अपने पद पर बने रहने तथा उससे मुक्त होने को केन्द्रीय सरकार के विवेक पर निर्भर न रखना है। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए ताकि बैंकों के कार्यसंचालन पर कोई राजनैतिक दबाव न पड़ सके।

मेरे प्रथम संशोधन का प्रयोजन प्रधान मंत्री के इन शब्दों को कि वर्तमान स्थिति में हेरफेर नही किया जायेगा कानूनी रूप देना है। मेरा दूसरा संशोधन यह है कि किसी भी अभिरक्षक को रिजर्व बैंक की सिफारिश के बिना पद मुक्त नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी नये व्यक्ति को रिजर्व बैंक की सिफारिश के बिना अभिरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ 6 पंक्ति 6 :

"Central Government may" [केन्द्रीय सरकार] के पश्चात् "if the chairman of an existing bank declines to become or to continue to function as a custodian of the corresponding new bank, or" शब्द रखे जायें।

[यदि किसी वर्तमान बैंक का चेयरमैन तत्स्थानी नये बैंक के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने से इन्कार कर देता है अथवा] शब्द रख दिए जायें। [128]

इस संशोधन से इस बात को स्पष्ट करना है कि यदि वर्तमान किसी बैंक का चेयरमैन अभिरक्षक के रूप में काम करने से इन्कार कर देता है तो सरकार उसके स्थान पर नया अभिरक्षक रख सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My amendment No. 147 is about clause 10(a) in which Government have stated that "the custodian shall hold office during the pleasure of the Central Government".

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

I have added at the end :

"Provided that no custodian shall be removed from his office unless he has acted to the detriment of the interests of the bank".

It is clear from the clause that Government want to have sweeping powers in their hands. It is feared that defeated congressmen may be appointed on these posts. Therefore I have suggested in my amendment that no custodian shall be removed from his post unless he works to the detriment of the bank.

We have bitter experience about the public sector undertakings wherein we have seen that appointment on high posts are made on political considerations. We are afraid that this practice may not be followed here. I would, therefore, request the Hon. Minister to accept my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे संक्षेप से अपने विचार रखें। माननीय सदस्यों को खंड तथा अपने संशोधनों के बारे में ही कहना चाहिए।

Shri Abdul Ghani Dar : The Hon. Deputy Speaker has just now stated that we should speak only about the relevant clause. But if we point out some mistakes which have been committed in the past and which we want should not be repeated in future it should not be considered extraneous.

उपाध्यक्ष महोदय : हम सामान्य चर्चा में जिन बातों को उठा चुके हैं उन्हें हमें पुनः नहीं उठाना चाहिए। मैं खण्डवार चर्चा में इस बात की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Om Prakash Tyagi : The successful working of the banks will depend upon the calibre of the custodians. So they should not be appointed on the political considerations but on merit.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to give some suggestions for the extension of the banking system. Our main complaint is that Government wants to keep all the powers in its own hands. We do not know actually what Government intends to do after this nationalization. But I want one assurance from the Hon. Minister that the banks will not be turned into employment agencies for the defeated congressmen.

My first suggestion is that existing branches of the banks should not be closed without the permission of the Central Government. Banks should also be allowed to open new branches in our country and abroad. Each of the fourteen nationalised banks should be asked to open at least fifty new branches in the next five years out of which twenty-five branches should be in the rural areas.

So far as the question of salary and allowances of the custodians is concerned I support the amendment moved by Shri George Fernandes. We cannot bring socialism in the real sense unless equitable distribution of money is done. Shri Dandekar during the discussion on the no-confidence motion said that a poster was found pasted in Germany that nothing for Jawans but a new house for the Prime Minister.

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : क्या यह खण्ड से सम्बन्धित है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The house of our Prime Minster is smaller than the houses of the many others Prime Ministers of the World.

श्री क० नारायण राव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम खण्डवार चर्चा करें तो हमारा भाषण भी खण्ड विशेष से सम्बन्धित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी सुबह यही निर्णय दिया था परन्तु यदि कोई सदस्य फिर भी कोई फालतू बातें बीच में लाये तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

Shri Madhu Limaye : I was saying that there should be restriction on the salaries and allowances of the bureaucrats. In this connection I support the amendment moved by Shri George Fernandes that the pay of the custodian should not be more than two thousand rupees. I may also add that privy purses of the former princes should be abolished. With these words I request the Hon. Minister to accept my amendment and make the nationalisation of the banks a success.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इन बैंकों में से कई बैंक के चेयरमैन रहे हैं, वे इन बैंकों के अभिरक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। कई वर्षों तक काम करने से इन लोगों की ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि देश के बड़े व्यापार गृहों की सहायता की जाय। केवल सरकार द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उनकी यह मनोवृत्ति बदली नहीं जा सकती। वे लोग समझते हैं कि सामाजिक प्रयोजन तथा बड़े व्यापारियों के हित समान हैं। अतः मेरा संशोधन यह है कि भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य अधिकारी नियुक्त किये जायें और इन लोगों को उनके साथ यह अभिरक्षक के रूप में लगाया जाये। मैं चाहता हूं कि सरकार यह संशोधन स्वीकार करे।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : इन बैंकों का प्रबन्ध करने के लिये कर्मचारियों, विशेषज्ञों तथा बैंकिंग के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों पर सम्मिलित एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने अपने संशोधन में सुझाव रखा है कि चेयरमैन की अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति समाप्त की जानी चाहिए तथा अभिरक्षक की नियुक्ति सरकार के हाथ में होनी चाहिए। यदि सरकार सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति करने के बारे में वास्तव में उत्सुक है तो उसे देखना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से यह बैंक चलायें, वे सामाजिक प्रयोजन के लिए वचनबद्ध हों, अन्यथा इसका समूचा प्रयोजन समाप्त हो जायेगा।

हमने अंग्रेजों से 1947 में प्रशासन सम्भालते समय यही गलती की थी। हम उसकी अफसरशाही से काम लेना चाहते थे जिसकी सहायता से अंग्रेज 200 वर्ष तक इस देश पर शासन करते रहे। हमने भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं था।

मेरा संशोधन यह है कि अभिरक्षक की नियुक्ति का अधिकार सरकार के हाथ में होना चाहिए। यदि कोई चेयरमैन अच्छा हो, तो उसे अभिरक्षक नियुक्त किया जाये और यदि वह अच्छा नहीं है तो उसे नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। खण्ड के वर्तमान रूप में तो उन्हें अभिरक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। मुझे आशा है, माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : भूतपूर्व चेयरमैनों को अभिरक्षक इसलिए नियुक्त किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कम से कम रुकावट आये। यदि उन्हें अभिरक्षक न नियुक्त किया जाये तो वे उच्चतम न्यायालय में मामला ले जायेंगे। सरकार ने इस मामले में बहुत चालाकी बरती है।

मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि सरकार को अभिरक्षकों को आदेश देने के तथा उन्हें हटाने के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में वे न केवल बैंकों के हितों के साथ धोखा करेंगे बल्कि भविष्य में वैसा ही करेंगे जैसा सरकार उन्हें निदेश देगी।

इसे अभिरक्षक का नाम नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अब बैंकों के भूतपूर्व मालिकों अथवा अंशधारियों के हितों की रक्षा नहीं करता। इस खण्ड का विस्तार करके चेयरमैन तथा निदेशक बोर्ड को बैंक का प्रतिनिधित्व करने तथा उसके हितों की रक्षा के लिये धन व्यय करने के पूर्ण अधिकार दिये जाने चाहिए।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री आश्वासन दें कि किसी भी परिस्थिति में बैंकों के चेयरमैन अथवा अभिरक्षक गैर-व्यवसायी बैंकर नहीं होंगे। यदि मुझे यह आश्वासन मिले तो मैं अपने दोनों संशोधनों पर आग्रह नहीं करूंगा।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : हम यह अनुभव करते हैं कि सरकार आकस्मिक ही कहीं से बैंकिंग विशेषज्ञ प्राप्त नहीं कर सकती। अभी इन लोगों को अभिरक्षक के तौर पर बनाये रखना होगा परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार यह समस्या तुरन्त हल करे अन्यथा सरकार तथा देश राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

उप-खण्ड (2) तथा (3) में विषमता है। उप-खण्ड (2) में कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिरक्षक होना चाहिए जबकि उप-खण्ड (3) में कहा गया है कि चेयरमैन अभिरक्षक होना चाहिए। यह भ्रम दूर किया जाना चाहिए।

यदि सरकार को राष्ट्रीयकरण की नीति चलानी है तो इन चेयरमैनों को बहुत समय तक अभिरक्षक नहीं बनाये रखा जाना चाहिए। जो लोग बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते और जिन्होंने अंशधारियों के करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया है, उन्हें पद पर बने नहीं रहने देना चाहिए।

श्री शशि रंजन (पपरी) : मैं इस बात से सहमत हूं कि रिजर्व बैंक में बहुत अधिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने दक्षतापूर्वक बैंकों पर नियन्त्रण किया है। अतः मैं समझता हूं कि जहां यह कहा गया है कि अभिरक्षक केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर कार्य करेगा, वहां केन्द्रीय सरकार के स्थान पर रिजर्व बैंक अथवा रिजर्व बैंक का गवर्नर शब्द होने चाहिये।

सरकार ने समूचे बैंकिंग क्षेत्र में तालमेल की कोई योजना नहीं बनाई है। सरकार को इसकी पूरी योजना बनानी चाहिए तभी राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा होगा।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishan Ganj) : Sir, I move my amendment No. 375 which seeks the appointment of a board consisting of representatives of workers, creditors, Government nominee, representatives from Industry, Commerce and Trade and persons having special knowledge of Banking system, accounting and economics to give advise to the custodian of the banks. It is only then that the purpose of nationalisation can be achieved.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मेरे इस संशोधन का उद्देश्य है कि अभिरक्षक को चेयरमैन कहा जाये । आशा है सरकार यह संशोधन स्वीकार करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वह चाहे तो किसी विशेष व्यक्ति को बदल सकती है । सरकार को श्री कुण्डू का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : विधि मंत्री जो संशोधन लाये हैं, उससे वह बाध्य हो जाते हैं और किसी को निकाल नहीं सकते हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सरकारी संशोधन वापस ले लें ।

श्री गोविन्द मेनन : खण्ड 10 का सम्बन्ध मुख्य कार्यालय तथा अभिरक्षक आदि से है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि बैंकों के प्रबन्ध का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जायेगा जो बैंकों के व्यापार के बारे में जानकारी रखते हों ।

19 जुलाई को राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश जारी करने के समय क्या सरकार के लिए बैंक चलाने वाले व्यक्तियों का पता लगाना सम्भव था ? व्यावहारिक तरीका यही था कि जो लोग पहले चेयरमैन थे, उन्हें अभिरक्षक के रूप में कार्य करते रहने के लिये कहा जाय । 'अभिरक्षक' शब्द में कोई खराबी नहीं है । जब कुछ वर्ष पूर्व जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भी यही शब्द प्रयोग किया गया था ।

श्री राममूर्ति तथा श्री कुण्डू नहीं चाहते कि वर्तमान चेयरमैन अभिरक्षक के रूप में कार्य करें । इन चेयरमैनों के अधीन यह बैंक प्रगति करते रहे हैं । श्री श्रीकान्तन नायर तथा कुछ अन्य सदस्यों का यह कहना है कि विधेयक में उपबन्ध होने चाहिये कि वे एक दो महीने कार्य करेंगे । ऐसा उपबन्ध करना सम्भव नहीं है ।

यदि कोई चेयरमैन अभिरक्षक न बनना चाहें तो हम अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं । इसी प्रयोजन के लिये हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । यदि वे उचित व्यवहार न करें अथवा ठीक कार्य न करें तो उन पर उप खण्ड 4 लागू हो सकता है । श्री दार तथा श्री कबिर का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके अन्तर्गत उन्हें केवल तभी हटाया जाये जब दुराचार आदि के आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध हो जायें । श्री फरनेन्डीज तथा श्री लिमये का वेतनों के बारे में सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 2,000 रुपये वेतन में बैंकिंग की जानकारी रखने वाले अभिरक्षक तथा प्रबन्धक नहीं मिल सकेंगे । परन्तु सरकार का उद्देश्य यही है कि इस मामले में फजूल खर्ची न हो ।

हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सहकारी समितियां कृषकों के साथ लेन देन करें और कृषकों के हित सुरक्षित हों। इस दृष्टि से हम एक योजना बनायेंगे जो सभा के समक्ष रखी जायेगी।

श्री मधु लिमये ने कहा कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक की 50 शाखायें प्रति वर्ष खुलनी चाहिये। इस प्रकार के कानून में, जिसमें सिद्धान्त निर्धारित किये गये हों, हम यह नहीं कह सकते कि प्रति वर्ष कितनी शाखायें खोली जायेंगी।

Shri Randhir Singh: Provision should be made in the rules regarding opening of new branches in the rural area. I support the amendment of Shri Madhu Limaye.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चर्चा को पुनः आरम्भ करना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि और शाखाएं खोली जायेंगी।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने कहा है कि हमारे देहाती क्षेत्रों में बैंकों के खोलने के लिये कोशिश की जायेगी। लोगों की मांगों के अनुसार ब्रांचें खोली जायेंगी। नगरों में ब्रांचें लोगों के जमा धन को प्राप्त करने के लिये होती हैं और ग्रामीणों की सेवा के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में ब्रांचें खोली जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकार के संशोधन को छोड़कर अन्य सभी संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। मंत्री महोदय ने संशोधनों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या 147 अलग से रखा जाये।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : संशोधन संख्या 21 तथा 22 अलग से मतदान के लिये रखे जायें।

श्री स० कुण्डू : संशोधन संख्या 224 अलग से रखा जाये।

श्री नम्बियार : संशोधन संख्या 324 भी।

Shri Madhu Limaye: I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मतदान आरम्भ हो चुका है, अतः व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो वह मुझे उसकी संख्या बता दें।

Shri Madhu Limaye: Sir, I want to say that there are some printing errors in my amendment. They may be corrected before putting it to vote.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 21 तथा 22 मतदान के लिये रखता हूं।

सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 42 और विपक्ष में 177

Ayes : 42 : Noes : 177

संशोधन संख्या 21, 22 अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 21 and 22 were negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 147, 178, 324, 224 तथा 375 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 147, 178, 324, 224, and 375 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 128 मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

'पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—

"Central Government may" [केन्द्रीय सरकार] के पश्चात् "if the Chairman of an existing bank declines to become or to continue to function as a custodian of the corresponding new bank, or"

[यदि किसी वर्तमान बैंक का चेयरमैन तत्स्थानीय नये बैंक के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने से इन्कार कर देता है, अथवा] शब्द रख दिए जाएं [128]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motin was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All other amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 को संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया ।

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 11 तदनुरूपी नये बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार काम करना

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर ये संशोधन प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे ।

76, 100, 101, 113, 129, 148, 179, 199, 226, 287, 344, 345, 353, 354, 355 तथा 356.

श्री अब्दुल गनी दार : (गुड़गांव) मैं अपना संशोधन संख्या 76 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपना संशोधन संख्या 100 तथा 101 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 113 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13 में

(एक) "function" ["कृत्य"] के स्थान पर ["कृत्यों"] ["functions"] शब्द रखे जायें ;

(दो) "direction" ["निदेश"] के स्थान पर ["निदेशों"] ["directions"] शब्द रखे जायें ; [129]

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 148 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपना संशोधन संख्या 179 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या 199 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 226 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 287 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 344 तथा 345 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शशिरंजन (पपरी) : मैं संशोधन संख्या 353, 354, 355 तथा 356 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सरकार इस विधेयक को कल तक पारित कराना चाहती है । मेरा अनुरोध है कि इसे अगले सप्ताह पारित किया जाये और हमें इस पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : We will be receiving Government amendments tomorrow. We would like to study them. More time should be given for this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : हम समय के बारे में कल निर्णय करेंगे ।

Shri Abdul Ghani Dar : The Governments view is that they will not interfere in the internal working of these Banks. But side by side they say that if there will be any dispute that will be decided by the Government. I feel that that power should not vest in them.

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : सरकार इस विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक के महत्व को कम करके सभी अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले रही है । रिजर्व बैंक को गत वर्षों में बैंकिंग सम्बन्धी मामलों का बहुत अनुभव हो गया है । उसका कार्य बहुत सन्तोषजनक है । रिजर्व बैंक की सरकार द्वारा उपेक्षा करना उचित नहीं है । मेरे संशोधन का यही आशय है कि रिजर्व बैंक को नीतियों और निर्णयों की कार्यान्विति का काम सौंपा जाये । हां, केन्द्रीय सरकार सलाह दे सकती है ।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, by my amendment I want that new corresponding banks while consulting the Governor of Reserve Bank should consult the representatives of the employees also. Those who work for the bank should have a right to give their opinion on its working etc. The employees should be made a part of the management. It will help in improving the working of banks.

श्री प्र० चं० सेठी : मेरा संशोधन छपाई सम्बन्धी गलतियों को ठीक करने के लिये है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I do not agree with what Shri Patodia has said. I feel Government should have powers to run and manage the banks. I have an apprehension. I want an assurance from Government that it will not interfere in the day to day working of banks. Appointments in banks will not be made on political considerations. Now we have nationalised the banks, we should run it efficiently.

Shri Madhu Limaye : During the last so many years Government has invested large sums of money on heavy industries. Similar has been the case in private sector. The deposits in banks were utilised by big businessmen. It was made use of in big industries. The agriculture has been neglected throughout these years. It has resulted in making poor farmer more poor. This state of affairs should be changed. Now the banking business will increase. I have suggested that more money should be made available for agriculture. Further I have suggested that small scale industries should be given 20 percent of the total deposits. 10 percent should be given to the self employed persons. I include rickshawalas, artisans etc. in this category. For example Dentists should be given some loan for starting practice.

My second amendment seeks the appointment of one man tribunal to go into the complaints relating to cases of corruption in sanctioning advances or other facilities.

After the nationalisation of banks, it is my fear, the officers of banks will indulge in malpractices while sanctioning loans etc. My amendment seeks to incorporate a provision to check such things. I am not rigid on this. In case if Government is itself bringing some amendment in this regard, I am prepared to withdraw this amendment. Some such provision must be there.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं खण्ड 11 के बारे में अपना संशोधन संख्या 199, प्रस्तुत करती हूं । इसके द्वारा मैं खण्ड 11 में ये शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि निकाय द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप" ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ऋण परिषद छः मास से चल रही है । हमने यह भी सुना है कि इसको अब शीर्ष निकाय का रूप दिया जा रहा है । परन्तु इस खण्ड से प्रतीत होता है कि ऋणों के वितरण का काम वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में होगा तथा धन रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जायेगा ।

अब तक रिजर्व बैंक को इस बारे में आदेश टेलीफोन द्वारा दिये जाते थे, लिखित रूप में भी मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में ऐसा उपबन्ध होना चाहिए कि रिजर्व बैंक को आदेश कैसे दिए जायेंगे । इसको पढ़ने से मालूम होता है कि इस खण्ड को स्टेट बैंक आफ इण्डिया एक्ट से थोड़े से परिवर्तन के साथ लिया गया है । इस खण्ड में उस अधिनियम से लिए गये शब्द "व्यापार सिद्धान्तों के अनुसार" के स्थान पर "जन-हित का ध्यान रखते हुए" शब्द रखे गये हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इसके स्थान पर "व्यापार सिद्धान्तों के अनुसार" शब्द रख दें ।

यदि आप इसे राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखना चाहते हैं तथा राष्ट्रीय ऋण परिषद का गठन भी नहीं करना चाहते तो कम से कम "शीर्ष निकाय" तो अवश्य स्थापित करें, जिसमें योजना आयोग के उप-सभापति होने चाहिए तथा व्यापार, उद्योग तथा आर्थिक तकनीकी

उद्योगों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। अब जब हम इस सम्बन्ध में कानून बना रहे हैं तब हमें ऋणों पर नियंत्रण की शक्ति को वित्त मंत्रालय में केन्द्रित नहीं होने देना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : इस खण्ड का सम्बन्ध 4000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से है। राष्ट्रीयकरण में निहित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना इसके द्वारा अभिप्रेत है। रिजर्व बैंक सरकारी अभिकरण है अतएव उसके अधिकारियों की नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं, अतएव उसका अस्तित्व सरकार से पृथक नहीं है। मेरा सुझाव है कि "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर इस खण्ड में "संसद्" शब्द रखा जाये। संसद् से मेरा अभिप्राय संसदीय समिति से है।

सभापति महोदय : श्री दांडेकर

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, it is five O'clock. I request that this Bill may please be taken to-morrow.

श्री बलराज मधोक : यह आज समाप्त नहीं होगा अत: कल लिया जाना चाहिए।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : ये एक महत्वपूर्ण खण्ड है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर अधिक समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा।

दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE.DETERIORATING LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Mr. Chairman, though the number of crimes taking place in Delhi are on the increase, yet the police is not taking steps that it ought to take to check the crimes.

The Hon. Minister, will no, doubt place before the House statistics indicating that the number of crimes are gradually declining. But so long as police does take any concrete steps, confidence cannot be built in the minds of the people as to their security.

Delhi has become a centre, where criminals from Ghaziabad, U. P., Haryana, Punjab and nearby places hide themselves. Sophisticated crimes in posh colonies of New Delhi and naked films are exhibited here.

Three murders took place in my constituency last week. The police cooked an intetesting story to explain these three murders.

The fact is that the father of the two childern, who were murdered, went to the police station a day before the happening, to lodge a complaint against the unsocial activities by certain criminals in school premises. But the police refused to register the report. There is another way police acts. Where voice is raised against such murders, the police say that these were due the activities of the political parties.

There is a lot of corruption here. A High Court judge, who is at present member of this House stated that the police is the largest gang of corrupt people. I want to add that there is no police station, no S. H. O., who is not associated with that gang of criminals. Each police station has an income of Rs. 50,000/- to 5,00,000/- per month. This can be confirmed from the Khosla Commission Report. It would be beneficial if an attempt is made to investigate the assets of Delhi Police officials.

Police force is insufficient to check and investigate the crimes. Apart from that a large part of the police is deputed to protect the dignitaries. Khosla Commission mentioned about the shortage of police force in detail.

Senior police officers merely engage themselves to file work and do not visit troubled spots. Page 151 of Khosla Commission Report says :

"The Commission during its, enquiries found that in Delhi the Superintendent hardly ever supervises at the spot except in very sensational cases. The Sub-Divisional Police office supervises a few burglary and theft cases. The Superintendent's spot report files are maintained by constables and Head constables who make remarks for the Deputy Superintendent of Police to persue. It is astonishing that this type of unauthorised, unwanted application should be a regular feature of Police work".

How damaging remarks are these ? The police have no public image at all.

Here I have to offer a few suggestions. Transfer the D. S. Ps. and gazetted officers and S. H. Os. to other areas. C. B. I. department may be asked to supervise their activities to find out whether the reports are recorded correctly or not ? Have separate wings for detection and investigation and for law and order and to maintain dignitaries. The Punjab police rules may be amended. Follow the practice of Bombay and other big cities. Let intelligence supervise the job of crime branches. The police should endeavour to get cooperation from the public and also social organisations.

Wi th these words I appeal to the Hon. Minister to implement the Police Commission Report.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय दिल्ली में लगभग 13,488 पुलिस के सिपाही हैं तथा 75 डी० एस० पी० हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से अन्य पदों के अधिकारी हैं तथापि दिल्ली में भारी संख्या में अपराध होते हैं। वास्तव में यह पुलिस अपराधों या हत्याओं को रोकने में संलग्न नहीं है अपितु यह निक्सन आदि विदेशी नेताओं की देख रेख में लगी है।

गृह-कार्य मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि पुलिस केन्द्र सरकार के अधीन है तथापि दिल्ली प्रशासन का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह अपराधों को रोके। अन्य राज्यों में यदि कोई अव्यवस्था होती है तो ये लोग उनकी आलोचना करते हैं किन्तु अपनी ओर नहीं देखते। दिल्ली में एक दिन में चार हत्याएं हुई हैं। विदेशी राजनयिकों से लेकर स्कूल तथा कालेज जाने वाली लड़कियों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिन एक अरब के राजनयिक की हत्या कर दी गई। ब्राजील दूतावास की एक महिला अधिकारी की हत्या कर दी गई।

इसके अतिरिक्त दिल्ली के अल्प संख्यक वर्ग हर समय भयभीत रहते हैं। दिल्ली में चोरी तथा सेंधमारी की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में चोरी तथा सेंधमारी की 5000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। लगभग 50,000 रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति चुरा ली गई है। इसी वर्ष के जनवरी से जून माह के अन्तर्गत 158 लड़कियों का अपहरण हुआ तथा पिछले वर्ष के इतने ही समय में 128 लड़कियों का अपहरण किया गया था। इसी प्रकार दिल्ली में इसी वर्ष के गत 6 महीनों में 47 हत्याएं हुईं तथा 55 मामले ऐसे

दर्ज हुए जिनमें हत्या करने का प्रयत्न किया गया था। गत वर्ष भी इसी अवधि में 43 हत्याएं हुई थीं तथा 38 मामलों में हत्याएं करने का प्रयत्न किया गया था। इतना ही नहीं कारों की चोरी अवैधरूप से शराब बनाने का काम, तस्कर व्यापार तथा विदेशी मुद्रा की चोरी आदि के अनेक अपराध दिल्ली में होते हैं तथा उनकी संख्या भी नित्य बढ़ती जाती है। इसका कारण यही है कि पुलिस जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपेक्षा अपने मालिकों के हितों की रक्षा करती है। पुलिस जनता को परेशान करती है उनकी सेवा नहीं करती। इस विषय में श्री खोसला ने भी कहा है कि पुलिस के बड़े कर्मचारियों में अनुशासन की कमी है तथा उचित देखरेख की और नियंत्रण की भी कमी है।

पुलिस बेगुनाह व्यक्तियों पर अत्याचार करती है। मैं तिहाड़ जेल में कई ऐसे व्यक्तियों से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि हमें जेल से निकलने के बाद फिर जेल में बिना किसी अपराध के ठूंस दिया गया। पूरे दिल्ली शहर में धारा 144 का राज्य है। व्यापार संघों के व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया तो उन्हें कुचल दिया गया। सभी जानते हैं कि इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में पुलिस ने कितना अत्याचार किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार स्वयं अपराधियों से मिली हुई है। शांतिपूर्वक निकाले गये प्रदर्शनों को भी पुलिस शांति तथा व्यवस्थित रूप में नहीं निकलने देती। कभी भी पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्यकुशलता नहीं दिखाई। पुलिस लोगों को कुचलने में तो दक्ष है किन्तु उनकी सेवा करना नहीं जानती। बेरोजगार युवकों ने जब अपना प्रदर्शन किया तो हमें दस दिन के लिए तिहाड़ जेल में ठूंस दिया गया। मेरा निवेदन है कि पुलिस को केवल वी० आई० पी० की सुरक्षा के लिए ही नहीं रखना चाहिए। उसे जनता की सेवा के लिए रखना चाहिए। अपराध सरकार की गलत नीतियों तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण होते हैं। मेरा सुझाव है कि समस्या को हल करने के सरकार को विभिन्न राज्यों से पुलिस मंगानी चाहिए तथा पुलिस को राजनीति में भी नहीं घसीटना चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Sir, the population of Delhi has increased to such an extent that it has become difficult for the police to maintain law and order in Delhi. Therefore, the number of policemen should be increased. I fully support the idea of appointing a police commissioner in Delhi as early as possible. The pay and allowances of the policemen in Delhi should also be increased in view of the higher cost of living in Delhi. Dresses of the policemen should be improved and they should be provided transport facilities in order to discharge their duties properly and effectively. They should also be provided residential accommodation.

I suggest that to avoid the political influence on the police a commission should be appointed. The members of the Metropolitan Council and the M. P. D. very often approach the police officers and constrain the police not to take proper action.

Nearly about one lakh of Jhuggi Jhonpari dwellers who have been provided alternative accommodation at 20-22 miles far from the main city have indulged in committing crimes because they have not been provided suitable work there. Apart from this, in the Government parks children are being trained in stabbing and in charging the lathis and for that no one but the Delhi Administration is responsible.

I also want to mention that the practice of bribery has been tremendously increased in the departments of the Delhi Administration. Due to the interference of politicians even in the trivial matters the corruption from these departments cannot be eliminated. Therefore, this tendency of politicians should be checked. If the policemen are provided some economic and other kind of reliefs they would be able to maintain the law and order situation in Delhi.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Sir, it is a fact that the crimes in Delhi have been increasing day by day. At the same time the nature of crimes being committed in Delhi is such that the people of Delhi are aghast and think that the criminals are not afraid of any authority whatsoever. Cases of kidnapping and the crimes committed in public meetings are the most horrible things of which the ordinary people of Delhi are much worried.

One of the main factors of hampering the law and order situation in Delhi is that the police is under the Ministry of Home Affairs which is not at all worried of the crimes and the criminals here. Besides, the representatives of the public have no control over the police. They are not entertained by the police officers. Not only this, but the Government itself is hand and glove with the criminals. I remember, in 1966, the erstwhile President of the Delhi Congress Committee, Mir Mustaq Ahmed stated that at the time of her election as the leader of the Congress Parliamentary Party she went in an open car with a man who was a notorious goonda of Delhi. I am not interested in making allegations against any individual but I want to state that unless this attitude of the Government is not curbed it would be impossible to maintain the law and order situation in Delhi.

In the circumstances, the provisions of maintaining law and order situation in Delhi should be transferred to the Delhi Administration because it has been proved that the Central Government cannot control it. The Central Government may keep the area of New Delhi Municipal Committee under their control because this is an area where Embassies are situated but the rest of the area of Delhi should be kept under the direct administration of Delhi Administration.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है तथा यहीं से देश के लिये नीतियां निर्धारित होती हैं। किन्तु आज दिल्ली की स्थिति क्या है ?

'दो मुल्लों में मुर्गी हराम' वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है। पुलिस को लेकर दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्र सरकार में झगड़ा रहता है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस बारे में बहुत शिकायतें मिली होंगी कि दिल्ली की दक्षिणी कॉलोनियों में पुलिस अफसरों की सांठ-गांठ से अवैध रूप से शराब बनाई जाती है। यद्यपि दिल्ली में मद्य-निषेध लागू है तथापि यहां इस प्रकार के कार्य होते हैं। महात्मा गांधी ने इस कार्य के लिये अपना जीवन होम कर दिया किन्तु उनके उत्तराधिकारी राजधानी में भी शराबबन्दी नहीं कर पा रहे हैं। इन बस्तियों में रहने वाले बार-बार यह शिकायत करते हैं कि इस अवैध शराब खोरी को बन्द किया जाय अन्यथा यहां हत्याओं की संख्या बढ़ती जायेगी। माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में शिकायत की गई और उसके दूसरे ही दिन वहां एक दस वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। हमें ऐसी पुलिस की क्या आवश्यकता है जो जनता के जीवन की रक्षा न कर सके। क्या पुलिस का कार्य केवल मंत्रियों की सुरक्षा ही करना है ?

आपको एक हाल ही की घटना सुनाता हूं। सरोजनी नगर में एक लोक सभा सचिवालय के कर्मचारी की पत्नी अपने घर के सामने बैठी हुई थी और एक व्यक्ति ने, जो कार से आया

था उसका नेकलेस छीनकर भागने का प्रयत्न किया। दिल्ली में इस प्रकार की दिन दहाड़े चोरियां होती हैं तथा केन्द्र सरकार और दिल्ली प्रशासन की पारस्परिक लड़ाई के कारण दिल्ली में शांति और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है तथा यहां की जनता भयभीत रहती है।

ऐसी अनेक घटनाएं गिनाई जा सकती हैं किन्तु मैंने इस विषय में केवल संकेतमात्र दिया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि पुलिस के लिये आवास आदि की सुविधा देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि पुलिस के अधिकारियों को किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हैं और उनको रिश्वत में भी बहुत-सा धन मिल जाता है अतः उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं है।

मेरा सुझाव है कि मामले दर्ज करने के सम्बन्ध में सुव्यवस्था आनी चाहिये। देखा गया है कि पुलिस के अधिकारी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की बात ही नहीं सुनते हैं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह पुलिस अधिकारियों को मामले दर्ज करने के बारे में आदेश दें और उनसे कहें कि पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने के बाद मामलों की उचित जांच करें तथा साक्ष्य इत्यदि इकट्ठे करें। दिल्ली पुलिस का सर्वोच्च पदाधिकारी निश्चित रूप से दिल्ली ही का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को देश के अन्य भागों में भी स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब यह जानते हैं कि उनको किसी अन्य क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा तो वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी को रोकने के लिये वर्तमान आदेशों को बदलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली में इस विभाग पर अनावश्यक रूप से अधिकार किया हुआ है। केन्द्र के पास सेना है और वह दूतावासों तथा अन्य संभ्रांत जनों की सुरक्षा के लिये सेना का उपयोग कर सकती है। अतः पुलिस प्रशासन दिल्ली प्रशासन को सौंप देना चाहिये।

जहां शिकायत दर्ज करने का सम्बन्ध है मेरा इस बारे में सुझाव है कि पुलिस विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जाना चाहिये जिसके द्वारा साधारण जनता को रिपोर्ट लिखने के ढंग की शिक्षा देनी चाहिए। साधारण तथा कम पढ़ी लिखी जनता रिपोर्ट लिखने की कानूनी प्रक्रिया से परिचित नहीं है अतः उनके द्वारा लिखी गई रिपोर्टों को फेंक दिया जाता है। अतः जनता का सहयोग पाने के लिये उसे रिपोर्ट लिखाने की तकनीक से परिचित कराया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस विषय में कुछ ठोस कदम उठायें जिससे जनता के मन से भय तथा तनाव की स्थिति समाप्त हो जाय तथा देश का भला हो।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): Sir, the time should be extended.

Mr. Chairman: It is not possible to extend the time.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सभापति महोदय, यह मामला सभा में कई बार उठाया गया है किन्तु सरकार हर बार अपनी असमर्थता दिखाती है तथा खोसला आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करती।

वास्तव में अंग्रेजों ने पुलिस के हाथों में केवल डंडा ही दिया था और अंग्रेजी सरकार का ध्येय भी यही था कि वह जनता को पुलिस द्वारा उसे पिटवाकर उसका दमन करें। अंग्रेजों ने पुलिस की जनता के हितों के लिये कोई उपयोगिता नहीं समझी अतः उनका वेतन भी कम ही रखा। किन्तु अब स्थिति पूर्णतः बदल गई है तथापि सरकार ने पुलिस प्रशासन में कोई उपयुक्त परिवर्तन नहीं किया।

इस समस्या का समाधान करने से पहले हमें अपराधों के प्रकारों का पता लगाना होगा। कुछ अपराधों के पीछे मनोवैज्ञानिक आधार नियत रहते हैं। धनी वर्ग के व्यक्तियों की संतान अपने माता-पिता की रंगरेलीपूर्ण आदतों से अश्लील क्रियाकलापों में फंस जाती है तथा अपराध करती है। विदेशी मुद्रा की चोरी तथा अन्य इसी प्रकार के अपराध अभ्यस्त अपराधियों द्वारा किये जाते हैं। तथा कुछ अपराध रात के अंधेरे में होते हैं। इन सभी अपराधों को समाप्त करने से पहले इसका अध्ययन होना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस प्रशासन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, तथा अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस के सिपाहियों के वेतन में वृद्धि करनी होगी क्योंकि साधारण पुलिस कर्मचारी तथा अर्द्धशिक्षित पुलिस के सिपाही इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे और न ही उनकी समझ में यह अपराध आ सकते हैं। जब तक इन मूल बातों को सरकार स्वीकार नहीं करेंगी, पुलिस का वेतन नहीं बढ़एगी तथा शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन में नहीं रखेगी, इस समस्या का अन्त नहीं हो सकता।

खोसला आयोग के प्रतिवेदन के दो पहलू हैं। एक के अनुसार पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर प्रकाश डाला गया तथा दूसरे में पुलिस प्रशासन की वर्तमान कमियों को दूर करने पर जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दो दिन के अन्दर इन मामलों का पता लगाकर इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आप मुझे पुलिस प्रशासन दीजिये और मैं दो दिन में सब कुछ ठीक कर सकता हूं। सरकार एक दिन में सब कुछ कर सकती है। यदि पुलिस आयुक्त नियुक्त करना है तो तुरंत कर देना चाहिए। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पता ही नहीं लगता कि आदेश देने वाला कौन है तथा आदेश पालन किसने करना है।

आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस के सिपाही के पास इतना काम नहीं होता कि वह किसी सांस्कृतिक आयोजन को देख सके, कोई आराम की वस्तु खरीद सके अथवा अच्छा भोजन खा सके आदि आदि। अतः उसके मन में कुंठाएं बनी रहती हैं। बहुत से देहाती क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुलिस के सिपाही को तो जूते तक नहीं दिये गए। आयोग ने यह भी कहा है कि जांच कार्य तथा मुकदमें चलाने के बारे में भी कोई उपयुक्त पद्धति नहीं है।

पिछली हड़ताल के परिणामस्वरूप पभी सैकड़ों पुलिस कर्मचारी दुखी हैं। सरकार को उनके प्रति कुछ सहानुभूति रखनी चाहिए तथा उन मामलों को वापस लेना चाहिए। अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह खोसला आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करायें तथा अन्य कमियों को भी शीघ्र दूर कराने का प्रयत्न करें।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Sir, Delhi has been divided into two parts, that is Delhi and New Delhi. The way of living of the people residing in old Delhi is totally different than those of residing in New Delhi. People of old Delhi lead a miserable life and their standard of living is much lower while the people of New Delhi are provided with all kinds of facilities and they lead a luxurious life. When such a discrimination has been created by the Government and the interests of the people of the old Delhi are being neglected it is natural that the incidents of crimes and murders would increasingly take place in this area. I do not mean that no crimes are committed in New Delhi area but it is certain that the nature of crimes committed in New Delhi are of different type. In this area bloodless murders are committed, such as the murder of Shri Morarji Desai and Shri Menon. These murders were not physical murders but these were the assassination of their political existence. But in Old Delhi the crimes of trivial nature, such as pickpocketing and fray, are committed very often. In the circumstances, I want to know whether the Hon. Minister will try to eliminate the disparity between the standards of living of residents of old Delhi and New Delhi. I also want to know whether Delhi will be treated as an integrated city and not as divided one into two parts.

The existing practice followed by the police is that it only protects the lives of the V.I.Ps. and the foreign dignitaries. In Delhi, an ordinary man is stabbed to death by goondas without any fear because they know the attitude of the policemen. Miscreants, administration and the affluents, these are the three elements in Delhi and can be held responsible for the incidents of crimes. Administration and the rich people are hand and glove with the miscreants.

Lt. Governor stated that certain political parties protected the miscreants in Delhi. But I want to mention one thing in this connection. Once I was passing by a street in Allahabad where I found some policemen constructing a boundry of a house. When I wanted to know about the owner of that house I was told that the house was of the present Lt. Governor of Delhi. Thus it is clear that when the policemen are engaged in the construction of the house of the Lt. Governor how can we expect that they will not indulge in the malpractices of demanding bribery from the public.

I suggest that a code of conduct should be framed for certain police officers and it should be applicable to the officers of both Delhi and New Delhi areas without any discrimination. In the event of five cases of murder or so a bad entry should be made in the character rolls of these officers.

Secondly, decentralisation of police administration is imperative. So far as the armed police is concerned it may remain under the Central Government but the unarmed police must remain under the control of the local bodies so that the local representatives of the public may use the police for maintaining the law and order situation in their areas. I recently wrote a letter in which I have informed the Government ...*

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : महोदय ! मैं 1950 में नजर-बंदी के रूप में दिल्ली आया था । उसके पश्चात में 1954 में दिल्ली आया तब हमारे दल की साउथ एवेन्यू में बैठक थी । किन्तु उस समय समाचार-पत्रों में किसी हत्या आदि की खबरें नहीं पढ़ी थीं ।

अब आये दिन समाचार-पत्रों में हत्या, चोरी तथा अपहरण आदि की सूचनाएं पढ़ने को मिलती हैं । श्रीमती नायडू का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है । 1967 में उत्तर प्रदेश की

*अध्यक्ष पीठ के आदेश से सभा की कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

*Not recorded.

एक महिला ने प्रधान मंत्री महोदया से शिकायत की कि उसकी लड़की को उठा लिया गया है तथा उसका कोई पता नहीं लग पाया । स्कूल, कालिजों को जाने वाली लड़कियों को छेड़ा जाता है यह सब क्या हो रहा है ?

उप-राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कुछ राजनीतिक दल इन गुंडों का संरक्षण कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वह राजनीतिक दल कांग्रेस या साम्यवादी नहीं वरन् स्वयं जनसंघ है जो दिल्ली में शासन कर रहा है । वैसे पुलिस दिल्ली प्रशासन के अधीनस्त नहीं है वह कांग्रेस सरकार के मातहत है अतः ये दोनों दल ही गुण्डों को शरण दे सकते हैं और दोनों दल ही आपस में साठगांठ करके दिल्ली के नागरिकों की हत्या करा रहे हैं ।

श्री कुण्डू ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में पुलिस कर्मचारियों के 3,000 मामले अनिर्णीत पड़े हैं । 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी मुअत्तल या नौकरी से निकाल दिये गये हैं । यदि प्रशासन सामान्य पुलिस कर्मचारियों का विश्वासपात्र नहीं बन सकता तो कुछ पुलिस अफसर इन गुण्डों को कैसे बस में कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस गुण्डागर्दी को रोकने के लिये अवश्य ही कोई उपाय निकालने चाहिएं तथा सत्तारूढ़ दल का यह कर्त्तव्य है कि वह शीघ्रातिशीघ्र इसका कोई प्रबन्ध करें ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Sir, Delhi is the capital of India and peoples from various countries visit Delhi. Besides, large number of persons from other States of India have settled themselves in Delhi which is almost overpopulated now. Thirdly, about 1,000 policemen have been dismissed from service and lastly, the salary of a policeman is much less than that of a policeman of Haryana or Punjab. The problems of murders, burglary and sheltering of goondas should be solved in the light of circumstances given above. I also want that a single regional committee or an advisory committee should be made for all the State in regard to the law and order. I feel that the police should remain under the Central Government but at the same time the Centre should deal with the law and order situation effectively.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I humbly request the Government should not keep the prosecution against the policemen pending for long period. It has already been delayed for three years. I also request that if they are not being considered suitable for the police service, they should be, then, transferred to some other departments. No doubt they had launched a procession but it should be not made a matter of prestige or discipline. The Government should sympathetically consider their grievances.

Secondly, the persons belonging to Haryana are not being given employment in the Police department in the same ratio as were given earlier. I request the Government should not have a discriminatory attitude towards the people of Haryana in this regard.

I also suggest that Delhi should be provided with a full statehood in conformity with Tripura and Manipur. There is multiplicity of authorities in Delhi. There is Corporation ; there is Municipal Committee. Likewise there is D. D. A. in Delhi. Apart from these authorities, Ceneral Government are also connected with Delhi. This kind of multiplicity of authorities is not favourable to the smooth administration in Delhi.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : May I know whether the case of murder of Rani Tandon a resident of Katra Neel will be referred to the Central Bureau of investigations to be enquired into ? The murder was committed on the 8th June and I wrote

to the Lt. Governor in this matter. The Lt. Governor has replied to me that there was no objection to this case being referred to the C. B. I.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I support the statement of Shri Randhir Singh and demand the reinstatement of the policemen who were dismissed or suspended from their service.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय ! यदि अन्य बड़े नगरों की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में होने वाले अपराधों की संख्या देखी जाय तो वह अधिक नहीं है । मैं इस बारे में कोई आंकड़े देने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि केवल आंकड़े प्रस्तुत करने से जनता और माननीय सदस्यों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता । जनता का विश्वास तो कार्य करके दिखाने से प्राप्त होता है । मैं इस बात का विरोध करता हूं कि दिल्ली में पुलिस की कमी या उसमें व्यभिचार होने से अपराध होते हैं ।

यदि इस समस्या का विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि दिल्ली पुलिस फोर्स का अपना कोई कैडर नहीं है जैसा कि देश के अन्य स्थानों में है । इस पुलिस में राजस्थान, पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य पड़ौसी राज्यों से जवान आये हैं तथा वे अपना कार्य करके वापस चले जाएंगे । ऐसे व्यक्ति अपने को दिल्ली पुलिस के सदस्य नहीं मानते । किन्तु हमें सम्पूर्ण पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहिए । उसमें कुछ बुरे व्यक्ति भी हो सकते हैं और अच्छे भी ।

एक बात और है और वह यह कि यदि कोई अनुचित कार्य हो जाता है कि उसका भारी प्रचार किया जाता है किन्तु यदि अच्छे कार्य होते हैं तो उनको कोई प्रचार नहीं दिया जाता । दिल्ली पुलिस ने भी बहुत से सराहनीय कार्य किये हैं किन्तु उनकी कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि लोग समझते हैं कि वे तो करने ही चाहिए थे । पुलिस का कार्य भी क्या है । किन्तु यदि कोई कार्य गलत हो जाता है तो उसके लिये पूरी पुलिस की निंदा की जाती है । किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा करने से हम शेष अच्छे पुलिस कर्मचारियों को भी निरुत्साह करेंगे ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे दिल्ली पुलिस की कठिनाइयों का अनुभव करने का प्रयत्न करे । पुलिस के सिपाही अथवा इन्स्पैक्टर आदि कभी-कभी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं । स्वयं जनता भी उनकी सहायता नहीं करना चाहती और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कुछ कार्य ऐसे भी करने पड़ते हैं, जिन्हें वे करना नहीं चाहते ।

महोदय ! खोसला आयोग ने पुलिस के छोटे कर्मचारियों की कठिनाइयों का अध्ययन किया तथा उनके बारे में बहुत सी सिफारिशें कीं । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में पुलिस को वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करनी हैं । सरकार ने आयोग की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है तथा शेष सिफारिशों को कार्यान्वित किया भी जाएगा । किन्तु उनमें कुछ समय अवश्य लगेगा ।

खोसला आयोग के नियुक्त होने से पहले पुलिस के कर्मचारियों के कार्य की स्थिति तथा उनकी कठिनाइयों के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया गया था। किन्तु अब इस ओर कदम उठाये जा चुके हैं। सरकार के पास विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन है और वह उस पर विचार कर रही है।

यदि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े नगरों के पुलिस कर्मचारियों की स्थिति की तुलना में दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को स्थिति देखी जाय तो पता चलेगा कि बम्बई आदि नगरों की पुलिस की स्थिति अधिक खराब है। तथापि हम इन आंकड़ों की उपेक्षा करके सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्थिति में काफी संशोधन किया जा सकता है। सरकार ने केवल तकनीकी दृष्टि से इसमें प्रगति लाना चाहती है अपितु उनके संगठन तथा उपकरणों आदि में भी प्रगति लाना चाहती है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है। हम उनके कार्य में भी प्रगति लाना चाहते हैं।

दिल्ली में कुछ विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयां भी हैं। यह भारत की राजधानी है तथा यहां बहुत से विदेशी लोग आते रहते हैं। बहुत से व्यापारी भी यहां आते रहते हैं तथा अपने साथ बहुत से ऐसे तत्व भी लाते हैं जिनसे अपराध पनपता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है तथा चार पांच पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में चोरी आदि की, उदाहरण के लिये स्कूटर, कार आदि की चोरी की घटनाएं आसानी से की जा सकती हैं। दिल्ली से स्कूटर आदि को चुरा कर चोर 20 या 30 मिनट में दिल्ली की सीमा पार करके पड़ोसी राज्य में घुस सकता है। अतः उनका पता लगाने में कठिनाई हो जाती है। मेरा यह सब कहने का आशय केवल इतना है कि दिल्ली पुलिस के सामने बहुत सी विशिष्ट कठिनाइयां हैं।

मैं यह भी नहीं कहता कि दिल्ली पुलिस में कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं है। किन्तु हमने वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ पुलिस स्टेशनों की नमूने के तौर पर सी० बी० आई० से जांच कराई है। केन्द्रीय जांच विभाग ने कुछ स्टेशनों का अध्ययन किया है तथा अपना प्रतिवेदन दे दिया है। हम उस प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं तथा उसके आधार पर पुलिस के कार्य में प्रगति लाने तथा उससे भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयत्न किया जाएगा।

खोसला आयोग ने, माननीय सदस्यों ने तथा सी० बी० आई० ने बहुत से अच्छे सुझाव दिये हैं। हम उन सब को ध्यान में रखेंगे। पुलिस कर्मचारियों को दूसरे स्थानों में भेजने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह कैडर बिल्कुल अलग है तथा हम उन्हें अन्य संघराज्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी मुझे उचित नहीं जान पड़ता कि हम बुरे व्यक्तियों को यहां से टाल कर अन्य संघराज्य क्षेत्रों के ऊपर थोप दें। कर्मचारियों का स्थानान्तरण कोई उपयुक्त सजा भी नहीं है। ऐसा करने से तो वह अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार फैलाएंगे। अतः हमारा विचार है कि ऐसे व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जाय। वैसे हम यह

भी विचार करेंगे कि यदि सम्भव हो सके तो इस कैडर के कर्मचारियों की सेवाओं का स्थानान्तरण किया जाय ।

जहां तक सेवा से निकाले गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है इस बारे में सभा में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन व्यक्तियों को अनुशासनहीनता के कारण निकाला गया है उनको सेवा पर लेना अत्यन्त कठिन है । इसके अतिरिक्त मुकदमों में देरी का कारण यही है कि लोग उच्च न्यायालय में अपील कर देते हैं अथवा 'स्टे आर्डर' प्राप्त कर लेते हैं । अतः ऐसी स्थिति में मुकद्दमों में देरी होना स्वाभाविक है । जब ये लोग फैसलों में रुकावट डालते हैं तो सरकार क्या कर सकती है ।

यह प्रश्न भी उठाया गया था कि उप-राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली में गुंडों को संरक्षण राजनीतिक दलों से मिल रहा है । मैंने सदन के समक्ष इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था कि उप-राज्यपाल के वक्तव्य को गलतरूप से उद्धृत किया गया है । इसी बारे में प्रधान मंत्री महोदया पर भी आरोप लगाया गया है । किन्तु ऐसी बातें तथा ऐसे आक्षेप उचित नहीं हैं । ये आक्षेप निराधार हैं । जनता को इस प्रकार बहकाया नहीं जा सकता ।

मैं सदन को आश्वासन दे चुका हूं कि पुलिस के कार्य में प्रगति लाई जाएगी । यद्यपि मद्रास और बम्बई आदि की तुलना में दिल्ली पुलिस का कार्य अच्छा है तो भी सरकार दिल्ली में एक पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

सरकार पुलिस को अपराधियों का पता लगाने के लिये आधुनिक युक्तियों तथा उपकरण देना चाहती है । सरकार उनके लिये अच्छी संचार व्यवस्था तथा यातायात की सुविधा भी प्रदान करना चाहती है । उनकी आवास व्यवस्था भी सुधारना है जिससे उनका स्तर बढ़े । उनको बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा शेष सुविधाएं शीघ्र ही प्रदान की जाएंगी । एक माननीय सदस्य ने पुलिस की वर्दी के बारे में भी प्रश्न उठाया था । मेरा निवेदन है कि अगले दो वर्षों में इस सेवा में बहुत से परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 अगस्त, 1969/10 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 1, 1969/Sravana 10, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 21-11-69—600.